लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK-SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 25 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-14, शुक्रवार, 7 मार्च, 1969/16 फाल्गुन, 1890 (शक)

No. 14—Friday, March 7, 1969/Phalguna 16, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या./S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
333	अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली में विदेशियों को शराब का उपलब्ध की जाना	Serving of Liquor to Foreigners in Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	1–4
334	राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था	National Geophysical Research Institute	4–5
335	केन्द्र पर निगम की बकाया राशि	Corporation's Dues outstanding against the Centre	5–9
336	उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों का चयन	Selection of High Court Judges	9–14
338	गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों का विकास	Development of National Highways in Gujarat	14-16
339	केरल के लिये सहायक विमान सेवाओं का आरम्भ करना	Operation of Feeder Airlines in Kerala	16–18

अ. सू. प्र. सं /S. N. Q. Nos.

3	गृह-कार्य मंत्री का बिहार का दौरा	Home Minister's visit to Bihar	18–23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.			
331	लक्कदीव प्रशासन के लिये अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	Officers on Deputation to Laccadi Administration	23–24
332	विशाखापटनम में लोह अयस्क संयंत्र	Iron Ore Plant at Vishakhapatnam	24–25

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र.संख्या/ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
340 इंडियन एयर लाइन्स को हानि	I.A.C. L sses	25
341 मद्रास में हिन्दी सिखाने के लिये जनता विद्यालय योजना	Janta Vidyalaya Scheme to Teach Hindi in Madras ... –	25-26
342 हल्दिया पत्तन का विकास	Development of Haldia Port – ...	26
343 भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम	National Research Development Corporat on of India ... –	26–27
344 बिहार में ग्रामीण सड़कों के लिये एकक	Cell for Rural Roads in Bihar ...	27
345 चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा व्यय में कटौती	Cut on Education during the Fourth Plan –	27–28
346 दिल्ली में लाटरियां चलाना	Floating of lotteries in Delhi ... –	28
347 दक्षिण दिल्ली में विश्वविद्यालय संभाग की स्थापना	Setting up of University Centre in South Delhi...	28
348 अध्यापकों के वेतन मानों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recomendations of Kothari Commission Regarding Pay Scales of Teachers	29
349 सौराष्ट्र सेना का गठन	Formation of Saurashtra Sena	29
350 मद्रास में हिन्दी स्कूल खोलना	Opening of Hindi Schools in Madras ...	30
351 माल भाड़े की दरों को बढ़ाना	Raisiog of Freiget Rates	30–31
352 अल्पसंख्यकों को अधिक रोजगार की व्यवस्था	More employment to Minorities	31–32
353 केरल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Central Government Employees in Kerala	32

354 सफदरजग हवाई अड्डा, नई दिल्ली का स्थानान्तरण	Shifting of Safdarjung Aerodrome, New Delhi...	32–33
355 मध्य प्रदेश में एक ट्रान्समिटर पकडा जाना	Recovery of Transmitter in Madhya Pradesh ...	33
356 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी	I.A.S./I.P.S. Scheduled Caste and Scheduled Tribe Officers	33–34
357 अमरीकी पर्यटन	American Tourists	34–35
358 भारत और रूस के बीच समुद्र द्वारा यात्रा	Sailings between India and USSR	35
359 संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक	Meeting of National Council of Joint Consultative Machinery	35–36
360 पश्चिम बंगाल में राजनैतिक गिरफ्तारियां	Political Arrests in West Bengal	36

अता. प्र. संख्या, U. S. Q. Nos.

2051 हिमाचल प्रदेश की आय और प्रशासनिक व्यय	Revenue and Administrative Expenditure of Himachal Pradesh	36–37
2052 केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात को अनुदान	Grants from Central Road Fund to Gujrat ...	37–38
2053 गुजरात में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Gujarat	38
2054 भारत में शिक्षा	Education in India	39
2055 उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश	Retired High Court Judges	39–40
2056 सांताक्रुज हवाई अड्डे पर शुल्क रहित दुकान	Duty free shop at Santa Cruz Airport	40
2057 लुधियाना में गांधी जी की प्रतिमा को कुरुप करना	Disfiguring of Gandhi's Statue at Ludhiana ...	40–41

अता. प्र. संख्या/U.S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
2058 मध्य प्रदेश में मुख्य मार्ग (एक्सप्रेस हाईवे)	Express Highway in Madhya Pradesh ... –	41
2059 मध्य प्रदेश की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists Visiting Madhya Pradesh –	41
2060 मध्य प्रदेश की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये यातायात पर व्यय	Expenditure on Transport for Tourists visiting Madhya Pradesh – ...	42
2061 पुलिस भवन – निर्माण योजना के लिये ऋण	Loans for police Housing Scheme – ..	42
2062 मध्य प्रदेश में पर्यटन	Tourism in Madhya Pradesh ...	42–43
2063 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती	Recruitment of Schrduled Castes and Scheduled Tribe Candidates to All India Services ...	43
2064 राष्ट्रीय खेलकूद संस्था का स्थानान्तरण	Shifting of National Institute of Sports	44
2065 दक्षिणी राज्यों के लिये फुटबाल का शिक्षक	Football Coach for Southern States –	44
2066 पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय से सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा प्रकाशन आदि	Reports and Publications etc. relating to Tourism and Civil Aviation Ministry ...	44
2067 विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी	Indian Students going Abroad .. –	44–45
2068 काश्मीर के बारे में मीरवायज का सुझाव	Mir Waiz's views for Kashmir Solution... ...	45
2069 विद्यार्थियों को श्रम के महत्व के बारे में समझाना	Inducing of sence of dignity of labour among students	45
2070 उच्च सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Allegations against High Government Officials	46

तारा.प्र.संख्या. /U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.	
2071 मिर्जापुर में गंगा पर पुल	Bridge Over Ganga at Mirzapur	46–47
2072 इलाहाबाद में गंगा पर पुल	Bridge Over Ganga at Allahabad – –	47
2074 समितियों तथा प्रतिनिधि-मंडलों के लिये नाम निर्देशन	Nomination to Committees and Delegations ...	47
2075 खम्बात पत्तन	Cambay Port – ...	47–48
2076 गुजरात के लिये ड्रेजर	Dredger for Gujarat	48
2077 बिहार के मंत्रियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Bihar Ministers	49
2078 इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया के लिये विमान	Aircraft for IAC and Air India –	49
2079 टाटा मर्सडीज बसें	Tata Mercedes Buses	50
2080 केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के विकेन्द्रीकृत प्रशासन में परिवर्तन	Change in Decentralised Administration for Central Secretariat Services	50
2081 लक्कदीव द्वीप समूह में शिक्षा का विकास	Expansion of Education in Leccadive Islands ..	50–51
2082 लक्कदीव द्वीप समूह में बन्दरगाह	Harbour in Laccadive Islands	51
2083 रोजगार और शिक्षा नीति पर गोष्ठी	Seminar on Employment and Educational Policy	51–52
2084 दयाल आयोग का प्रतिवेदन	Dayal Commission's Report	52
2085 दिल्ली में निजी वाहनों के लिये परमिट देने की प्रक्रिया	Procedure for Grant of Permits to Private Vehicles in Delhi	52–53
2086 लेबनान के साथ विमान सेवा करार	Air Agreement with Lebanon	53–54
2087 डा० जार्ज थामस द्वारा अमरीका से धन की प्राप्ति	Receipt of Money by Dr. George Thomas from USA ... –	54

2088	स्वतन्त्रता आन्दोलन के सेनानियों पर पुस्तक	Book on Heroes of Freedom Movement...	54–55
2089	साम्यवादियों की नीति	Communist Strategy	55
2090	नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	Nehru University, New Delhi	55–56
2091	प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of copyright Board	56–57
2092	विदेश भेजे गये प्रतिनिधिमंडल	Delegations sent abroad	57
2093	अश्लील साहित्य का प्रकाशन	Publication of obscene literature	57
2094	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms commission	58
2095	शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालयों के कर्मचारियों के पाकिस्तान में रह रहे सम्बन्धी	Relatives of Employees of Education and Youth Services Ministry living in Pakistan	58
2096	हिन्दी में फार्मों का मुद्रण	Printing of Forms in Hindi	58–59
2097	आसाम के पुनर्गठन के विरुद्ध आन्दोलन	Agitation against Assam Reorganisation ...	59
2098	दिल्ली महानगर परिषद् के स्कूलों में कार्य कर रही महिला असिस्टेंट टीचर	Lady Assistant Teachers working in DMC Schools	59–60
2099	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त करना	Appointment of Senior Research Officers in C.S.T.T. through UPSC. ..	60
2100	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	Scientific and Technical Terminology commission	60–61

2101	मुगल लाइन्स लिमिटेड	Mogul Line Limited	61–62
2102	बम्बई पत्तन के द्वारा विदेशी व्यापार	Foreign Trade through Bombay Port ...	62–63
2103	मद्रास में नया बाहरी बन्दरगाह	New Outer Harbour at Madras ...	63
2104	छोटे पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports ...	63
2105	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में नियुक्तियां	Recruitment to Class III and IV Posts in the Ministry of Tourism and Civil Aviation	63–64
2106	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष	Chairman of Scientific and Technical Terminology Commission	64
2107	विश्वविद्यालय के प्रांगण में विधि तथा व्यवस्था	Law and Order in University Campus	64–65
2108	भारत में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक	Foreign Christion Missionaries in India...	65–66
2109	हिन्दी में आदेश, ज्ञापन आदि जारी करना	Issue of Orders, Memoranda etc, in Hindi ...	66
2110	दिल्ली के लिये एकीकृत नागरिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था	Integrated Civic and Administrative set up for Delhi	66–67
2111	केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी विरोधी वातावरण	Anti-Hindi Atmosphere in Central Secretariat...	67
2112	लाहौल और स्पिति पर प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenditure in curred on Lahaul and Spiti	67–68
2113	संयुक्त पंजाब की सांझी सम्पत्ति में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा	Share of Himachal Pradesh in Common property of Composite Punjab	68
2114	कटक में विस्फोट	Explosion in Cuttack	68

2115	केरल में गुप्त माओ संगठन	Secret Mao Organisation in Kerala	6ʼ
2116	दुर्गापुर में डा० विधान चन्द्र राय की मूर्ति को क्षति पहुंचाना	Damage to Dr. B.C. Roy's Statue in Durgapur	69
2117	अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति न्याय करना	Administration of Justice to Subordinate Staff	69–70
2118	गालिब स्मारक की आधार शिला की चोरी	Theft of Foundation stone of Ghalib Memorial	70
2119	कोटला फीरोजशाह दिल्ली में अशोक स्तम्भ	Ashoka Pillar in Kotla Ferozeshah, Delhi	70–71
2120	काश्मीर में जासूस	Spies in Kashmir	71
2121	प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चुनाव दौरे के दौरान उनकी कार का भीड़ द्वारा घेरा जाना	Mobbing of Prime Minister's Car during Her Election Tour of U.P. and Bihar ...	71
2122	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों की भूख हड़ताल	Hunger strike by U.T. of Chandigarh Employees	72
2123	चण्डीगढ़ झील में डूबने के कारण मृत्यु	Deaths by drowning in Chandigarh ...	72
2124	भारत में सिविल सेवा	Civil Service in India	73
2125	विद्यार्थियों के उपद्रवों की रोकथाम के लिये उप-कुलपतियों को अधिक शक्तियां	More powers to vice chancellors to curb students unrest	73–74
2126	चौथी योजना में शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये संसाधन	Resources for Educational Programme in Fourth Plan	74
2127	मिजो विद्रोहियों के साथ युद्ध विराम समझौता	Cease fire agreement with Mizos ...	74

2128	बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में सलाहकार समितियां, बोर्ड तथा अन्य संगठन	Consultative Committees, Boards and other organisations in Bihar, West Bengal and U.P.	75
2129	विश्वविद्यायल अनुदान आयोग के सदस्यों का कार्यकाल	Tenure of Members of University Grants Commission ...	75
2130	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में असमानता	Disparity in Pay Scales of Primary Teachers ...	75-76
2131	पोलिटेक्निकों के प्रशिक्षको के वेतनमान	Pay Scales of Instructors in Polytechnics	76
2132	पुरातत्वीय वस्तुओं का संरक्षण, परिरक्षण तथा प्रकाशन	Protection Preservation and Publication of the Archaeological Finds	76
2133	पक्की सड़कें	Surfaced Roads	77
2134	डीमापुर (नागालैंड) के लिये विमान सेवा	Air service to Dimapur (Nagaland)	77
2135	आन्ध्र प्रदेश में चलते फिरते पुस्तकालय	Mobile Library in Andhra Pradesh	77-78
2136	दिल्ली विश्वविद्यालय में एल० एल० बी पाठ्यक्रम मे प्रवेश	Admission to LLB course in Delhi ...	78
2137	दिल्ली । नई दिल्ली में कर्मचारियों के लिये स्नातकोत्तर पत्राचर पाठ्यक्रम	Postal Courses in Post Graduate classes for employees in Delhi New Delhi	78-79
2138	गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन	Reorganisation of Department of Intelligence Bureau	79
2139	तमिलनाडु तथा केन्द्र के बीच भाषा सम्बन्धी विवाद	Language Controversy between Tamil Nadu and Centre	79-80

2140	सीमा-सुरक्षा दल के कर्मचारी द्वारा छात्र की कथित हत्या	Alleged Murder of Student by B.S.F. Personnel	80
2141	सीमा-सुरक्षा दल के जवानों द्वारा अपराध	Crime among border security Force	80-81
2142	लद्दाख के निकट विश्राम गृह	Rest Houses near Ladakh	81
2143	बिड़ला हाउस, नई दिल्ली	Birla House, New Delhi	81
2144	दिल्ली में नौसेना पुलिस के पाइलट द्वारा 20 बच्चों का घायल होना	Injury of 20 children in Delhi by Naval Police Pilot	81-82
2145	कर्मचारियों की रिपोर्टों में प्रतिकूल प्रविष्टियां	Adverse entries in roports of employees —	82
2146	कर्मचारियों की वार्षिक रिपोर्टों में प्रतिकूल प्रविष्टियां	Adverse entries in annual reports of employees	82-83
2147	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायकों के लिये प्रवर वेतनमान (सिलेक्शन ग्रेड)	Selection Grade for Assistants in CSS... —	83
2148	भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क की वसूली	Levy at International Airports of India ... —	83
2149	हवाई अड्डों में प्रवेश शुल्क	Levy at Airports	84
2150	बिहार में विधान सभा के एक उम्मीदवार की कथित हत्या	Alleged murder of an Assembly candidate in Bihar	84
2151	आगरा में विस्फोटक पदार्थों का पाया जाना	Explosives recovered in Agra	84-85
2152	पाकिस्तान बर्मा तथा नेपाल के नागरिकों द्वारा सीमा का उल्लंघन	Border Violations by Pakistani, Burmese and Nepalis	85

U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	Pages
2153	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय	Indians abducted by Pakistanis	85-86
2154	पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pakistani Infiltrators	86
2155	पुस्तक छपवाने का कार्यक्रम	Book production programme	86
2156	पारादीप पत्तन की गाद निकालना	Dredging of paradeep port	86-87
2157	'मास्कोज हैंड इन इंडिया' नामक पुस्तक	Book entitled "Moscow's Hand in India" ...	87-88
2158	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया	Shipping corporation of India	88-89
2159	दिल्ली परिवहन उपक्रम की सम्पत्ति को गिरवी रखना	Mortgage of DTU property	89
2160	लक्कदीव संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Laccadive Union Territory Officers	89-90
2161	हिन्द महासागर सम्बन्धी अनुसंधान	Indian Ocean Research	90
2162	सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियम	Amendment to conduct rules for Government Employees	90-91
2163	पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों का पुनर्वितरण	Reallocation of staff due to Punjab Reorganisation	91
2164	पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के बाद कर्मचारियों का पुनर्वितरण	Reallocation by services after Reorganisation of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh ...	91-92
2165	विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा विदेशी मुद्रा की जालसाजी	Exchange racket of Missionaries	92

2166	स्कूल पाठ्य पुस्तकें	School Text Books	92-93
2167	सीमा सुरक्षा दल के लिये भर्ती	Recruitment to Border Security Force	93-94
2168	सरकारी अधिकारियों द्वारा नीति सम्बन्धी वक्तव्य	Policy statement by Government Officials ...	94-95
2169	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	High Court Judges	95
2170	पश्चिमी बंगाल के सिविल अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against West Bengal Civil Servants	95-96
2171	त्रिवेंन्द्रम हवाई अड्डे का विकास	Development of Trivandrum Airport	96
2172	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली	Central Government Employees' Consumer Cooperative Stores, New Delhi	96
2173	इंडियन एयर लाइन्स में यात्रियों की संख्या	Air Traffic on Indian Air Lines	97
2174	गोरखपुर के लिये विमान सेवा की व्यवस्था	Gorakhpur on Air Map	97
2175	विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति	Deteriorating Financial Condition of Universities	97-99
2176	संघ राज्य क्षेत्रों में राजस्व तथा प्रशासनिक व्यय	Revenue and Administrative Expenditure in Union Territories	99
2177	संघ राज्य क्षेत्रों के लिये संसद् सदस्यों की सलाहकार समितियां	Consultative Committees of Members of Parliament for Union Territories	99-100
2178	उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव प्रत्याशी श्री बख्शीश अली की हत्या	Murder of Shri Bakshis Ali, Candidate for Election to U.P. Assembly	100
2179	अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नतियां	Promotion of Scheduled Caste candidates as Section Officers	100-102

2180	मध्य प्रदेश के खजुराहों मन्दिरों की मूर्तियों की चोरी	Theft of Idols of Khajuraho Temples of Madhya Pradesh ...	102
2181	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	National Discipline Scheme	102–103
2182	राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	Construction of Roads on Border Areas in Rajasthan ... —	103
2183	इण्डियन एयरलाइन्स को हुई हानि	Loss incurred by Indian Airlines ... —	104
2184	साम्प्रदायिकता के आधार पर जिलों का बनाया जाना	Creation of districts on Communal basis —	104
2185	भव्य होटल	Luxury Hotels ... —	104–105
2186	मैसूर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Charge against the Former Mysore Chief Minister	105
2187	कैडाला मन्दिर, मैसूर	Kaidala Temple, Mysore	105–106
2188	पुराना किला, दिल्ली	Old Fort, Delhi ... —	106
2189	महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission Report ...	106–107
2190	दिल्ली और खजुराहो के बीच सीधी पर्यटक परिवहन सेवा	Direct Tourist Transport Service between Delhi and Khajuraho — ...	107
2191	महर्षि महेश योगी द्वारा प्रैस को दिया गया वक्तव्य	Press statement by Maharishi Mahesh Yogi —	107–108
2192	मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन	Reports of Evaluation Committee	108
2193	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company ... —	108–110
2194	दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन	Reorganisation of Delhi Police	110
2195	वैज्ञानिक विभागों में सोपानात्मक व्यवस्था	Hierachical system in Scientific Departments	110–111

2197 पटना हवाई अड्डे का विकास	Development of Patna Airport – –	111
2198 गैर-सरकारी जेटियां	Privately owned Jetties	111–112
2199 सरकारी कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस पुरस्कार	Republic Day Awards to Government Servants	112
2200 दिल्ली नगर निगम द्वारा करों में वृद्धि	Increase of Taxes by Delhi Municipal Corporation – ...	112
2201 शैक्षिक संस्थाओं का कार्य	Performance of Educational Institutions ...	112–113
2202 भारतीय सर्वेक्षण विभाग में विभिन्न वेतनक्रम	Different pay scales in Survey of India ...	113
2203 भारतीय सर्वेक्षण विभाग में असैनिक अधिकारियों के स्थान पर सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति	Replacement of Civilian Officers by Army Officers in the Survey of India	113–114
2204 राजधानी में विदेशी पर्यटकों के लूटे जाने और उनके साथ धोखाधड़ी की घटनाएं	Looting and cheating of foreign Tourists in the Capital – –	114
2205 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	National Scholarship Scheme	114–115
2206 मनीपुर के लिये सलाहकार बोर्ड	Advisory Board of Manipur ... –	115–116
2207 मनीपुर के डी० एम० कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं	Post Graduate classes in D.M. College, Manipur	116–117
2208 मनीपुर के गैर-सरकारी कालेजों को अनुदान	Grants to Private Colleges of Manipur ...	117
2209 पुष्पक विमान	pushpak Aircrafts	117–118
2210 तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन	Changes Regarding Technical Diploma ourses	118 119
2211 सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति	Compulsory Retirement of Government Officials	119–120

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
2212 भारतीय स्मारक	Indian Monuments	120
2213 अहिन्दी भाषी राज्यों का सम्मेलन	Conference of non-Hindi States ...	120
2214 हवाई अड्डों पर जांच पड़ताल	Checks at Airports	121
2215 रोजगार देने में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता	Preference to Local People in Employment ..	121–122
2216 पालम हवाई अड्डे पर शुल्क-मुक्त दुकानें	Duty Free shop at Palam Airport	122–123
2217 वैज्ञानिकों में बेरोजगारी	Unemployment among scientists	123
2218 अंग्रेजी आशुलिपि के शिक्षकों के वेतनक्रम	Pay scales of English Stenography Instructors	124
2219 हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV school employees of Himachal Pradesh	124–125
2220 हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के भवनों के प्रधानाध्यापकों का निवास	Headmaster residing in the School building in Himachal Pradesh	125
2222 वर्ष 1968 में लन्दन सिडनी कार दौड़ में हुई दुर्घटनायें	Accident during carathon 1968	125
2223 हिमाचल प्रदेश में श्री बलदेव सिंह की हत्या	Murder of Baldev Singh in Himachal Pradesh	125–126
2224 हिमाचल प्रदेश में श्री बलदेव सिंह की हत्या	Murder of Buldev Singh in Himachal Pradesh	126
2225 प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission's Reports	126–127
2226 राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 और 42 को मिलाने वाली संयोजक सड़क	Link Road for National Highway Nos. 5 and 42	127

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
2227 प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पूरी करने के लिये ब्रिटिश सहायता	U.K. assistance to overcome need of trained teachers	127–128
2228 अलिटालिया एयरलाइन्स द्वारा होटलों की स्थापना	Hotels by Alitalia	128
2230 मुहम्मद फारूक का पाकिस्तान जाने का निवेदन	Moulvi Mohammad Farooq's Request to visit Pakistan	128–129
2231 चतुर्थ योजना में भारतीय नौवहन का लक्ष्य	Target for Indian Shipping in Fourth Plan ...	129
2232 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियां	Activities of R.S.S. in Banaras Hindu University	129
2233 प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में विज्ञान	Science as Integral Part of Primary and Secondary Education	130
2234 राष्ट्रीय राजपथ	National Highwayys	130
2235 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory primary education in States ...	130–131
2237 हिमाचल प्रदेश में बलदेव सिंह की हत्या	Murder of Baldev Singh in Himachal Pradesh	131
2238 ग्रामीण संस्थाएं	Rural Institutes ...	131–132
2239 बुनियादी शिक्षा	Basic Education	132
2240 पटना में दंगे	Disturbances in Patna	132
2241 भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन विरुद्ध किये जाने पर मुआवजा	Compensation for Detention under DIR ..	132–133
2242 हरिजनों पर अत्याचार	Atrocities on Harijans	133
2243 संयुक्त सलाहकार व्यवस्था द्वारा विचारे गये मामले	Issues considered by Jaint Consultative Machinery	133–134

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
2244 विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप	Interference in Autonomy of Universities ...	134–135
2245 इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का कार्य संचालन	Performance of IAC ...	135
2246 दिल्ली प्रशासन द्वारा धन का दुर्विनियोग	Misappropriation of Funds by Delhi Administration – ...	135–136
2247 लन्दन से सिडनी तक की कार दौड़ के लिये दी गई सुविधाओं पर व्यय	Expenditure on Facilities for Car Race from London to Sydney – ...	136–137
2248 इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों को बेरोजगारी भत्ता	Unemployment Allowance to Engineering Graduates and Diploma Holders	137–138
2249 विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	138
2250 उड़ीसा पदालि के भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध आरोप	Charges against I.P.S. Officers of Orissa Cadre	138–139
सभा का कार्य	Business of the House	139
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	140–141
कार्य-मंत्रणा समिति के 30 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Thirtieth Report of Business Advisory Committee	142–144
सामान्य आय – व्ययक, सामान्य चर्चा–जारी	General Budget-General Discussion Contd ...	144–151
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida ... –	144
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee – ...	146
श्री भगवती	Shri Bhagavati – ...	149
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 309 का प्रतिस्थापन)	Indian Penal Code (Amendment) Bill (Substitution of section 309) – ...	151
श्री वीर भद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	151

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी	Constitution (Amendment) Bill - Continued	152
(अनुच्छेद 80 और 171 का संशोधन)	(Amendment of articles 80 and 171) ...	152
श्री चं० चु० देसाई का	C.C. Desai	152
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	152
राजनीतिक दल लेखा प्रकाशन विधेयक	Publication of Political Party Accounts Bill ...	152
श्री श्रीचंद गोयल	Shri Shri Chand Goyal ...	152
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	152
श्री श्रीचंद गोयल	Shri Shri Chand Goyal ..	152
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	155
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	Shri Arjun Singh Bhadoria ...	156
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	156
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	157
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee --	158
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	159
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu — ...	160
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayan Rao	161
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	162
श्री ए० श्रीधरण	Shri A. Sreedharan ...	164
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ...	166
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	167
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan .. —	167
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	168
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon — ...	169
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	Re. Half an hour discussion ...	170

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 7 मार्च 1969/ 16 फाल्गुन, 1890 (शक)
Friday, March 7, 1969/ Phalguna 16, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली में विदेशियों को शराब उपलब्ध की जाना

*333. **श्री बे० कु० दास चौधरी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली में विदेशियों को निषिद्ध दिनों (ड्राइ डेज) में शराब दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन नियमों के अन्तर्गत गैर-भारतीयों को शराब दी जाती है, उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या यह सच है कि अशोक होटल का दिन 10 बजे म० प० पर पूरा समझा जाता है जिसके पश्चात् नया दिन आरम्भ समझा जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह प्रथा भारत में अथवा अन्य देशों के किसी होटल में प्रचलित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस होटल में इस नई प्रथा के अपनाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों के अधीन ।

(ख) आदेशों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति-लिपि सभा पटल पर रखी जा रही है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 240/69]

(ग) जी, नहीं। भूतकाल में दिन की अन्तिम पारी रात्रि के दस बजे समाप्त हुआ करती थी और उसके बाद अगले दिन के लिये नई पारी प्रारम्भ होती थी। रात के दस बजे के बाद बनाये गये वाउचरों इत्यादि पर अगले दिन की तारीख दी जाती थी। इस प्रथा को अब बन्द कर दिया गया है। अब नई तारीख मध्य रात्रि के बाद बदली जाती है।

(घ) ज्ञात नहीं।

(ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : हमें जो उत्तर दिया गया है उसके अनुबन्ध 5 में कहा गया है :

"अब यह तय किया गया है कि उक्त लाइसेन्स के अन्तर्गत दी गई पृथक कमरे के प्रयोग की सुविधा की अपने विदेशी अतिथियों का आतिथ्य सत्कार करने के लिये होटल में रहने वाले भारतीयों को तथा अपने भारतीय तथा विदेशी अतिथियों का आतिथ्य सत्कार करने के लिये होटल में रहने वाले विदेशी यात्रियों को भी अनुमति दी जाये।"

जिला उत्पादन शुल्क अधिकारी ने आगे कुछ ढील देते हुए कहा है कि :

"आप कृपया अपना लाइसेन्स एल-5 इस कार्यालय में भेज दें ताकि उसमें जल्दी ही आवश्यक शर्त शामिल कर दी जाये।"

यह भी कहा गया है कि :

"यह तय किया गया है कि उन सुविधाओं को जो फिलहाल विदेशी पर्यटकों तथा आपके होटल में रहने वाले भारतीयों एवं उनके अतिथियों को उनके अलग-अलग कमरों में उपलब्ध है उन्हें आपके होटल के डाइनिंग रूम में भी उपलब्ध किया जा सके। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं है। क्या अशोक होटल वालों ने कोई उत्तर भेजा अथवा नहीं ? यहां पर दी गई जानकारी पूरी नहीं है। जब तक यह नहीं, मैं अपना अनुपूरक प्रश्न कैसे कर सकता हूं।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं ठीक प्रकार से जानता नहीं हूं कि माननीय सदस्य को क्या जानकारी चाहिए ? तथ्य तो यह है कि अशोक होटल, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों पर अमल कर रहा है। माननीय सदस्य को यदि कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : 11 जनवरी, 1969 के दैनिक समाचार-पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा है कि दिल्ली प्रशासन ने अशोक होटल को नोटिस दिया है कि वह बताये कि उसने मद्य पेय परोसने के नियमों का क्यों उल्लंघन किया है और निषिद्ध दिनों को ऐसा क्यों किया है ? नियमों के अनुसार केवल विदेशियों को मद्य पेयों को परोसा जा सकता है। क्या

माननीय मन्त्री बतायेंगे कि इन पाबन्दी लगाने वाले कानूनों का वहां पर उल्लंघन होता है ? निषिद्ध दिनों को भारतीयों को भी वहां मद्य पेयों को परोसा जाता है । इस प्रकार नियमों की अवहेलना की जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० कर्ण सिंह : यह घटना 12 अगस्त की है । उस समय 10 बजे रात के बाद के बिलों पर अगले दिनों की तिथि डाली जाती थी । एक भारतीय 10 बजे के बाद आया और उसके बिल पर अगले दिन की तिथि डाली गई थी । परन्तु ऐसे हुआ कि अगले दिन निषिद्ध दिन था । दिल्ली प्रशासन ने इसके ऊपर आपत्ति उठायी है और होटल को 15,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया । होटल ने इसके विरुद्ध अपील दायर की है । इस घटना के बाद आधी रात के बाद तिथि बदलने की प्रथा आरम्भ कर दी गई है ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या इस बात की अनुमति है कि सरकार और होटल वस्तु परोसा तो एक दिन जाये परन्तु उसका बिल आगामी दिन की तिथि में जारी किया जाये । क्या सरकार ने इस बारे में उल्लघन न किये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं । ऐसा उन्होंने बताया है ।

श्रीमती सावित्री श्याम : यह केवल सरकारी होटलों में ही नहीं, बल्कि प्रतिरक्षा विभाग की कांटीनों में भी 10 बजे रात के बाद निषिद्ध दिनों को मद्य पेय परोसे जाते हैं । मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार समूचे देश में सभी सरकारी होटलों और प्रतिरक्षा विभाग की कांटीनों को हिदायतें जारी करेगी कि निषिद्ध दिनों सम्बन्धी का कतई उल्लंघन नहीं होना चाहिये ।

डा० कर्ण सिंह : मेरा सम्बन्ध तो केवल मेरे मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के होटलों से है । उन्हें आदेश जारी कर दिये गये है कि नियमों का ठीक प्रकार से पालन किया जाये । प्रतिरक्षा विभाग की कांटीनों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री स्वैल : मैं बताना चाहता हूँ कि देश में शराब सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन हो रहा है । इनके कारण बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत नहीं आते । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार अपने होटलों में इन नियमों को समाप्त कर देगी ?

डा० कर्ण सिंह : हमारी यह नीति है कि जहां तक सम्भव हो विदेशी पर्यटकों पर लगी सभी रोकों को समाप्त किया जाये । कुछ नियमों में तो ढील दे दी गई है ।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या यह सच है कि इस कारण भारतीय लोगों में भी इस होटल में विदेशियों की अतिथि बनने का प्रभोलन है ? क्या अलग कमरे में केवल विदेशी शराब परोसी जाती है अथवा देशी शराब भी उपलब्ध की जाती है ?

डा० कर्ण सिंह : नियमों के उल्लंघन करने की प्रवृत्ति सदैव रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि नियम ही समाप्त कर दिये जायें। मैं स्वयं शराब नहीं पीता हूं, इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य की यदि रुचि है तो मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : क्या ये सभी प्रतिबन्ध बाहर के ही लोगों पर लागू होते हैं अथवा ये संसद सदस्यों और मन्त्रि-परिषद पर भी लागू होते है।

डा० कर्ण सिंह : देश के कानून सभी व्यक्तियों पर लागू होतें है।

National Geophysical Research Institute

*334. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether the National Geophysical Research Institute has developed an instrument which is able to detect underground water easily;

(b) whether the said Institute has suggested any scheme to conduct a survey of the water resources of the country; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) संस्थान ने कुछ बिजली के प्रतिरोधात्मक मीटर और भूकम्प टाइमर्स बनाये हैं। इन यन्त्रों से स्थलमंडल स्तर की बिजली के और प्रत्यास्थ गुणों की जानकारी मिलती है। अनुकूल परिस्थितियों में इस सूचना को प्रकृति और भूमिगत जल की सीमा के लिए निर्वचन किया जा सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Maharaj Singh Bharti : The claimate of our country is such that we require ample water for irrigation purposes. A chart should be prepared, after conducting a survey of underground water. I want to know why Government is not taking up this matter ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि भूमिगत जल का बहुत महत्व है। भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को यह कार्य सौंपा गया है। उनके चार क्षेत्रीय डिवीजन भूमिगत जल के बारे में कार्य करते हैं। उनके बाद खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का खोज करने वाला नलकूप संगठन देखता है कि क्या वास्तव में जल निकाला जा सकता है ? भूभौतिकी अनुसन्धान संस्था सर्वेक्षण करने वाला संगठन नहीं है। यह तो भूत्तवीय सर्वेक्षण विभाग को तकनीकी सलाह देता है।

Shri Maharaj Singh Bharati : When a question is put to a certain Minister it is put to Government. He should have consulted the concerned Ministry in this regard

I want to know whether there is any coordination between concerned Ministeries and departments, so that a five year master plan could be finalised and this water could be used for irrigation. I want to know whether Government can give an assurance that by a certain date survey of the entire country would be completed and a chart for the entire country would be prepared ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : अच्छा होता कि मैं इस आश्वासन देने की स्थिति में होता । अब तो मैं केवल यह कह सकता हूँ कि मैं सम्बन्धित विभागों से बातचीत करूंगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Why nothing has been done so far ?

डा० वी० के आर० वी० राव : मुझे इसकी जानकारी नहीं थी । मैं इस बारे में शिक्षा मन्त्रालय के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और कृषि मन्त्रालय के विभाग से कहूंगा कि समनव्य रखें और भूमिगत पानी के बारे में एक योजना बनायी जाये ।

श्री विश्वनाथ राव : क्या किसी राज्य सरकार ने भू-भौतिकी संस्था की सेवाओं को उपयोग में लाने की मांग की है; यदि हां, तो इस बारे में कार्यवाही की जा रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राय : किसी संगठन ने भूभौतिकी संगठन से सर्वेक्षण करने की माँग नहीं की, परन्तु इसके द्वारा तैयार किये गये उपकरणों मैसूर सरकार के भूतत्वीय विभाग द्वारा भूमिगत पानी के सर्वेक्षण कार्य में प्रयोग में लाये जा रहे हैं ।

केन्द्र पर निगम की बकाया राशि

\+

335. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के कुछ पार्षद द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि यदि आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार निगम की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दे तो राजधानी में नये कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है,

(ग) कौन-कौन से कर बकाया है और कुल राशि कितनी है; और

(घ) इन राशियों के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं और राशि के भुगतान में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (घ) : बताया जाता है कि दिल्ली नगर निगम में नगर बजट पर विचार-विमर्श के दौरान कुछ पार्षदों ने कुछ ऐसा वक्तव्य दिया था जिसका उल्लेख प्रश्न के भाग (क) में किया गया है ।

2. नगर निगम द्वारा किये गये दावे निम्नलिखित मदों की बकाया राशियों के बारे में किये गये थे :—

(क) मोटर गाड़ियां कर;

(ख) मनोरंजन कर;

(ग) शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए सहायक अनुदान; तथा

(घ) दिल्ली में सरकारी सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर, सफाई आदि शुल्क ।

मोटर गाड़ी कर तथा मनोरंजन कर की शुद्ध प्राप्तियों की बकाया रकम के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम को 69.812 लाख तथा 12 806 लाख रुपये क्रमश: दिये जाने हैं । इस रकम का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना हैं । मनोरजन कर की बकाया रकम के लिए 21.720 लाख रुपये का भी एक दावा है तथा आगामी वित्तीय वर्ष में लेखा-परीक्षा में स्वीकार करने के पश्चात इसके भुगतान की सम्भावना है । शिक्षा अनुदान की बकाया रकम के सम्बन्ध में 26.34 लाख रुपये का निगम का दावा विचाराधीन है, क्योंकि इसमें से अधिकांश समर्थनीय प्रतीत नहीं होते हैं । स्पष्ट रूप से दावा तर्कसगत नहीं है फिर भी इस दावे पर सरकार का अन्तिम निर्णय शीघ्र ही घोषित कर दिया जायेगा ।

3. मोटर गाड़ी कर की बकाया रकम के भुगतान के सम्बन्ध में विलम्ब तथा कर में प्रत्येक निकाय के भाग के निर्धारण में विलम्ब के कारण मुख्यत: निम्नलिखित थे : —

(1) स्थानीय निकायों में मोटर गाड़ी कर के वितरण के अनुपात का निर्धारण ।

(2) दिल्ली मोटर गाडी कर अधिनियम, 1962 की धारा 20 का दिल्ली छावनी बोर्ड को इस कर की शुद्ध प्राप्तियों में भाग प्राप्त करने के लिए संशोधन ।

(3) परिवहन निदेशालय, दिल्ली की सिब्बंदी पर कुल व्यय के पेंशन सम्बन्धी शुल्क के उचित प्रतिशत का निर्धारण ।

(4) इस वर्ष अभी हाल में निगम ने भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों पर 112.48 लाख रुपये का दावा भेजा है । यह दावा दिल्ली में सरकारी सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर सफाई आदि शुल्कों के बारे में है । सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा इस दावे पर गौर किया जा रहा है ।

(5) निगम ने 7 करोड़ रुपये से अधिक बकाया देना है । सरकार पर लगभग 2 करोड़ रुपये के दावे हैं । देनदारियों का आयाम फिर भी अधिक होगा चाहे सभी दावे स्वीकार कर लिए जाये और सरकार द्वारा उनका भुगतान कर दिया जाय । अत: यह दृष्टिकोण कि यदि सरकार सभी बकाया रकमों का भुगतान कर देती है तो किसी नये कर की आवश्यकता नहीं है, सही नहीं है ।

Shri Yajna Dutta Sharma: The hon. Minister has said in his statement that Delhi Administration owes Rupees seven crores. The Minister is aware that this amount became due before Ist April, 1967 when the Congress Party controlled Delhi Administration. Now the Center owes both to Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation. Reddy Commission and Morarka Committee had suggested to the Center to give an adhoc grant of Rupees two crores and an interest free loan of Rupees six crores. I would like to know what decision has been taken in this regard.

The Central Government pays 75 percent service charges for the unkeep of Central property by Delhi Administration. The Morarka Committee has recommended to raise this amount to 100 per cent. I would like to know when the amount due to Delhi Administration will be paid by the Central and whether Government will give the financial aid in accordance with the recommendations of Reddy Commission and Morarka Committee.

Shri Vidya Charan Shukla : The statistics given by me are those supplied by Delhi Municipal Corporation. Even if those statistics are admitted to be correct, the Central Government owes to the Corporation Rs. two crores only wher as the later owes Rupees seven crores to the former. The recommendations of Morarka Committee are being discussed with Delhi official and a decision will be taken in consultation with them.

Shri Yajna Dutt Sharma : May I know whether the recommendations of Reddy Commission were approved by the Home Ministry but later on when administration of Delhi passed into the hands of another party, that decision was revoked ? I would also like to know whether the question of liability of Center to the Corporations and the liability of the corporation to the Centre will be settled by holding talks with the Corporation ?

Shri Vidya Charan Shukla : The Reddy Commission has submitted only an interim report and not final report to the Government. Before any decision could be taken thereon, Morarka Commission was appointed to go into the whole question. The report of Morarka Commission was received two or three months ago and we are actively considering the Report. This is a matter between Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation and their officers hold talks in regard thereto. The matters are sometimes referred to us for explanation and direction and we give explantion and directions as we deem fit. We want the matter to be settled as early as possible.

Shri Hardayal Devgun I would like to know the reason why the interim report of Reddy Commission recommending Rs. two crores as ad-hoc grant Rs. six crores as interest free loan was not implemented ? The recommendations of Morarka Commission regarding settlement of claims and payment were not implemented but the recommendation relating to cut in grants was implemented. New Delhi Municipal Corporation owes an amount of Rs. 1.50 crores to Delhi Municipal Corporation. The Government has asked N. D. M. C. to make an adhoc payment of Rs. 50 lakhs. The corporation is willing to accept the Minister as an arbitrator. I would like to know the reason why the Government does not arrange for payment by N. D M C. to the Corporation.

Seri Vidya Charan Shukla : As I have already Said, no decision has been taken on the interim report of Reddy Commission.

An hon. Member : Why ?

Shri Vidya Charan Shukla: While the report was being considered, Dr. Gopal Reddy was appointed the Governor of Uttar Pradesh. He could not therefore ,complete his work. There after Morarka Commission was appointed, which reconsidered the whole commission. The report of that commission is under consideration. So for as the dispute between N D M. C. and M. C. D. is considered, we have been neutral. We have been trying to see that the matter is settled at the earliest. It is an old dispute. It is wrong to suggest that this dispute has arisen as a consequence of any political change

Shri Balraj Madhok : I am astonished to see that the Minister is trying to prove his innocence. The Government did not implement the interim report of Reddy Commission. The report of Morarka Commission has been before them for three months.

Delhi is the capital of the nation and the Center has a special responsibility towards Delhi. It is not the duty of Central Government to consider and implement the report of their own man expeditiously ? The Minister has said that the Corporation owes seven crores of Rupees but it has not given any details thereof. I would like to know whether Delhi Administration had asked for Rupees one crore from the Government which was agreed to by Planning Commission, Home Ministry and Finance Ministry. The amount was asked for converting dry latrines into wet latrines and preventing the polluted drain water from flowing into Jamuna. The Finance Minister and the Home Ministry had agreed to provide money for those schemes and after the schemes were put into operation, the payment has been refused.

Shri Vidya Charan Shukla : I am equally astonished to hear the question of the hon member. I have already said that the report of Morarka Commission was discussed with the Mayor of Delhi and other officers. The hon. Member knows that these are complicated matters, which cannot be decided so soon.

I am not aware of the grant of Rs. 84 lakhs which the hon. Member has referred to. If he asks a separate question in regard thereto, I will reply it then.

Shri Balraj Madhok : I have got full correspondence in this regard and if he wants, I am prepared to lay it on the Table of the House. The Home Ministery and Finance Ministry have approved schemes costing Rs. 84 lakhs, but money is not being given to Delhi.

Shri Vidya Charan Shukla : I require notice for that.

श्री रंगा : क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं होगा कि जब भी इस प्रकार के मामले उठें तो एक के बाद दूसरी समिति नियुक्त करने की बजाय कोई स्थायी कानून बनाया जाये जिसके अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन जैसे क्षुब्ध प्राधिकार को यह मामला उस न्यायाधिकरण के समक्ष उठाने का अधिकार हो। एक के बाद दूसरी समिति नियुक्त करने के बाद भी सरकार किसी प्रकार का निर्णय करने में तीन महीने से अधिक लगा रही है, क्या अगले सामान्य चुनाव से पहले कोई निर्णय किया जायेगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने इसका स्पस्टीकरण पहले ही कर दिया है। खेद की बात है कि यह प्रभाव डाला जा रहा है कि राजनीतिक मतभेद के कारण विलम्ब किया जा रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह दस बारह वर्ष पुराने वाद-विवाद हैं। मैं श्री रंगा के इस विचार से सहमत हूं कि कोई ऐसा साधन बनाया जाना चाहिये जिसके आधार पर यह मामला निपटाया जा सके। इसी प्रयोजन के लिये रेड्डी आयोग नियुक्त किया गया था और क्योंकि वह अपना कार्य पूरा नहीं कर सके इसलिये एक और व्यक्ति को इसके लिये नियुक्त किया गया था। अब उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। उसी आधार पर राशि दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम के बीच बांटी जायेगी। हम इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : There is no Assembly for Delhi and you are not permitting us to raise questions here. What is the use of our being Members.

Shri Ram Gopal Shalwale : I have tried to ask question thrice, but you have not permitted me. As a protest, I leave the House.

(इसके पश्चात् श्री राम गोपाल शालवाले सभा से उठकर चले गये)

(Shri Ram Gopal Shalwale then left the House)

Selection of High Court Judges

*336. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the reasons for not associating the public Service Commission with the selection of persons as High Court Judges;

(b) whether in the present system there is no scope for partiality or for ignoring qualifications; and

(c) if so, the remedial steps proposed by Government to remove this lacuna ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख): उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 में की गई व्यवस्था के अनुसार की जाती है जिसके अनुसार लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां मूलत: गुणों के विचार पर की जाती है। अत: पक्ष-पात या योग्यता की अपेक्षा का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker it has been stated in the report of the Law Commission appointed by Government that the appointments of Judges are also made on consideration other than qualifications. The other consideration is the political consideration. Because the complaint has been made by Congress Members that is why I am giving you an example of this other consideration. Delhi courts were under Punjab High Court. When a High Court was established in Delhi, the judges were brought from Punjab Mr. Justice Daya Krishan Mahajan was the seniormost judge in Punjab High Court. But Shri Hans Raj Khanna was brought from there and he was sounded that he would sent to Orissa to enquire into the case of Shri Biju Patnaik and that he should give judgement in their favour. He was given this allurment. He became the Chief justice here, whereas the senior judge in Punjab High Court remained what he was before.

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्वयं एक आपत्ति है। माननीय सदस्य ने एक न्यायाधीश पर आक्षेप किया है, जो कि न केवल एक साधारण अपितु एक गम्भीर आक्षेप है, क्योंकि यह कहना उन्हें कुछ विशेष निर्णय देने के लिये यहां लाया गया, एक गम्भीर आक्षेप है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, I advise Shri Tyagi that he should not mention any name. He should talk about the principle.

श्री रणधीर सिंह : न्यायधीशों की नियुक्ति का संविधान में विशेष उपबन्ध है।

श्री एस० आर० दामानी : श्री त्यागी के आक्षेपों को सभा की कार्यवाही के वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, I agree that it is not proper to mention any name here and I express regret for that But the fact remains that the appointments of judges are made from political point of view. It has been envisaged in our Constitution that judiciary should be kept about party politics. It is the duty of all of us to preserve the integrity of the judiciary. The law Commission has pointed out that the appointment of judges are made also on other consideration than qualification. I want to know what efforts are being made by Governmet to remove this lacuna ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट और गारन्टी के साथ कहता हूं कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर की जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि शायद श्री रंगा मेरी बात से सहमत नहीं, परन्तु मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है । न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह स्वय एक गारंटी है कि उनकी नियुक्ति में पक्षपात न हो । जब कभी किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थान खाली होता है तो उस राज्य के उच्च-न्यायालय द्वारा प्रथम सिफारिश की जाती हैं और फिर राज्यपाल की सलाह से मुख्य मंत्री करता है । इसमें क्या गलती है ।

श्री रंगा : यही तो गलती है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसमें कोई गलती नहीं है । यदि वह किसी ऐसे नाम की सिफारिश करता है, जिस की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई है, तो उसे अपनी सिफारिश पुनः मुख्य न्यायाधीश के पास उसकी टिप्पणियों के लिये भेजनी होती है और फिर वे सिफारिशें भारत सरकार के पास भेजी जाती हैं, जो कि भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह से अन्तिम निर्णय लेती है । माननीय सदस्य की शिकायत, यदि मैंने उनकी बात को ठीक समझा है, तो यह है कि न्यायधीशों की नियुक्ति करते समय हम उनकी राजनीतिक विचारधारा पर विचार नहीं करते है । मैं इस सम्बन्ध में क्या कर सकता हूं । यदि उनका यह विचार है तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता ।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker. I have stated it very categorically that it is not a question of any particular political party. The Congress have no contract to rule the country for ever. Tomorow the power may go in the hands of any other political party So it is the duty of all of us to check it, if there is any political consideration in the appointment of judges. The Home Minister has just now admitted that the Governor makes his recommendation with the consultation of the Chief Minister of the State. There is no mention of the Chief Minister in Article 217. The hon. Minister has just now admitted that the Chtef Minister is consulted. So I want to know why Chief Minister is consulted, when there is no provision in the Constitution ?

श्री रंगा : "राज्यपाल" शब्द का अर्थ "मुख्य मंत्री" है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह प्रश्न संविधान को ठीक ढग से समझने का है । जब "राज्यपाल" शब्द का उल्लेख है, तो यह स्वभाविक है कि "मुख्य मत्री" भी उसमें शामिल है ।

श्री बलराज मधोक : कल जो बहस होने वाली है उसमे आप कहेंगे कि राज्यपाल और मुख्य मंत्री में फर्क है । इस मामले मे भी उस फर्क को समझा जाना चाहिये ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जिस मामले में इन दोनों में अन्तर है, उसमें अन्तर है और जिस मामले में अन्तर नहीं है, उसमें नहीं है । मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

Shri Chandra Jeet Yadav : May I know whether the attention of the Government has been drawn to the complaints made by the Chief Justices that the leading and capable advocates often decline the offer of Judgeship of the High Courts, because the salary and other facilities given to the High Court Judges are not in accordance with their qualifications and whether the attention of the Government has also been drawn to the demands made by the Chief Justices that more salary should be given to the High Court Judges and more facilities should be given to them and if so the steps being taken by the Government in this regard ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी हां, न्यायधीशों की सेवानिवृति की आयु बढ़ाने उनकी पेंशन तथा सेवा की शर्तों में सुधार करने के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । वे प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं । यदि किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया जायेगा, तो हम उसे सभा के सामने लायेंगे, क्योंकि इसके लिये संविधान में संशोधन करना होगा । इस मामले के बारे में मेरा विचार विभिन्न ग्रुपों के नेताओं से विचार विमर्श करने का है क्योंकि ये प्रस्ताव नगरपालिका से सम्बन्धित हैं, इसलिये इन्हें सब राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होना चाहिये । इसी सत्र के दौरान मैं सब ग्रुपों के नेताओं की एक बैठक बुलाना चाहता हूं ।

Shri Madhu Limaye : There can not be two opinions about it that the appointment of judges should be on the basis of merit only and the sanctity and impartiality of the Courts should be upheld. All efforts should be made in this direction. But I want to draw the attetion of the hon. Minister to a judgement given by Calcutta High Court, in which the Raja of Ramgarh was a party. The judgement reads, "The posting of a Minister vis-a-vis the State re-umbles the position of a trustee.....It is clear from the record that he used his power and authority in the withdrawal to further his own interest in the appeal... In our opinion, the application for the withdrwal was in substance, an application by the Raja Bahadur, one of the respondents in the interest of himself and other contesting respondents."

This judgement of the Calcutta High Court had been upheld by the Suprem Court by eight judges. Article 144 says, "All authorities Civil and judicial should act in the aid of the Supreme Court "

Now the Raja of Ramgarh is going to be the Chief Minister of Bihar. So I want to know how the sanctity of High Court will be upheld.

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister is not replying to my question. I have quoted Article 144 which says, "All authorities Civil and judicial shall act in aid of the Supreme Court". The Chief Minister of Bihar and the Central Home Minister are also authorities.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे प्रजातन्त्र के लिये एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना परमावश्यक है । परन्तु न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाये

रखने के लिये राजनीतिक प्रशासन ने 'मुझे न छोड़िये' का जो रवैया अपनाया है, वह सही नहीं है। वर्तमान गृह कार्य मंत्री के जब वह महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय में मराठावाड़ से एक भी न्यायाधीश नहीं था तथा इस मामले में उन्हें अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ी थी। क्या इस तथ्य से कि बम्बई उच्च न्यायालय में सौ वर्षों तक एक भी मराठा न्यायाधीश नहीं था इस बात का संकेत नहीं मिलता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के वर्तमान तरीको जिसमें नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर होती है जारी रखा जाये अथवा इसके स्थान पर अमरीकी पद्धति अपनाई जाये ? अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जो कि अमरीकी समाज की तत्कालीन विचारधारा के अनुकूल नहीं था तो उस समय अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा था कि वे उच्चतम न्यायालय का विस्तार करेंगे तथा और न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, जो कि वर्तमान परिस्थितियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं को समझ सकें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस प्रश्न का मैं क्या उतर दे सकता हूं ?

श्री लोबो प्रभु : प्रजातन्त्र के अवतार मौंटिस्कूयू ने कहा था कि कार्यपालिका, विधायिनी तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतन्त्र होना चाहिये। परन्तु सविधान के अनुसार हमारी वर्तमान सरकार का जो स्वरुप है उसमें विधायिनी और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गृह मत्री ने जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया है उसके अन्तर्गत न्यायपालिका भी कार्यपालिका से जुड़ी हुई है तथा यह तथ्य न केवल विधि आयोग अपितु उन सब व्यक्तियों को मालूम है जिन्होंने इस मामले का अध्ययन किया है कि यह प्रक्रिया विफल रही है। मैं स्वयं गृह सचिव था तथा मुझे ज्ञात है कि कुछ नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं। अतः मैं माननीय मत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह संविधान में संशोधन करने पर विचार करेंगे ? दूसरे यदि वह संविधान में संशोधन नहीं करना चाहते, तो क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कोई मानदण्ड निर्धारित करेंगे ताकि जनता के मन में जो यह सन्देह पैदा हो रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां योग्यता के आधार के अतिरिक्त अन्य आधार पर की जाती है, उसे दूर किया जा सके। क्योंकि न्यायपालिका इस प्रजातन्त्र की एक मात्र रक्षक है और इसके विफल होने पर प्रजातन्त्र विफल हो जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य के प्रश्न का मैं पहले ही उनर दे चुका हूं। सविधान में सशोधन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। मैं समझता हूँ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का भी कुछ हाथ होना चाहिये। यह कहना गलत है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का कोई हाथ नहीं होना चाहिये। मैं इस मत से सहमत नहीं हूं।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, there are definite rules for the selection of Judges. The Governor recommends in consultation with the Chief Minister and thereafter appointment is made by the President. These are three concerned authorities according to our Constitution. Do you think that the appointment of judges should be made in consultation with peons, kuronis and kumahars and whesover he may be ? Public Service Commission is considered as the highest authority in our country, but it is lower than the judiciary. We have given highest place to the judges. I want to know from the hon. Minister whether by bringing a new formula, he is ready to amend the Constitution ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Ram Charan : Mr. Speaker, the executive has been corrupted, the Administration has been corrupted and it is only judiciary, where one can get justice. But during the last few years the Judges have been appointed for giving political asylum. Certain persons are appointed as judges ighoring the fact, that they do not have even one day's experience of High Court in their credit. Therefore, I want to know from the hon. Minister whether he would modify the Law Commission in such a way as while appointing the judges of High Court the qualification and the experience of the persons likely to be appointed should be well considered ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि हमारी वर्तमान न्यायापालिका में सत्यनिष्ठा है, इससे जो शिकायत वह कर रहें हैं वह समाप्त हो जाती है । अत: न्यायाधीशों की नियुक्ति के वर्तमान ढंग को बदलने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मन्त्री महोदय को इस की सूचना मिल गई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 'केन्डू लीवर आर्डर' के सम्बन्ध में वर्तमान उड़ीसा सरकार के विरुद्ध गम्भीर आलोचना की थी ? राज्य के राजकोष में एक करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित है । आप प्रश्न पूछना चाहते है अथवा श्री मधुलिमये के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं ? आप यह अलग से कर सकते हैं ।

Shri Madu Limaye : Who would like to became a judge when such a atmosphere prevails ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आप ही ने प्रथा चलाई है, आपने अपने मुख्य मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया । उस आलोचना के सुनने के बाद भी उड़ीसा सरकार का क्या एक दिन को भी बने रहना उचित होगा ?

श्री श्रीचंद गोयल : माननीय मन्त्री महोदय ने श्री त्यागी के प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया था कि गृह-कार्य मन्त्री द्वारा नियुक्त किये गये विधि आयोग ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के विवरण में टिप्पणी की है कि उनकी नियुक्ति में गुण व गुणों के अतिरिक्त चीजों को ध्यान में रक्खा गया है । मैं भी मन्त्री महोदय को यह सूचित करना चाहता हूं कि बहुतसी बारों के चोटी के एड़वोकेटों की उपेक्षा कर दी जाती है तथा अन्यों को नियुक्त कर दिया जाता है । कौन व्यक्ति चोटी के एड़वोकेट हैं, यह जानने के लिए क्या उनकी 5 या 10 वर्ष की आय कर विवरणों को कसौटी मानने पर विचार किया जायेगा जिसमें कि गलत व्यक्तियों को न चुन लिया जाये । गुणावगुण विचारों का विषय है । अत: मेरा सुझाव है कि न्यायाधीश नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की पारस्पिक योग्यता को परखने के लिए कोई कसौटी अवश्य होनी चाहिये ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने आय-कर विवरणियों का प्रश्न उठाया है। किन्तु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि चोटी के एडवोकेट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने में इच्छुक नहीं होते। व्यवसायी की व्यक्तिगत आय ही केवल नहीं देखी जा सकती। सम्भवतः इस कार्य के लिए केवल इसी कसोटी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायिक प्रकृति तथा वस्तुनिष्ठता आदि कुछ ओर भी बातें हैं जिनको देखना पड़ता है। यह सम्भव है कि एक व्यक्ति अच्छा वकील हो किन्तु आवश्यक नहीं कि वह अच्छा न्यायाधीश भी हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपनी सिफारिश देते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं। गृह-कार्य मन्त्री रहने से मेरा यह अनुभव है कि उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों से हमारा मतभेद बहुत ही कम हुआ है।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, Sir, what troubles me much is that there one-thousands rather lakhs of case kept pending in the different High Courts of the country and as compared to these pending cases the number of judges appointed in these High Courts is considerably inadequate. When a case is filed in the Courts it comes for hearing not before than six or seven or even ten years. Therefore, I would like to request the hon. Minister that in view of arrears would be consider to increase the number of ju ges in the High Courts ?

The problem of pending cases is closely connected with the question of the appointment of judges. The strength fixed by them is too low. Since the litigantis are generally villagers it becomes a matter of grave inconvenience to them. I am not talking in a humorous manner but it is a serious problem for me. Therefore, I want to khow from the hon. Minister that realising the difficulties of the villagers is there any scheme under consideration of the Government to increase the number of judges ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : उच्चन्यालयों में बकाया मामलों की समस्या बहुत पुरानी है। मुख्य न्यायाधीशों की समय समय पर होने वाली कान्फ्रेंस में यह विचार किया गया है कि वे इस मामले में बहुत से उपाय कर रहे हैं तथा उनमें यह भी सम्मिलित है कि जहां आवश्यक और सम्भव हो, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाये। किन्तु उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि से ही यह समस्या हल नहीं होगी।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The nain object of the question is that there should be no political consideration involved in the appointment of judges, so far as the Government is concerned, it is an admitted fact, he is a non-political figure but we are bound to say that Chief Minister is a political figure and the panel which will be submitted by him cannot be said one which is not vitiated with the partiality and the political considerations.

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैंने इस का उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 337 दिनाक 18 के लिए स्थानान्तरण कर दिया गया है। अगला प्रश्न 388।

गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों का विकास

388. श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तथा समूचे भारत में राष्ट्रीय राजपथों के विकास पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि समूचे भारत में व्यय होने वाली कुल राशि का केवल 1 से ढाई प्रतिशत गुजरात में व्यय किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग): नीचे दी गई सारणी में सारे भारत के राष्ट्रीय मुख्य मार्गों तथा गुजरात राज्य में पड़ने वाले राष्ट्रीय मुख्य मार्गों पर के व्यय के बारे में अपेक्षित सूचना दी जा रही है—

वर्ष	सारे भारत में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों पर खर्च की गई राशि (रुपये लाखों में)	गुजरात राज्य में पड़ने वाले राष्ट्रीय मुख्य मार्गों पर खर्च की गई राशि (रुपये लाखों में)	कुल व्यय का प्रतिशत
1960–61	1001.43	81.49	8.14
1961–62	971.83	78.46	8.07
1962–63	1743.85	131.87	7.56
1963–64	3508.09	97.44	2.78
1964–65	3215.41	69.00	2 15
1965–66	2918.90	114.99	3.94
1966–67	2109.82	83.20	3.94
1967–68	1506.81	51.74	3.43

उक्त सारणी से ज्ञात होगा कि गुजरात राज्य में पड़ने वाले राष्ट्रीय मुख्यमार्गों का व्यय सारे देश में किये गये व्यय के 0.5 से 2.5 प्रतिशत नहीं है परन्तु वास्तव में वह उसका 2.15 से 8.14 प्रतिशत है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : विवरण से ज्ञात होता है कि गुजरात राज्य में पड़ने वाले मार्गों पर किये गये व्यय की प्रतिशतता वर्ष 1960–61 में 8.14 से घटकर वर्ष 1967–68 में 3.43 रह गई । क्या मैं जान सकता हूं कि नागपुर योजना की सिफारिशों के अनुसार गुजरात राज्य ने राष्ट्रीय राजपथों को त्वरित गति से बना रहा है ?

श्री इकबाल सिंह : यह सही है कि विवरण के अनुसार तो आंकड़े 8 प्रतिशत से घट कर 3 प्रतिशत तक रह गए हैं। जहां तक राज्यों को अनुदान का सम्बन्ध है,, एक से उनकी मरम्मत

और देखरेख होती है। दूसरे प्रकार के अनुदान से सड़कें चौड़ी की जाती है। यह अनुदान सड़कों की दशा को देख कर दिया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष घटता बढ़ता रहता है, एक वर्ष बढ़ जाता है तो दूसरे वर्ष घट जात है। यह आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। नागपुर योजना मुख्यः तया मकान बनाने के लिये, देहाती सड़कों और दूसरी चीजों के लिए है। इसका सम्बन्ध राज्यों से अधिक है जहां तक राष्ट्रीय राजपथों के प्रश्न का सम्बन्ध है हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : इतनी अधिक धन राशि के खर्च होने के बावजूद मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में सड़कों की बुरी दशा के लिए कौन उत्तरदायी है। राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ? बम्बई बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच की सड़कों जहां यातायात बहुत चलता है, बुरी दशा है।

श्री इकबाल सिंह : जो कुछ मैं कह सकता हूं वह यह है कि हम उल्लिखित स्थिति के अनुसार ही अनुदान देते हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजपथों का सम्बन्ध है हम उनकी देखभाल करने वाली राज्य सरकारों को अनुदान देते हैं।

श्री रा० की० अमीन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गुजरात राज्य ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्र तटीय राजपथ के निर्माण की योजना की है ? नागपुर योजना के अनुसार गुजरात राज्य में इस कमी को देखते हुए तथा इस नई 1961–1981 बीस वर्षीय योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य अपने उल्लिखित लक्ष्य से नीचे है तथा देश के इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के महत्व को देखते हुए आप गुजरात में इस राष्ट्रीय समुद्र तटीय राजपथ का निर्माण करने अथवा नहीं करने का निर्णय कब तक कर लेंगे ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तावित समुद्र तटीय राजपथ का सम्बन्ध हैं इस 585 मील लम्बे मार्ग में से 222 मील लम्बा मार्ग का निर्माण नये संरेखण के आधार पर होगा। इसके कुछ भाग पर कार्य आरम्भ हो गया है, परन्तु यह राष्ट्रीय राजपथ के बजाए राज्य राजपथ कहायेगा।

Shri Tulsidas Jadhav : Central Government is not giving adequate grants to the State Governments for development work on national highways. Take, for instance, Maharashtra here road truck traffic has considerably increased, nearly by 20 percent ; and Maharashtra Government has so many times requested Central Government to provide them with more funds but the required amount of grant is not given to them to develop National Highways. I want to know what is the reasons of this difference towards them ?

Shri Iqbal Singh : So far as Maharashtra Government is concerned their all recommendations and demands, in this regard are examined and then necessary and adequate grant is given to them.

केरल के लिये सहायक विमान सेवाओं का आरम्भ करना

\+

*339. **श्री प० गोपालन :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में सहायक विमान सेवाओं के संचालन की सम्भावनाओं के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल में ऐसी विमान सेवायें चालू करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) से (ग): फिलहाल, इण्डियन एयर लाइन्स केरल राज्य में कोचीन और त्रिवेन्द्रम को विमान सेवा परिचालित कर रही है। कालीकट में एक हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

श्री प० गोपालन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी गैर सरकारी एजेंसी ने केरल में सहायक विमान सेवाओं के संचालन करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; यदि हां, तो उन प्रस्तावों के मुख्य ब्यौरे क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : आदरणीय सदस्य किस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कह रहे हैं ? मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री प० गोपालन : मुझे समाचार पत्रों से कुछ ज्ञात हुआ है।

डा० कर्ण सिंह : मुझे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। यदि ऐसा प्रस्ताव आया तो मैं उस पर पूरे ध्यानपूर्वक विचार करूंगा।

श्री प० गोपालन : केरल में छोटे और बड़े अनेक नगर हैं, फिर भी केवल कोचीन और त्रिवेन्द्रम को ही विमान सेवा से जोड़ा हुआ है। केरल में विमान सेवा के संचालन के विकास की गुंजाइश है। केरल के उत्तरी जिले कन्नानोर में अभी भी हवाई पट्टिका है जिसका निर्माण द्वितीय महायुद्ध के दौरान किया गया था, परन्तु आजकल इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। कालीकट में भी एक दूसरी हवाई पट्टिका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन हवाई पट्टिकाओं का विकास करेगी और इन मार्गों पर सहायक विमान सेवाओं के संचालन के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डा० कर्ण सिंह : केरल में केवल कालीकट ही ऐसा स्थान है जिसके विषय में सुसंगत भाग है और जिस पर इस समय विचार हो रहा है। वास्तव में इस पर बहुत ऊंची प्राथमिकता दी गई है।

श्री ए० श्रीधरन : कालीकट के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। केरल सरकार ने सभाशोधन के लिए निवेदन करा है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

डा० कर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य मुझे सहयोग देंगे तो मैं सारी सूचना उन्हें दूंगा। कालीकट के विषय में प्रस्ताव विचाराधीन है और चौथी योजना के अन्तर्गत हमने इसे मुख्य

प्राथमिकता दी है । जैसे ही चौथी योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा हम कालीकट में इस भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कार्य प्रारम्भ कर देंगे ।

श्री प० गोपालन : कन्नानोर के बारे में आपको क्या कहना है ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित छोटे स्थानों को मिलाने अथवा एक फीडर एयर लाइन के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु केरल सरकार या कोई अन्य गैर सरकारी पक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव लाता है तो मैं उस पर बहुत ध्यान पूर्वक विचार करूंगा ।

श्री विश्वनाथ मेनन : कोचीन हवाई अड्डा बहुत छोटा है और वहां कोई बड़ा विमान नही उतर सकता है । कोचीन के निकट एडाकट्टावापुल के स्थान पर एक बड़ा असैनिक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव था । उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक मुझे याद है, कोचीन हवाई अड्डा नौ सेना के अन्तर्गत है । अतः इसका विस्तार नौसेना की सलाह से ही करना होगा ।

श्री विश्वनाथ मेनन : मेरा प्रश्न था : एडा कट्टावापाल में एक नया हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव का क्या हुआ ।

डा० कर्ण सिंह : चूंकि कोचीन में पहले से ही एक हवाई अड्डा है जो कि काम कर रहा है, सीमित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए उसको छोड़ कर नया हवाई अड्डा बनाना हमने सम्भव नहीं समझा ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

गृह-कार्य मंत्री का बिहार का दौरा

+

अ. सू. प्र. 3. श्री हेम बरूआ :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 19 फरवरी, 1969 को बिहार का दौरा किया था ;

(ख) उक्त दौरा सरकारी तौर पर किया गया था अथवा गैर-सरकारी तौर पर ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस प्रयोजन के लिये भारतीय वायु सेना के एक विमान का उपयोग किया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) गैर-सरकारी ।

(ग) जी हां, सरकार को नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान करके ।

श्री हेम बरूआ : चूंकि श्री चव्हाण ने, बिहार में कांग्रेस दल को अपना नेता चुनने में सलाह देने के लिये गैर-सरकारी रूप से बिहार का दौरा किया था और चूंकि उन्होंने भारतीय वायु सेना के विमान का प्रयोग किया, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विमान का किराया किसने दिया । कांग्रेस दल ने अथवा सरकार ने ?

दूसरे, यदि राजनीतिक प्रयोजनों के लिये अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य ऐसी सुविधाएं चाहें, तो क्या उन्हें भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में बताया शुल्क का भुगतान गृह-कार्य मन्त्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था न कि सरकार द्वारा ।

जहां तक अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भारतीय वायु सेना के विमानों के प्रयोग के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके बारे में निश्चित नियम हैं और उन नियमों के अनुसार ही ये विमान प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये उपलब्ध कराये जाते हैं ।

श्री रंगा : वे नियम क्या हैं ? दूसरों के लिये भी 'हां' क्यों नहीं कहते ?

श्री हेम बरुआ : वे प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन हैं केवल भगवान ही जानता है । क्या यह सच नहीं है कि श्री चव्हाण हवाई अड्डे पर उतरने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटर गाड़ी में शहर तक गये और जब उन्होंने श्री हरीहर सिंह को कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता के रूप में चुन लिया तो बिहार के राज्यपाल के पास, जो उन्हीं के दलों से हैं वह उस गाड़ी में गये और यह सलाह दी कि कांग्रेस दल और श्री हरीहर सिंह को सरकार बनाने के लिये कुछ और समय दें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं सभा में एक विशिष्ट वक्तव्य दे सकता हूं कि यदि गृह-कार्य मंत्री या कोई भी मंत्री निजी दौरे पर जाते हैं, तो परिवहन से सम्बन्धित सारा खर्चा उनको स्वयं देना पड़ता है न कि सरकार को । यदि मोटर गाड़ी राज्य सरकार द्वारा भी उपलब्ध कराई गई थी, तब भी उसका खर्चा राज्य सरकार को दिया जा सकता है । वह सरकारी अतिथि नहीं थे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या भुगतान किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। यदि इस प्रश्न की सूचना दी जाये, तो मैं यह जानकारी दे सकता हूँ । मैं इस जानकारी को सभा से छिपाना नहीं चाहता ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि गृह-कार्य मंत्री यहां उपस्थित होते, तो वह हमें बता सकते थे कि क्या उनको मोटर गाड़ी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। जब प्रश्न उनसे सम्बन्धित है, तो वह सभा में उपस्थित क्यों नहीं हैं ?

श्री श्रीधरन : भारत संसार में शायद सब से बड़ा लोकतन्त्र है और जब सरकारें बनाये जाने जैसे राजनीतिक प्रश्न अन्तग्रस्त होते हैं, तो उन्हें बड़ी सावधानी से कार्य करना चाहिये। माननीय मन्त्री के उत्तर से दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि सभी मंत्री विभिन्न रूप में काम करते हैं। जब वे इधर आते हैं तो वह गृह-कार्य मंत्री हैं और जब उधर जाते हैं, तो वह कांग्रेस के नेता हैं। दूसरी बात यह कि यही एक देश हैं जहां वायु सेना के विमान टैक्सियों के रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं।

श्री चव्हाण 19 फरवरी को बिहार गये थे जब संसद का सत्र चल रहा था । गृह-कार्य मंत्री, जिनका सम्बन्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग से है, कांग्रेस दल के बिगड़े भाग्य को संवारने और राजा रामगढ़ और श्री हरिहर सिंह जैसे व्यक्तियों को सत्ता में लाने के लिये बिहार गये। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि गृह मंत्री ने लोकतन्त्र के आधारभूत सिद्धान्त का उल्लंघन करके अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार श्री चव्हाण से त्यागपत्र देने के लिये कहेगी ?

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether uniform rules exist for the chartering of I. A. F. or Inidnn Air Lines planes by various political parties, if not, the nature of differences and whether Government will remove the anamoly ? May I a'so know the amount paid by Shri Chavan ?

Shri Vidya Charan Shukla : The rules of the Defence Ministry are not based on political consideration. These are purported for the Ministers of Central Cabinet. There is no political discrimination in it. These provisions have been made for the facility of the members of Central Cabinet, It has also been enunciated in it as to when they will be used official and non-official purposes. As far as the question of charges is concerned, I have this tnformation from the Air Hadquarters that a bill for Rs. 4378 was sent the payment for which had been made.

Shri Kanwar Lal Gupta : He went there in the capacity of the member of a Political party. I want to know whether the rules will be modified for the leaders of other political parties who want to go. If not then whether it is not partiality and misuse of powers ?

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या आप नियमों को सभा पटल पर रखेंगे ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी हां। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्र० के० देव : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं कि जबकि सरकारी विमान दल के कार्यों के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं, विशेषकर बिहार में अल्पसंख्यक सरकार को कायम रखने के लिए, तो ये सुविधाएं संसद के मृतक सदस्यों को प्राप्त नहीं हैं, जब राज्य सभा के सदस्य दिवंगत श्री के० सी० बगेल का शव रायपुर ले जाना था तब यह सुविधा नहीं दी गई, मैं जानना चाहता हूं कि क्या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति और अन्य लोगों के मध्य कोई अन्तर बनाया गया है, जिनको कि विशेष सुविधा दी जा रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नियम है और जब नियम समा पटल पर रखे जायेंगे तो माननीय सदस्यों को मालूम हो जायेगा कि ये नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप नियमों को क्यों नहीं बदलते हैं ?

श्री रंगा : क्या वे समझते हैं कि अब समय आ गया है कि देश में बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए इन नियमों में समुचित संशोधन किया जाना चाहिये ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है। यदि कोई विशेष सुझाव मिलता है तो हम निश्चित ही उस पर विचार करेंगे।

Shri Tulshidas Jadhav : A day before yesterday an hon. member of Rajya Sabha passed away and no arrangments were made for him. Seeing this and the question regarding the Ministers, which are raised frequently. Whether the Government will make any arrangement to carry this Member of parliament and V. I. PS. or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, this is a question to be considered by you and the Chairman of Rajya Sabha and whether suggstion will be given' action will be taken them.

अध्यक्ष महोदय : गत वर्ष साम्यवादी दल के एक माननीय सदस्य का मृत शरीर बनारस ले जाया गया था।

Shri Madhu Limaye: After passing away, We are taking about carrying the alive persons and not of dead bodies.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक मृतक सदस्य के बारे में पूछा है।

Shri Yogendra Sharma : The plane facilities are given to the Members of opposition parties only after their death, whether these facilities are given to the members of ruling party in their life time.

Shri S. M. Joshi : I want to know when these rules were framed. Whether these were framed after the Congress came into power or prior to that?

Shri Vidya Charan Shukla : These were framed after independence.

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the Hon. State Minister will admit that these rules have become old and are discriminatory in natural and give prefer-

ence to ruling party in comparison to other parties. I want to give an example. We had chartered a plane during mid-term election. That plane could not be landed at the aerodrome in Agra because that aerodrome belonged to Military and no other planes can land at Military aerodrome. The planes belonging to Minister can land there. May I know whether imposing restrictions in the days of elections do not show that the Goverument want to observe discrimination with oppostion parties? Will the Hon. Minister reconsider it?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that there is no political discrimination with the opposition parties in the existing rules. These are framed exclusively for the use for the members of the Cabinet. These are rules regarding the use of planes for non-official purposes and there is no discrimination in it. I do not agree with what hon. Members had said.

श्री हेम बरुआ : ये नियम मंत्रियों पर तब लागू होते हैं जब उनका सरकारी काम होता है। परन्तु जब मंत्रियों को गैर सरकारी काम होता है तो ये नियम कैसे लागू होंते है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन नियमों के अन्तर्गत यह भी आता है.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखने को तैयार हैं।

Shri Madhu Limaye : An hour should be given for having discussion on them.

Shri Rabi Ray : May I know whether it is not true that Shri Chavan went there and made Shri Harihar Singh the Chief Minister against whome a Privilege Motion is pending and even the Congress members of the legislative assembly are also involved in it ?

अध्यक्ष महोदय : अब मामला जोर पकड़ता जा रहा है।

Shri Manibhai J. Patel : May I know whether the minister of those States, where the opposition are ruling, do they use planes and go from one place to another ? Whether such objection are raised there ? May I know whether the criticism are taking place against rules framed for the Centre because the opposition are not in power ?

Shri S. M. Banerjee : I want to remined you that it is a Indian Air Force and not Congress Air Force. The Congress has used their planes. These people can fly while they are alive and prepare to take us when we are dead. This is our complaint against them.

We had asked that the ministers should resign during election days but they had not done so. Any-how it makes no difference. We have no complaints. The planes are not used only during elections. They are also used for party purposes after the election. Our friend Mr, Vajpayee had stated that their plane was no allowed to land on the airport of Agra. Their plane remained in the Sky. It is not known how they landed. Are you prepared to agree to this that no party should use planes during election in this way and this should also not be used for party proposes after the election. I am sorry that the person concerned who boarded the plan is not here and only the wittness who saw the plan flying is replying it.

Shri Shashi Bhushan : Mdy I know whether it is not a fact that in States like Madhya Pradesh where the opposition parties are in power the official plane carry Shrimati Shindhiya to Delhi and she comes her not for other purposes but to serve wine to the correspondents ? I also want to know whether it is a fact that Shrimati Shindhiya went to Kripalanijee for rendering help in the Helicopter taken from Birla during election's days ? I want to know whether she had consulted you ?

अध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना है । प्रश्न सूचना जानने के लिए पूछना चाहिए परन्तु माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं ।

श्री एस० कन्डप्पन : माननीय गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण, जिन्होंने अपने कार्य के लिए एक विमान किराये पर लिया था और 4,000 रुपये से अधिक का बिल भुगतान कर रहे है, निश्चय ही बहुत अमीर व्यक्ति हैं । स्पष्ट ही, वे वहां दल के कार्यों के लिए गए थे ।

यहां एक गम्भीर मामला है जिसे मैं उठाना चाहता हूं । मुझे बिल की चिन्ता नहीं है जिसका कि वे भुगतान कर रहे है अथवा जो यह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का सा व्यवहार पा रहे हैं । अगर नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी तो हम यह नियमों के उपलब्ध हो जाने के बाद ही हाथ में लेंगे । जिस बात की मुझे चिन्ता है वह दलबदल और कठ पुतली सरकारों से है जो कि बनाए जा रहे हैं । 1967 के बाद सरकार ने यह बहाना बनाया मानो कि वे विभिन्न दलों के लोकतान्त्रिक अधिकारों का आदर कर रहे हैं । लेकिन वे दिल्ली में बैठे हुए राज्य सरकारों का मार्ग निर्देशन कर रहे हैं । परन्तु यहां लोकतन्त्र शिष्टता का उल्लंघन है जबकि माननीय गृह मंत्री राज्य की राजधानी में विमान द्वारा जाकर अपना चातुर्य दिखाने और अपना मुख्य मंत्री को वहां बिठाने के लिए गए, क्या यह उचित है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसका स्पष्ट उत्तर दे । यह प्रजातन्त्र और इस देश में इसके जीवित रखने का प्रश्न है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक विमान का सम्बन्ध है, अगर नियमों का पालन किया गया है और बिल का भुगतान कर दिया गया है तो इसमें केन्द्रीय मंत्री का भारतीय वायु सेना के विमान में जाने में कोई गल्ती नहीं है और नियमों में इस प्रकार के प्रयोग करने के बारे में दिया हुआ है ।

श्री एस० कन्डप्पन : मुख्य मंत्री का चुनाव विधान सभा और राज्यपाल का चिन्ता का विषय है । माननीय गृह मंत्री का वहां जाने का क्या तात्पर्य था ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह गौर सरकारी कार्य था ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लक्कदीव प्रशासन के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

*331. **श्री प० मु० सईद :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वर्गों के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार लक्कदीव प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे ;

(ख) प्रत्येक वर्ग में कितना-कितना प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है ;

(ग) उन अधिकारियों को पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार तथा वर्ग-वार, कितना प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि यदि स्थानीय शिक्षित व्यक्तियों को अवसर दिया जाता तो यह राशि बच सकती थी ; और

(ङ) यदि हां, तो लक्कदीव प्रशासन में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की संख्या कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 243/69]**

(घ) और (ङ) : प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से बनाये गये भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है । अब कुछ पदों को केन्द्रीय अथवा अखिल भारतीय संवर्गों में सम्मिलित कर लिया गया है । अन्य तृतीय श्रेणी के पदों पर अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति द्वारा प्राप्त की जाती हैं यदि स्थानीय उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों । यह क्षेत्र के विकास और कल्याण के हित में है ताकि उनकी परियोजनाओं का काम उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण न रुके ।

विशाखापटनम में लोह अयस्क संयत्र

*332. **श्री गाडिलिगन गौड़** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में विशाखापटनम में लोह अयस्क के उतारने तथा चढ़ाने के संयंत्र का विकास करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि निश्चित की गई है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रमैया) (क) और (ख) : इस समय विशाखापत्तनम् पत्तन के पास 45 लाख टन वार्षिक क्षमता का लोक की घरा उठाई करने वाला एक संयंत्र है । 57 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर संयंत्र की वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 60 लाख टन करने के लिए कुछ सुधार किया जा रहा है । इन कार्यों के अक्तूबर 1969 तक पूरा होने की आशा है । यह भी प्रस्ताव है कि चौथी पंच वर्षीय योजना काल में विशाखापत्तनम पर एक बाहरी हारबर विकसित किया जाय । यह हारबर आधुनिक लौह की घरा उठाई की और अधिक क्षमता वाली सुविधाओं से लैस गहरे डुबाव वाले लौह बाहकों के आवागमन के योग्य होगा ।

(ग) चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना काल में पत्तनों के विकास के प्रस्ताव योजना आयोग के परामर्श में अभी विचाराधीन है, अतः इस समय यह कहना संभव न होगा कि इस प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि आवंटित की जाएगी ।

I. A. C. Losses

*340. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Ranjit Singh :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Tonrism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of those planes of the Indian Airlines which are not yielding profit;

b) the losses incurred during the last three years on this account ; and

(c) the steps taken to avoid the losses and the result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) : The fleet of the Indian Airlines which are not yielding profit consist of Viscounts, Fokkers, HS-748, Skymasters and Dakotas which are maintaining essential services on various routes for the public out of the profits yielded by other types of aircraft on other routes.

(b) A statement is placed on the Table. [Placed in Library. See No. LT-244 69]

(c) The Skymasters have been grounded and Dakotas are being phased out. The Viscounts will also be replaced in the early Seventies. The economics of operation of Indian Airlines are expected to improve in due course, with the acquisition of new and profit yielding aircraft. Some routes, though not yielding profit, will still have to be maintained.

मद्रास में हिन्दी सिखाने के लिये जनता विद्यालय योजना

*341. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि रं० लास्कर :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में हिन्दी सीखने के इच्छुक लोगों को हिन्दी पढ़ाने के लिये प्रस्तावित जनता विद्यालय योजना के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक आरम्भ हो जायेगी ; और

(ग) दक्षिण भारत में इन अध्यापन संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क): भारत सरकार ने उन व्यक्तियों को हिन्दी सिखाने के लिए जो स्वेच्छा से हिन्दी सीखना चाहे, तमिलनाडु में एक अध्यापक वाले 200 हिन्दी विद्यालय चलाने के लिए मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को वित्तीय सहायता स्वीकृत की है ।

(ख) इन हिन्दी विद्यालयों में से कुछ को सभा द्वारा 2 अक्तूबर, 1968 अर्थात् महात्मा गांधी के जन्म दिन से चलाना शुरु किया है ।

(ग) अब तक, लगभग 110 हिन्दी विद्यालय शुरु किये जा चुके हैं ।

हल्दिया पत्तन का विकास

*342. **डा० रानेन सेन :**
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कं हाल्दर :
श्री सीताराम केसरी :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया का कलकत्ता के उपपत्तन के रूप में विकास करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ख) इस कार्य पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है, और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) : हल्दिया परियोजना के अंतर्गत एक तेल जेट्टी और एक अवरुद्ध डाक पद्धति जिसमें छह घाट और अन्य सहायक सुविधायें शामिल हैं का निर्माण आता है । तेल घाट पहले ही पूरा हो गया है और अगस्त, 1968 से चालू कर दिया गया है । सिविल निर्माण कार्य और डाक क्षेत्र का निकर्षण जारी है । कोयला और लोहा लादने वाले संयंत्र शंटिंग इजनों और लाक प्रवेश के लिये सरकवां केशन फाटक के लिये आदेश दिये गये हैं ।

(ख) जनवरी, 1969 के अंत तक इस परियोजना पर 15.75 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है ।

(ग) हल्दिया परियोजना से संबंद्ध निर्माण कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है और उसके 1971 के शुरू में पूरा होने की संभावना है ।

भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

*343. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री क० लकप्पा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के कार्यकरण का गत पांच वर्षों में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में क्या अनियमितायें पाई गई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) : सरकार ने निगम के कार्य के बारे में कोई अलग से मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, निगम प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहा है और रिपोर्ट को संसद के सम्मुख पेश किया जाता है।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार में ग्रामीण सडकों के लिये एकक

***344. श्री कामेश्वर सिंह : क्या नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण सड़क समिति ने सिफारिश की है कि राज्य राजपथ विभाग में ग्रामीण सड़कों के लिये एक प्रथक एकक बनाया जाये ;

(ख) क्या बिहार में ऐसा एकक बना लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) यदि नहीं तो एकक की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) : जी नहीं। संपूर्ण ग्रामीण सड़कों की देख रेख के लिये समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों द्वारा एक मुख्य इंजीनियर की अध्यक्षता में एक प्रथक इंजीनियरी विभाग खोला जाना चाहिये।

(ख) तमाम ग्रामीण निर्माण कार्यों जिनमें ग्रमीण सड़कें भी शामिल हैं, के लिये बिहार सरकार की पहले ही सामुदायिक विकास पंचायत विभाग के अधीन एक ग्रमीण इंजीनियरी संस्था है।

(ग) राज्य सहकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

Cut on Education during the Fourth Plan

***345 Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastry :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether any cut has been imposed in the amount proposed to be spent on education during the Fourth Five-Year Plan ;

(b) if so, whether it will have any effect on the education expansion programme ; and

(c) whether Government have prepared any scheme for that ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) (a) : The allocation for General and Technical Education in the Fourth Plan is Rs. 809 crores as against

Rs. 1300 crores proposed by the Central Planning Group on Education, or Rs. 1210 crores provided in the Draft Fourth Plan that was prepared earlier.

(b) Yes Sir. This constraint of resources will affect the programmes of educational expansion adversely, particularly at the primary stage.

(c) The Central Advisory Board of Education has recommended, among other measures, that local resources should be moblised to augment public funds allocated to Education. This recommendation has been brought to the notice of the State Governments who are considering it.

Floating of Lotteries in Delhi

*346. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration had sought permission of the Central Government to start its lottery as has been done in Punjab and other States ;

(b) whether it is also a fact that Government have not accorded them permission for this ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) to (c) : The Delhi Administration have approached the Central Government for permission to organise lotteries in Delhi. Their request is being examined.

दक्षिण दिल्ली में विश्वविद्यालय संभाग की स्थापना

*347. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री र० कृ० सिंह :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री जि० ब० सिंह : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री शारदा नन्द : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रोफेसरों द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण दिल्ली में विश्वविद्यालय का एक संभाग खोला जाना चाहिये ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय में भीड़भाड़ कम हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) : जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, इस मामले की जांच करने के लिए, एक समिति नियुक्त की है । आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर और आगे कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यापकों के वेतन-मानों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

*348. **श्रीमती सावित्री श्याम :** **श्रीमती तारा सप्रे :**
श्री श्रीचन्द गोयल : **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों के अपने अध्यापकों के वेतन मानों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ;

(ख) आयोग की सिफारिशों को समान रूप से क्रियान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई सहायता देता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव)(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 245/69]

(ग) विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गए वेतन-मानों को लागू करने के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त खर्च का 80 प्रतिशत, भारत सरकार 1 अप्रैल, 1966 से पांच वर्षों तक राज्य सरकारों को दे रही है।

सौराष्ट्र सेना का गठन

*349. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र के विद्यार्थियों द्वारा एक सौराष्ट्र सेना का गठन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) और (ख) : राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ विद्यार्थी नेताओं ने 1 दिसम्बर, 1968 को, सरकार के विद्यार्थियों के प्रति विशेषकर, तथा सौराष्ट्र के व्यक्तियों के प्रति सामान्य रूप से कथित अनुचित रवैये के विरुद्ध विरोध करने के इरादे से सौराष्ट्र सेना की स्थापना करने का निर्णय किया। अभी तक सेना की कोई गतिविधि राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) राज्य सरकार स्थिति पर निगरानी कर रही है।

Opening of Hindi Schools in Madras

350. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the differences that arose in the implementation of the scheme to open 200 Schools in the Madras State for those who wanted to learn Hindi on their own accord ;

(b) the amount of grant proposed to be given by tha Ministry of Education to run these schools ; and

(c) the number of displaced teachers in Tamil Nadu who will get employment as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) (a) to (c) : With the adoption of the two-language farmula by the Government of Tamil Nadu in their schools, the teaching of Hindi in those schools came to a stop. The Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, thereafter, approached the Government of India to render financial assistance for opening of 360 Single Teacher Hindi Vidyalayas for teaching Hindi to those, who may wish to learn the language voluntarily and which inter alia will provide employment to the retrenched Hindi teachers of the State Government. The Government of India agreed to render financial assistance for the opening of 200 such Vidyalayas with the stipulation that only retrenched Hindi teachers should be employed in these Vidyalayas. There was some misunderstanding in some quarters, who felt that by opening such Vidyalayas, the Government of India were circumventing the Government of Tamil Nadu's decision not to teach Hindi in schools and forcing Hindi on them, It was explained personlly to the late Chief Minister of Madras, Shri C. N. Annadurai, and other Ministers of ther State Government by Prof. Sher Singh, the then Minister of State in the Ministey of Education, that the Central Governmnnt were not starting any full-fledged schools for the teaching of Hindi in Tamil Nadu but they were merely giving financial assistance to the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, which has been conducting free Hindi teaching classes and running Hindi Vidyalayas in Tamil Nadu and other States of the South for the last several yeas, for extending its Hindi-teaching activities for the benefit of those, who wanted to learn Hindi voluntarily. It was also explained to the State Government that there was no intention on the part of the Central Government to introduce Hindi through the backdoor. The misunderstanding having been cleared, the late Chief Minister and the other Ministers of Tamil Nadu held that they had no objection to Hindi being taught voluntarily in the State through the agency of Voluntary Hindi Organisations.

A grant of Rs. 1,60,500,00 has been given to the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha for the running of 200 Single Teacher Hindi Vidyalayas during 1963-69. 200 retrenched Hindi teachers of Tamil-Nadu are likely to be absorbed in these Vidyalayas.

माल भाड़े की दरों को बढ़ाना

*351. **श्री जनार्दनन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों में वैस्टर्न शिपिंग लाइनर कान्फ्रेंस ने कई बार एक पक्षीय रूप से जहाजों के माल भाडे की दरें बढाई हैं;

(ख) क्या लाइनर कान्फ्रेंस द्वारा की गई इस कार्यवाही से, भारत समेत सभी विकासशील देशों के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो हमारे व्यापार के हितों की रक्षा करने के लिये अन्य विकासशील देशों के साथ मिल कर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) : जी हां ।

(ख) यह सच है कि जहाजी भाड़ा दरों में वृद्धि होने का प्रभाव हमारे निर्यात माल की प्रतियोगी हालत पर पड़ता है । यह भी सच है कि निर्यात व्यापार पर प्रभाव डालने वाले बहुत से कारणों में से सिर्फ जहाजी भाडा ही एक ऐसा है जिसका प्रभाव निर्यात व्यापार पर पड़ता है और निर्यात में वृद्धि का गिरावट के किसी एक कारण को अलग से बताना बड़ा कठिन सा है ।

(ग) दूसरे विकासोन्मुखी देशों के साथ सहयोग के लिये नौवहन फ्रेट दरों कानफ्रेन्स प्रैक्टस के स्थापनों के क्षेत्र में हमारे पास दूसरी अनकटाड में पारित दिये गये प्रस्ताव हैं । जहां तक भारत का संबंध है नौवणिक बंबई कलकत्ता और मद्रास इन तीन क्षेत्रीय संघों में संगठित किये गये हैं और उनकी शिखर संस्था है जिसे अखिल भारतीय नौवणिक परिषद नयी दिल्ली कहते हैं । मान्यता देने के लिये अब इन संघों को और जहाजी भाड़े में बद्धि फ्रेट दरों को लागू कराने से पहले इन संघों से बातचीत कराने के लिये सम्मेलनों को मना बुझाकर राजी राजी करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

अल्पसंख्यकों को अधिक रोजगार की व्यवस्था

***352. श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा है कि अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार की अधिक व्यवस्था की जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो "अल्पसंख्यक" शब्द का अर्थ क्या है ; और

(ग) क्या यह परिपत्र भारतीय संविधान के अनुकूल है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) : 19 मई, 1968 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी और आम तौर पर इस पर सहमति थी कि संवैधानिक उपबन्धों का पालन करते हुए सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की भर्ती में वृद्धि करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कुछ समुदायों के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं किया जाय और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए उचित अवसर प्रदान किये जांय । सम्मेलन में विचार-विमर्श के रिकार्ड के सारांश में इस बात पर आम सहमति समाविष्ट थी, जिसे राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था ।

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित विचार-विमर्श के सन्दर्भ में "अल्पसख्यक" शब्द की औपचारिक परिभाषा देना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) जैसा ऊपर (क) में बताया गया है, यह सुझाव संवैधानिक उपबन्धों के पालन की शर्तें के साथ दिया गया था और इसलिए इसका संविधान के उपबन्धों के अनुकूल न होना नहीं माना जा सकता ।

केरल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*353. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री भगवान दास :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री ई० के० नायनार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के संबंध में केरल में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ;

(ग) उस समय से अब तक उनमें से कितने कर्मचारियों को बहाल किया गया अथवा वापिस नौकरी में लिया गया ; और

(ग) क्या शेष कर्मचारियों को बहाल करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के समा पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं कि उन अस्थायी कर्मचारियों के मामले में, जिनका हड़ताल में भाग लेना ड्यूटी से अनुपस्थिति तक ही सीमित था, सेवा समाप्ति के नोटिस वापिस लिये जायेंगे । उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जो 19 सितम्बर, 1968 को केवल ड्यूटी से अनुपस्थित थे और जिन पर अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 की धारा 4 के अन्तर्गत केवल ऐसी अनुपस्थिति के लिए, अभियोग चलाया गया था या उन्हें गिरफ्तार किया था, ड्यूटी पर फिर से आने की अनुमति दी जायगी और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी चाहे वे सिद्ध-दोष भी पाये गये हैं । इसी तरह के तथा सेवा से मुक्त किये गये अस्थायी कर्मचारियों को उचित तथ्यपूर्ण सत्यापन के बाद नौकरी में बहाल कर दिया जाएगा । उन सरकारी कर्मचारियों को, जो न्यायालय द्वारा बरी कर दिये गये हैं, ड्यूटी पर फिर से आने के लिए अनुमति दी जायेगी । यदि कोई ऐसे कर्मचारी है जिन्हें उपरोक्त निर्णयों के अनुसार अभी तक नौकरी में वापिस नहीं लिया गया तो उनके मामलों का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली का स्थानान्तरण

*354. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग नई दिल्ली हवाई अड्डे को नये स्थान पर ले जाने के संबंध में सरकार ने इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या नया स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) : विमान परिचालनों को सफदरजंग हवाई अड्डे से हटाकर किसी नये स्थान पर ले जाने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) अनेक वैकल्पिक स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

मध्य प्रदेश में एक ट्रान्समिटर पकड़ा जाना

*355. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मंत्री मध्य प्रदेश में ट्रांसमिटर के पकड़े जाने के बारे में 20 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 897 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस मामले में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्ही व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या यह पता लगा लिया गया है कि माल गिराने वाला विमान किस देश का था ; और

(घ) क्या सरकार देश में तोड़-फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिये समुचित कार्यवाही कर रही है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : जांच अभी प्रगति पर है । सरकार सतर्क है और तोड़-फोड़ को रोकने के लिये सभी आवश्यक उपाय कर दिये गये हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी

*356. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं ; और

(ख) वर्ष 1965 से 1968 तक, राज्य-वार प्रतिवर्ष, कितने कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना बतलाने वाले विवरण सदन के सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 246/69]**

अमरीकी पर्यटक

***357. श्री बाबू राव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष अमरीकी पर्यटकों द्वारा व्यय किये गये 4 बिलियन डालरों में भारत का भाग रुपयों के रूप में कितना था;

(ख) क्या यह सच है कि घटिया किस्म का भोजन, वीज़ा प्राप्त करने में लालफीताशाही से उत्पन्न कठिनाइयां, निजी सामान की चोरी, दलालों तथा भिखारियों से परेशानी, बड़े होटलों में अच्छे मैत्रीपूर्ण वातावरण का अभाव, निषेद्धि के आदेश, हस्तकला तथा हथकरघा उत्पादों के अत्यधिक मूल्य, प्राकृतिक दृश्यों तथा सामान्य सुविधाओं का अभाव, कुछ एक ऐसी बातें हैं, जिनके कारण न केवल एक विख्यात अमरीकी पत्रिका अपितु पेसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसिएशन द्वारा भी पर्यटन के मामले में भारत को बहुत निचला दर्जा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यू० एस० के पर्यटकों द्वारा 1967 में भारत में किया गया व्यय अनुमानत: 6.275 करोड़ रुपये है। यू० एस० के पर्यटकों द्वारा 1968 में किये गये व्यय के आंकड़े अभी एकत्रित किये जाने हैं।

(ख) प्रश्न में उल्लिखित कुछ बातें पेसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भी दी गयी हैं।

(ग) पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की देखभाल में जनता का भी सहयोग प्राप्त करने के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया है। केवल जनता के पूर्ण सहयोग से ही इन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अब प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते ही यथासम्भव तत्काल ही विज़ा जारी कर दिये जाते हैं। पर्यटक कार्यालय अनुमोदित दुकानों की एक सूची रखते हैं। होटलों को उनके यहां दिये जाने वाले भोजनों की किस्म में सुधार करने का परामर्श दिया जा रहा है। विशेष पर्यटन पुलिस के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। हमारे यहां के रमणीक प्राकृतिक दृश्यों को दिखाने के लिये नये कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं और हमारा 'विदेशियों के यहां की जनता के साथ सीधे सम्पर्क' का कार्यक्रम भी अधिक व्यापक बनाया जा रहा है। यहां यह बताना आवश्यक है कि केन्द्रीय चौथी योजना में पर्यटन

विषयक वित्त व्यवस्था में अत्यधिक कांट-छांट के कारण पर्यटन के आधारभूत उपादानों का उतनी तेजी से सुधार करना सम्भव नहीं हो सकेगा जैसे कि पहले आशा की गई थी।

भारत और रूस के बीच समुद्र द्वारा यात्रा

*358. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच दोनों देशों द्वारा समुद्री यात्रायें बढ़ाने की व्यवस्था करने के लिये हाल में कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं और वर्ष 1968 और 1967 की तुलना में वर्ष 1969 में इन यात्राओं में कितनी वृद्धि की जायेगी; और

(ग) इसके फलस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में आगामी वर्ष में भारतीय जहाजों के मालिकों की आय में कितनी वृद्धि होगी और वे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया):(क)और (ख): जी हां। इस बात की सहमति हो गई है कि प्रत्येक दिशा में प्रत्येक देश द्वारा जिन समुद्री यात्राओं की व्यवस्था की जायेगी उनकी संख्या 1967 और 1968 की 32 यात्राओं की तुलना में बढ़ाकर 36 कर दी जायेगी। समझौते की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का सम्बन्ध इन विषयों से है– टैरिफ का वर्तमान निशुल्क अन्दर और बाहर आधार का जारी रहना, बड़ी लाइन के पूरा होने के बाद माल का काडला पत्तन होकर आना, नयी वस्तुओं का भाडा दरों का युक्तिकरण सोवियत पत्तनों पर माल के प्रघूमन की प्रक्रिया खानापूरी की प्रक्रिया और भारतीय जहाजी सेवाओं द्वारा अर्जित भाड़े का शीघ्रता से निपटारा।

(ग) 1969 में चार अतिरिक्त समुद्री यात्राओं के कारण भारतीय जहाजी कम्पनियों (नौ वाणिकों की नहीं) की आय में लगभग 80 लाख रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना है। दोनों देशों के बीच हुये व्यापार और भुगतान समझौते के अनुसार भाड़े का भुगतान रुपयों में किया जाता है।

संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक

*359. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के संविधान के अनुसार इसका निर्वाचित अथवा नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष तक इसकी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहता है, जब तक कि उसके विरुद्ध अविश्वास का मत पास न हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो 27 दिसम्बर, 1968 को उक्त राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कुछ सदस्यों को न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं/संघों के नामनिर्दिष्ट सदस्य ही राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में तीन वर्ष के कार्यकाल तक रह सकते हैं ।

(ख) चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुछ संस्थाओं, संघों ने 19–20 सितम्बर, 1968 को सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया और फलस्वरूप उनकी मान्यता वापस ले ली गई थी । अतः राष्ट्रीय परिषद में उनके प्रतिनिधि परिषद के सदस्य नहीं रहे ।

Political arrests in West Bengal

*360. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of political arrests made in West Bengal, Punjab, Bihar and Uttar Pradesh since the proclamation of the President's rule there during 1968 and the number of Members of Parliament among them; and

(b) the number of political leaders out of those arrested against whom cases were filed and the number against whom cases are still pending ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b): Under the law, arrests are made for specific offences. Therefore the question of making arrests on political grounds does not arise. However, information regarding MPs and other political leaders arrested for specific violation of the law is being collected and will be furnished subsequently.

हिमाचल प्रदेश की आय और प्रशासनिक व्यय

2051. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की वर्ष 1963 से 1966 तक तथा वर्ष 1967–68 और 1968–69 में आय तथा प्रशासनिक व्यय कितना था;

(ख) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं अर्थात सीमा सुरक्षा तथा सीमान्त जिलों पर कितना व्यय हुआ था; और

(ग) उपर्युक्त वर्षों में लाहौल तथा स्पिति तथा किनौर के अनुसूचित तथा सीमान्त जिलों पर होने वाले भारी व्यय में से कितने प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार ने वहन किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है ।

वर्ष	राजस्व आय (रुपये लाखों में)	प्रशासनिक व्यय (वेतन, भत्ता तथा आकस्मिक व्यय)
1963–64	555.11	759.30
1964–65	752.46	1116.05
1965–66	825.69	1190.42

1966-67	1066.18	1610.50
1967-68	1355.96	2396.38
	(संशोधित प्राक्कलन)	
1968-69	1443.38	2602.33
	(बजट प्राक्कलन)	(बजटबद्ध)

(ख) सीमा सुरक्षा सेवा से सम्बन्धित व्यय की राशि निम्नलिखित है :—

	(रुपये लाखों में)
1963-64	18.76
1964-65	26.16
1965-66	11.70
1966-67	42.66
1967-68	74.28
1968-69	83.32 (बजटबद्ध)

सीमा सुरक्षा का सारा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सीमावर्ती जिलों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात को अनुदान

2052. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1968-69 में केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित की जाने वाली योजनायें भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी राशि की मांग की गई थी और अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) से अनुदान मांगे गये थे ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : सड़क विकास की योजनाएं, जिनके लिए धन केन्द्रीय सड़क निधि से दिया जाता है, वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर आमंत्रित तथा अनुमोदित नहीं की जाती है। 1970-71 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए ऐसी योजनाओं से सम्बद्ध प्रस्ताव जनवरी, 1967 में गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों से आमंत्रित किये गये थे। उस सरकार से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित कर लिए गये हैं और उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 247/69]

(ग) और (घ): गुजरात सरकार ने 1968–69 के संशोधित अनुमानों में विनिधान निर्माण कार्यों के लिए 19.57 लाख रुपये की और सामान्य आरक्षण निर्माण कार्यों के लिए 5.42 लाख रुपये की व्यवस्था करने की मांग की है और इसके विपरीत विनिधान निर्माण कार्यों के लिए 18.00 लाख रुपये और सामान्य आरक्षण निर्माण कार्यों के लिए 5.00 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है ।

गुजरात में पर्यटक केन्द्र

2053. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस वर्ष पर्यटकों के लिये परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ताकि वे गुजरात में पर्यटक केन्द्रों में जा सकें;

(ख) प्राकृतिक सौन्दर्य और पर्यटक आकर्षण के स्थानों के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गयी है; और

(ग) गुजरात में किन-किन स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में चुना गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस वर्ष परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के कोई विशेष उपाय नहीं किये गये हैं, परन्तु भूतकाल में अनुमोदित कार परिचालकों के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की कारों का नियतन किया जाता रहा है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर गुजरात में निम्नलिखित पर्यटन केन्द्रों का विकास कार्य प्रारम्भ किया है :—

		केन्द्रीय सरकार का अंश
		रुपये
(i)	लोथल में कैंटीन-व-रिटायरिंग रूम का निर्माण (पिछली योजना का अवशेष)	10,000
(ii)	लोथल में जल-व्यवस्था (पिछली योजना का अवशेष)	3,000
(iii)	साबरमती आश्रम में गैस्ट हाउस का निर्माण	50,000

(ग) दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं तथा तीन वार्षिक योजनाओं में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिये निम्नलिखित पर्यटन केन्द्र चुने गये थे :—

लोथल, सस्सन गिर, नल सरोवर, और साबरमती ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में अहमदाबाद काम्प्लेक्स में सुविधाएं प्रदान करने का एक अनन्तिम प्रस्ताव है, जिसमें साबरमती में 'ध्वनि और प्रकाश' दृश्य का आयोजन भी सम्मिलित है ।

भारत में शिक्षा

2054. श्री बाबू राव पटेल : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा 30 दिसम्बर, 1968 को 'भारत में शिक्षा की' स्थिति के बारे में इन्दौर में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "गत 20 वर्षों में हमने जो कुछ किया है वह कुछ नहीं है और वह रेतीली भूमि पर एक बहुमंजिला भवन बनाने का प्रयत्न मात्र था;"

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इन्दोर में 29 दिसम्बर, 1968 को (30 दिसम्बर, 1968 को नहीं) दिए गए भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका वक्तव्य इस प्रकार था :—

"हम उच्च शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है—यह गलत नीति है जो रेत पर बहुमंजली भवन बनाने के समान है।"

(ख) और (ग): प्राथमिक शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी मूलरूप से राज्य सरकारों की है। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने तथा अपनी-अपनी चौथी पंचवर्षीय आयोजना में इसके लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है।

उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश

2055. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नाम तथा उनकी सेवा निवृत्ति की तिथियां क्या हैं और उनकी मासिक पेन्शनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सूची में ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें समितियों अथवा आयोगों में नियुक्तियां दी गयी; इन समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति तथा इनकी समाप्ति की तिथियां क्या हैं; उन्हें दिये गये कार्य का ब्यौरा तथा इन नियुक्तियों के सिलसिले में उनकी वेतन प्रतिपूर्ति और यात्रा भत्ते के रूप में प्रत्येक की कितनी-कितनी उपलब्धियां थीं;

(ग) क्या यह सच है कि सेवा निवृत्ति के बाद समिति अथवा आयोग पर नियुक्ति की आशा का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दिलों पर प्रभाव पड़ता है और सरकार द्वारा दायर किये गये मामलों में यह प्रभाव निश्चित रूप से परिलक्षित होता है; और

(घ) इन सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को जिन्हें आराम की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि पुनः सेवा में लगा दिया जाता है, जबकि उन्हें आयु और स्मरण शक्ति की कठिनाइयां होती हैं जैसे कि पाया गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपेक्षित सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 248/69**]

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। ऐसा अनुमान करने के लिए कोई भी कारण नहीं है।

(घ) अवकाश प्राप्त न्यायाधीश साधारणतया न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक प्रकार के कार्यों वाले पदों पर नियुक्त किये जाते हैं। ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए सेवारत न्यायाधीशों की सेवाएं प्राप्त करना सदा सम्भव नहीं होता। न्यायपालिका पर लोक-विश्वास तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उस योग्यता तथा निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए जिससे वे उनको सौंपे गये कार्यों को करते रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से लोक-हित में है कि यह प्रथा समाप्त न की जाए।

सांताक्रुज हवाई अड्डे पर शुल्क रहित दुकान

2056. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांताक्रुज हवाई अड्डे पर हाल ही में खोली गयी शुल्क रहित बिक्री वाली दुकान के प्रदर्शन केसों में विदेशी विह्स्की और शराब को खुले तौर पर रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मद्य निषेध के कारण किसी प्रकार के शराब के प्रदर्शन, विज्ञापन अथवा प्रचार को निषिद्ध किया हुआ है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) शुल्क मुक्त दुकानों पर सामान केवल देश में से होकर जाने वाले, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के यात्रियों को बेचा जा सकता है और यह बिक्री पासपोर्ट, उड़ान का ब्यौरा, इत्यादि प्रस्तुत करने पर विदेशी मुद्रा में की जाती है। ये बम्बई में खपत के लिए नहीं हैं। यह दुकान हवाई अड्डे के अन्तर्राष्ट्रीय ट्रांजिट लौंज में स्थित है जहां कि आम जनता प्रवेश नहीं कर सकती है और इसका उपयोग केवल अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं पर देश से बाहर जाने वाले तथा देश में से होकर जाने वाले यात्री ही कर सकते हैं। यह विश्व भर में प्रचलित प्रथा के अनुरूप है।

लुधियाना में गांधी जी की प्रतिमा को कुरुप करना

2057. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लुधियाना में गांधीजी की प्रतिमा को कुरूप बनाने के बारे में कोई जांच की है;

(ख) क्या दोषियों का पता चल गया और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में सार्वजनिक स्मारकों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि लुधियाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा को किसी ने कुरूप नहीं किया है । अत: सरकार द्वारा कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Express Highway in Madhya Pradesh

2058. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have been given a loan by the Central Government for the construction of an express highway;

(b) if so, the amount allocated in 1967-68 and 1968-69 and the amount out of it which has been spent; and

(c) if no loan has bean given, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No proposal for loan assistance for the construction of any express highway in the Madhya Pradesh State has been received from the State Government.

Foreign Tourists visiting Madhya Pradesh

2059. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government have made any assessment to find out the number of foreign tourists visiting the places of tourist intreest in Madhya Prades each year; and

(b) whether there has been some decrease in the number of tourists visiting Madhya Pradesh during the last two years ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. The Department of Tourism does not maintain data of the number of foreign tourists visiting places of tourist interest in different States or each individual place.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये यातायात पर व्यय

2060. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में पर्यटन महत्व के स्थानों की यात्रा करने के लिये पर्यटकों को यातायात सुविधायें देने पर कितना व्यय किया गया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है, क्योंकि पर्यटक अभिरुचि के स्थानों के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

पुलिस भवन-निर्माण योजना के लिये ऋण

2061. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में पुलिस भवन-निर्माण योजना के लिये मध्य प्रदेश सरकार को ऋण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में अब तक कितने मकान बनाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	ऋण की राशि
1965-66	32.25 लाख रुपये
1966-67	32.00 लाख रुपये
1967-68	30.00 लाख रुपये

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि 1967-68 तक 18259 मकान बनाये गये ।

मध्य प्रदेश में पर्यटन

2062. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इसमें राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस तरह से ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन स्कीमों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान खजुराहो के समेकित विकास-कार्य को आरम्भ करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए अनंतिम रूप से 5 लाख रुपये की वित्तीय व्यवस्था की गयी है।

(ख) और (ग) : स्कीम के ब्यौरे को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके तैयार किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती

2063. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में भिन्न-भिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के जितने प्रतिशत उम्मीदवार रखे जाने चाहिये, उतने नहीं रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 में गुजरात राज्य में इन सेवाओं में विभाग-वार इन जातियों के कितने प्रतिशत उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व दिया गया; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए आरक्षण प्रतियोगिता-परीक्षाओं द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के क्रमश: $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की दर से किया जाता है; आरक्षण राज्यवार नहीं किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनके लिए आरक्षित रिक्तियां सन् 1962 से और भारतीय पुलिस सेवा में सन् 1963 से पूर्णत: भरी गई है। भारतीय वन सेवा में, जिसके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती सन् 1967 से आरम्भ हुई, आरक्षिक रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा विधिवत भरी गई हैं।

(ख) 31 दिसम्बर, 1968 को गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था :—

सेवा	अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या	अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या
भा० प्र० से०	156	11	1
भा० पु० से०	71	4	2
भा० व० से०	31	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।

(ग) चूंकि पहले वर्षों में भा० प्र० से० तथा भा० पु० से० में नियुक्त अधिकारी तथा प्रारम्भिक गठन की अवस्था में भा० व० से० में नियुक्त अधिकारी यथासमय सेवा निवृत्त होते हैं। अत: उ के परिणामस्वरूप आरक्षित रिक्तियां, जिनमें प्रतियोगिता परिक्षाओं द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी, पूर्णत भरे जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय खेलकूद संस्था का स्थानान्तरण

2064. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासक बोर्ड ने राष्ट्रीय खेलकूद संस्था का पटियाला से दिल्ली अथवा ग्वालियर में स्थानान्तरण करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो स्थानान्तरण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय समिति ने संस्थान के प्रशिक्षण विभाग को ग्वालियर तथा शिक्षण विभाग को दिल्ली स्थानान्तरित करने की सिफारिश की है। संस्थान के गवर्नर्स बोर्ड ने इस सिफारिश को स्वीकार्य योग्य नहीं समझा। मामला सरकार के विचाराधीन है।

दक्षिणी राज्यों के लिये फुटबाल का शिक्षक

2065. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी, राज्यों को राष्ट्रीय खेलकूद संस्था से फुटबाल का कोई शिक्षक नहीं भेजा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : जी नहीं। फील्ड विंग में काम कर रहे सात फुटबाल प्रशिक्षक हैं, जिनमें से दो दक्षिणी क्षेत्रों में हैं।

Reports and Publications etc. relating to Tourism & Civil Aviation Ministry

2066- **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the names, dates of publication, language, price and the position regarding the availability of the reports (recommendations etc) submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committee relating to his Ministry and subordinate institutions and organisations during the last three years ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : This Ministry came into being only two years ago in March, 1967. No special reports, apart from the Annual Report, have yet been published.

Indian students going Abroad

2067. **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total number of students who have gone abroad to get higher education during the last 3 years; and

(b) the number of those amongst them who adopted the foreign citizenship and settled there along with the names of the respective countries and the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) 15,271

(b) The informations is incomplete, available only in part for the U. S. A. It is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

काश्मीर के बारे में मीरवायज का सुझाव

2068. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काश्मीर के नवें मीरवायज़, मौलवी मुहम्मद फारूक द्वारा, जो इस वर्ष जनवरी में दिल्ली में थे, काश्मीर के प्रश्न के हल के बारे में व्यक्त किये गये विचारों तथा पाकिस्तान का दौरा करने के उनके इरादे की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) जम्मू व कश्मीर पर सरकार की नीति संसद में तथा उसके बाहर दोनों जगह अतीत में स्पष्ट कर दी गई है और उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं है ।

मौलवी फारूक से पाकिस्तान को जाने के लिए पारपत्र हेतु औपचारिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर मामले पर विचार किया जाएगा ।

Inducing of sense of dignity of labour among students

2069. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the steps b eing taken by Government to induce a sense of dignity of labour in the students of the country;

(b) whether Government propose to provide work to the students during the School holidays in order to make them self-dependent;

(c) if so, the nature of the scheme; and

(d) if not, the rersons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Schemes of Labour and Social Service Camps and Campus Works Project so far operated by Government envisage rendering of manual labour by students on voluntary basis and there by inculcate a sense of dignity of manual labour among them. Government has formolated a new Scheme of Natianal Service Corps Programme which inter alia covers constructive activities and social service by university students.

(b) No, Sir.

(c) and (d): Does not arise.

उच्च सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

2070. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री सीताराम केसरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जालसाजी तथा धोखाधड़ी के उन मामलों की जांच की है जिनमें 22 दिसम्बर, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे समाचार के अनुसार बड़े उच्च सरकारी अधिकारियों का हाथ है;

(ख) क्या कुछ जालसाजों द्वारा नामों, कोरे शीर्षनामों तथा अन्य सामग्री आदि का प्रयोग किये जाने के बारे में कोई भी जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और जांच करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इन मामलों में जांच कब तक आरम्भ तथा पूरा होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दो ऐसे मामले ध्यान में आये हैं। एक गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी से जाली सिफारिशी पत्र के प्रयोग के सम्बन्ध में है और दूसरा हिन्दी पुस्तकों के जाली मुद्रण और प्रकाशन के बारे में है जो एक सुविख्यात हिन्दी लेखक के नाम से लिखी दिखाई गई है।

(ख) से (ङ) : इन दोनों घटनाओं पर मामले दर्ज कर लिये गये हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

मिर्जापुर में गंगा पर पुल

2071. श्री क० लक्कप्पा :
डा० सुशीला नैयर :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल बनाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : मिर्जापुर पर गंगा का पुल राज्य सड़क पर पड़ेगा। अतः उसके निर्माण से उत्तर प्रदेश सरकार सम्बन्धित है। उसका प्रस्ताव इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का

है और इस निर्माण कार्य के लिये उसने केन्द्र से ऋण रूप में सहायता मांगी है। ऋण रूप में सहायता देने के राज्य सरकार के अनुरोध पर निर्णय चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही लिया जा सकता है।

इलाहाबाद में गंगा पर पुल

2072. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के प्रसिद्ध पुल-डिजाइन निर्माता डा० फिटज लेआन्हार्ट ने अपने हाल ही के भारत के दौरे में इलाहाबाद में गंगा पर प्रस्तावित पुल के डिजाइन के बारे में उपप्रधान मत्री के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रसिद्ध पुल शिल्पी के साथ किन मामलों पर बातचीत की गई थी और क्या पुल का डिजाइन तैयार करने में उसका सहयोग प्राप्त किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पुल के डिजाइन निर्माता उसके बिचारों को ध्यान में रखेंगे ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : जनवरी 1969 में अपनी यात्रा के दौरान डा० फ्रिटज लियोनहार्ट, जो मेसर्स एस० बी० जोशी एण्ड को० लिमिटेड, इलाहाबाद पर गंगा पुल के ठेकेदार, के सलाहकार हैं, उप प्रधान मंत्री से मिले। उप प्रधान मत्री के साथ की उनकी बातचीत में इस पुल का जिक्र हुआ। पुल के डिजाइन के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ परन्तु डा० लियोनहार्ट ने बताया कि भारत में जिन पुल परियोजनाओं का उन्होंने काम किया हैं उनमें यह परियोजना सबसे बड़ी है।

चूंकि डा० लियोनहार्ट कम्पनी के सलाहकार है, अत: उनके साथ भारत सरकार, राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के इंजीनियरों ने विचार विमर्श और उनके विचारों को नोट किया।

Nomination to Committees and Delegations

2074. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Parliamentary Affairs be pleased to state :

(a) the official Committees constituted and the delegations sent abroad by Government during the last two years in which members of Parliament are represented; and

(b) the names of members of these Committees and delegations and the names of political parties to which they belonged ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah): (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

खम्बात पत्तन

2075. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के खम्बात पत्तन में गाद जमने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां तो इस बारे में खम्बात पत्तन में क्या खराबी पाई गई है; और

(ग) सरकार को इस खराबी को कब तक दूर कराने की आशा हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) लघु पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की है। गुजरात सरकार जो कैम्बे पत्तन के विकास से सम्बन्धित है, ने सूचित किया है कि कैम्बे पत्तन में कीचड़ भरने के बाबत उसे कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात के लिये ड्रेजर

2076. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने अपने प्रयोग के लिये एक ड्रेजर मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकार द्वारा गुजरात को कब तक ड्रेजर भेजे जाने की संभावना है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने अधिक ड्रेजर मागे है; और

(ङ) अन्य किन राज्यों के पास अपने अपने ड्रेजर हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : लघु पत्तनों की आवश्यकता के लिए भारत सरकार के पास 2 चूषण निकर्षकों का बेड़ा है। इनमें से एक निकर्षक जब से लिया गया था तब से भावनगर और ओखा पर काम कर रहा है।

गुजरात सरकार के भी अपने निकर्षक हैं। चूंकि इनमें से कुछ निकर्षक पुराने हैं। अतः उसने भारत सरकार को 23 85 685 डी एम विदेशी मुद्रा मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता द्वारा एक डीजल चूषण हायर निकर्षक निर्माण करने के लिए कहा। अतः विदेशी मुद्रा दे दी गयी है और आदेश दे दिया गया है। उस सरकार ने 35 लाख रु० की लागत पर एक दूसरा इस्पात हल पीपा ग्रैब निकर्षक खरीदने के लिए भी प्रस्ताव रखा। इस निकर्षक के निर्माण के लिए आवश्यक अंगों को आयात करने के लिए उसने 1.25 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा देने की मांग की। इस मांग की जांच की जा रही है।

(ङ) आंध्र प्रदेश, मदरास, केरल, मैसूर और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के भी अपने छोटे निकर्षक है।

बिहार के मन्त्रियों के विरुद्ध जांच

2077 श्री क० अनिरुद्धन :
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सत्य नारायण सिंह :
डा० सुशीला नायर :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह कार्य मन्त्री 29 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के भूतपूर्व छः कांग्रेसी मन्त्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(ङ) जांच के कब पूरा होने की सम्भावना है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : बिहार सरकार ने बताया है कि चूंकि आरोपों की संख्या बहुत अधिक है और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का पालन भी करना पड़ता है । अतः जांच पूरी करने में कुछ समय लग सकता है । उन्हें आशा है कि जांच 30 सितम्बर, 1969 तक पूरी हो जायगी ।

Aircraft for I.A.C. & Air India

2078. Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri D. C. Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri B. K. Das Chowdhury :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision on the question of purchase of new types of aircraft, with a larger capacity, for the Indian Airlines and Air India; and

(b) if so, the details of the decision, the amount of foreign exchange involed therein and the likely gain therefrom ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Kara Singh) : (a) and (b): With the approval of Government, Air-India have placed orders for two Boeing 147 (Jumbo-Jets) involving foreign exchange of Rs. 4500 crores.

The proposal of the Indian Airlines for the purchase of several 130 plus capacity aircraft is still under consideration of Government.

Tata Mercedes Buses

2079. **Shri Surj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Commission is given by the Tata Mercedes to Government on the purchase of vehicles:

(b) the amount of Commission given under the President's Rule to the States, Union Territories and various Ministries of the Central Government per annum, separately, on making such purchases; and

(c) where and under which Head this amount has been deposited ?

The Minister of Parliamentary Affairs, and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a), (b) and (c) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sadha, when received.

Change in Decentralised Adiministration for Central Secretariat

2080. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to make some change in the "decentralised adiministration" for the Central Secretariat Services;

(b) if so, the details and the purpose thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) ; (a) to (c) : The question of making certain changes to the present decentralised adiministration of the Central Secretariat Services is still under consideration and a decision is likely to be taken in the near future as the Administrative Reform Commission are likely to make some recomendations in regard to the management of Secretariat Services also.

लक्कदीव द्वीप समूह में शिक्षा का विकास

2081. श्री प० मु० सईद : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-98 के दौरान लक्कदीव द्वीपसमूह में शिक्षा के विस्तार के लिये कितनी राशि नियत की गयी;

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान वास्तव में कितनी राशि व्यय की गयी;

(ग) क्या द्वीप समूह में तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1966-67 वर्ष के लिए नियत रकम 14,94,000 रुपए थी। और

1967-68 के लिए 17,41,000 रुपए थी।

(ख) 1966-67 के दौरान 14,23,989 रुपए और
1967-68 के दौरान 16,30,021 रुपए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तकनीकी संस्थाओं में दाखिला चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी नहीं है कि द्वीपसमूह में कोई तकनीकी संस्था आरम्भ करना न्यायसंगत हो, ऐसे विद्यार्थियों को मुख्य भूमि की संस्थाओं में दाखिल किया जाता है।

लक्कदीव द्वीपसमूह में बन्दरगाह

2082. **श्री प० मू० सईद** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव द्वीपसमूह में बन्दरगाह के विकास के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवरन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : यह निश्चित करने के लिये कि निकर्षण किस द्रव का होता है तथा किस प्रकार का निकर्षक उसके लिये प्रयुक्त किया जायेगा, बोरिंग और भूमि की जांच का काम पूरा हो गया है। एक निकर्षक और जेट्टी निर्माण के लिये स्थूण ठोकने के उपस्कर खरीदने के लिये आदेश दिये गये हैं। दो लांच एक टग और एक "पावलो बोट" खरीद लिये गये हैं। जेट्टियों के निर्माण के लिये सामान एकत्रित किया जा रहा है। जल मार्गों पर चिन्ह लगाने का प्रबन्ध प्रगामी प्रावस्था में है। अधिकांश द्वीपों का जलीय सर्वेक्षण किया जा चुका है और शेष का किया जा रहा है। निर्माण कार्य के चौथी योजना काल में पूरा होने की संभावना है।

रोजगार और शिक्षा नीति पर गोष्ठी

2083. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 और 8 दिसम्बर, 1968 को रोजगार और शिक्षा की नीति पर पटना में बिहार शिक्षा नागरिक परिषद् के तत्वावधान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या गोष्ठा ने, जिसमें विख्यात अर्थशास्त्रियों तथा सामाजिक विचारकों ने भाग लिया था, समस्या के समाधान के लिये दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपायों का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य सुझाव क्या हैं; और

(घ) उनके प्रति सरकार ने कहां तक सहमति व्यक्त की हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : सेमिनार ने, शिक्षा मंत्रालय के पास कोई पत्र नहीं भेजा हैं । किन्तु, समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, इसकी सिफारिशों की एक प्रति मंगाई गई है । इसके प्राप्त होने पर, इसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Dayal Commission's Report

2084. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Bhogendra Jha :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Hardyal Devgun :
Dr. Sushila Nayar :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4355 on the 13th December, 1968 and state :

(a) whether the report of the Raghubar Dayal Commission on the communal riots in the various parts of the country has been received by Government;

(b) if so, the findings of the Commission and its main recommendations; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Government have received of the Commission in respect of disturbances at Ranchi-Hatia. The Commission's inquiries into disturbances at other places are still in progress.

(b) and (c): The report regarding riots at Ranchi-Hotia was laid on the Table of the House on 25.2.69. A copy had been sent to Government of Bihar for appropriate action on the points concerning them. Copies of the reports have also been sent to the other State Government for their information and appropriat action on the recommendations which call for action at the district and State levels. The recommendations requiring action the Central Government are receiving attention.

दिल्ली में निजी वाहनों के लिये परमिट देने की प्रक्रिया

2085. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लोगों को सार्वजनिक वाहन के लिये परमिट देने की प्रक्रिया तथा आधार क्या है; और

(ख) संबंधित विभाग द्वारा एक परमिट देने में कितना समय लगता है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) ; मोटरगाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 56 के अन्तर्गत उक्त अधिकरण अधिनियम की धारा 57 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार राज्य परिवहन दिल्ली द्वारा जनता वाहनों के परमिट दिये जाते हैं। उस अधिनियम की धारा 57 में दिये गये विचारों के अलावा, दिल्ली प्रशासन के अनुसार अन्य सिद्धान्त जो अपनाये जाते है ये है- आवेदक को संघ क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए और आवेदन पत्र की तारीख को उसे एक मोटरगाड़ी जो 10 वर्ष से पुरानी न हो, प्रस्तुत करनी चाहिए।

ऐसे परमिट को प्रदान करने में सामान्य तौर पर लगभग दो मास लगते है। यदि आवेदक ने ऐसा अनुरोध किया हो तो उक्त सिद्धान्तों की शर्त के अनुसार स्थायी परमिट दिये जाने तक एक अस्थायी परमिट भी दिया जाता है।

लेबनान के साथ विमान सेवा करार

2086. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और लेबनान के बीच एक विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) करार को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : भारत सरकार तथा लेबनान गणराज्य की सरकार के बीच हवाई सेवाओं से संबंधित एक करार पर 19 सितम्बर, 1964 को हस्ताक्षर किये गये थे तथा 4 अप्रैल, 1966 को उसका अनुसमर्थन किया गया था।

भारत सरकार तथा लेबनान सरकार के प्रतिनिधिमंडलों के बीच दिसम्बर, 1968 के पहले सप्ताह में विमान सेवाओं के संबंध में बातचीत हुई जिसके परिणामस्वरूप दोनों प्रतिनिधिमण्डलों के नेताओं ने 6 दिसम्बर, 1968 को सहमति सूचक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

सहमति सूचक ज्ञापन की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

(i) भारतीय आप्रवास यातायात में लेबानीज़ वाहकों की भागेदारी को निर्दिष्ट करने की रीति तथा सूत्र, भारत एवं लेबनान के वैमानिक प्राधिकारियों द्वारा

अनुमोदन किये जाने की शर्त पर, इन दोनों देशों के वाहकों के बीच होने वाले करार के द्वारा दो माह के अन्दर निर्धारित किये जायेंगे ।

(ii) जैसे ही एयर इंडिया तथा लेबानीज़ वाहकों के बीच करार हो जाता है, इसे संबधित वैमानिक प्राधिकरणों के पास अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा । दोनों वैमानिक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किये जाने पर, लेबानीज़ प्राधिकारी आई० ए० टी० ए० यातायात सम्मेलन क्षेत्र 2 और 3 के बीच किरायों को अस्वीकृत करने वाले अपने सरकारी आदेश को तत्काल वापिस ले लेगी ।

(iii) लेबानीज़ प्राधिकारी वचन देते है कि क्षेत्र 2 और 3 के बीच किरायों को अस्वीकृत करने वाले लेबानीज़ सरकार के आदेश को वापिस लेने तक, लेबानीज़ वाहक भारत तथा लेबनान के बीच जनवरी, 1968 से पहले आई० ए० टी० ए० टैरिफो का पालन करेंगे ।

डा० जार्ज थामस द्वारा अमरीका से धन की प्राप्ति

2087. **श्री के० एम० अब्राहम ।**
श्री प० गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री 15 नवम्बर, 1968 के डा० जार्ज थामस द्वारा अमरीका से धन की प्राप्ति सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या 910 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के डा० जार्ज थामस द्वारा अमरीका से धन प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय ने अग्रेतर जांच की है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांचों से मालूम होता है कि डा० जार्ज थामस द्वारा अमरीका से प्राप्त धन वैध तरीकों से है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन नहीं है । अत: इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के सेनानियों पर पुस्तक

2088. **डा० रानेन सेन :**
श्री जागेश्वर यादव :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रामावतार शास्त्री
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के सेनानियों पर एक वृहद् ग्रन्थ प्रकाशित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों से सामग्री एकत्र करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) पुस्तक के संकलन कार्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) पुस्तक कब तक तैयार हो जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। सरकार ने उन देशभक्तों का परिचय (हू इज हू) निकालने का निर्णय किया है, जिन्हें देश की आजादी की लड़ाई में लड़ते हुए फांसी दी गई थी अथवा जो मारे गये थे।

(ख) राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से सामग्री एकत्र करने के लिए, प्रायोजना अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं।

(ग) और (घ) : आवश्यक सामग्री एकत्र की जा रही है और आशा है कि पुस्तक अक्तूबर, 1969 तक तैयार हो जाएगी।

साम्यवादियों की नीति

2089. श्री ओंकार सिंह : **श्री शारदानन्द :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने बरौनी में कहा था कि साम्यवादी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये समूचे देश में अराजकता फैलाने और गम्भीर स्थिति पैदा करने की नीति पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने साम्यवादियों की अन्य देशों के प्रति निष्ठा की निन्दा की थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन साम्यवादियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को दबाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : गृह मंत्री ने साम्यवादी विचारधारा, जिसका राजनैतिक स्तर पर विरोध करना है, के बारे में सामान्य रूप में कहा है और इसलिये कोई विशेष कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

Nehru University, New Delhi

2090. Shri Onkar Singh : **Shri Sharda Nand :**
Shri Kanwar Lal Gupta : **Shri Prakash Vir Shastry :**
Shri J. B. Singh : **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the progress made in respect of Nehru University to be set up in New Delhi;

(b) the subjects which would be taught in this University and the time by which the University would start functioning; and

(c) the expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) About 600 acres of land for the purpose of the University has been acquired. The question of constituting the various authorities of the University and the appointment of the Vice-Chancellor are under consideration.

(b) It will be for the University authorities to decide the specific subjects to be taught in the University. While no date can be indicated at this stage, efforts are being made to establish the University as soon as possible

(c) A provision of Rupees one crore has been proposed in the 1969-70 budget.

प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का पुनर्गठन

2091. डा० सुशीला नैयर :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) बोर्ड के अध्यक्ष का नाम क्या है और सदस्यों की संख्या और नाम क्या है; और

(घ) बोर्ड के निदेशपद क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) पिछले बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है।

(ग) अध्यक्ष—इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री जे० के० टण्डन

सदस्य

1. श्री कान्ति चौधरी, संयुक्त सचिव, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय।
2. श्री द्वारकानाथ गोवर्धन, बार-एट-ला० एडवोकेट, सर्वोच्च न्यायालय।
3. श्री सी० बी० राव, सेवानिवृत्त आई०सी०एस० तथा अध्यक्ष केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा।
4. श्री एस०एच० बेलाबाड़ी, सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा तथा परिषद्, बम्बई।
5. श्री डी० सूर्यनारायण स्वामी, भूतपूर्व कानून सचिव, आंध्र प्रदेश।
6. श्री बी० शर्मा, सचिव, कानून विभाग, असम सरकार।

(घ) कापीराइट बोर्ड, कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के अधीन स्थापित तथा उक्त अधिनियम की धारा, 6,31,32,50 और 52 (1) में निर्दिष्ट कुछ कार्यों को करने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय है ।

विदेश भेजे गये प्रतिनिधि मंडल

2092. डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लक्कप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा गत दो वर्षों में कितने प्रतिनिधि मंडल विदेशों को भेजे गये;

(ख) इन प्रतिनिधि मंडलों ने किन-किन देशों का दौरा किया है;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल ने कितनी राशि व्यय की; और

(घ) इससे क्या परिणाम निकले ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 249/69]**

Publication of Obscene Literature

2093. Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Sushila Nayar :
Shri K. Lakkappa :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the publication of obscene literature is increasing in the country;

(b) whether it is also a fact that obscene literature is being published on a large scale in Indian Languages also; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to check this ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : Government is aware that there has been some increase in the publication of obscene literature in some parts of country Instances of such Pub'ications in Hindi have also come to notice.

(c) The Central Government have requested all the State Government and Union Territory Administrations to take action under law for checking the production, sale and circulation of obscene publications. The State Government have launched a number of prosecutions against several journals containing obscene literature. A Private Member's Bill which seeks inter alia to strengthen legal provisions to deal with such publications is under the consideration of a Select Committee of the House.

Administrative Reforms Commission

2094. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Administrative Reforms Commission has been asked to expedite the Submmission of its reports;

(b) whether this is likely to handicap this important Commission in taking decisions with the degree of seriousness expected of it; and

(c) if so, whether the Commission has been allowed any latitude to take due time in the Submmission of its reports so that no important suggestions are left out ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : The resolution setting up the Administrative Reforms Commission requires the Commission to make its report to the Government as soon as practicable. Although no directive has been issued by the Government, the Commission has more than once been requested to indicate the time by which it would be in a position to complete its work. No handicap can possibly arise out of this for the Commission, which is free to give the fullest consideration to the formulation of its reports.

Relatives of Employees of Education and Youth Services Ministry living in Pakistan

2095. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Kumari Kamla Kumari : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) The number of employees in his ministry and its attached and subordinate Offices whose near relatives are living in Pakistan; and

(b) the number of employees out of them who went to Pakistan to see their near relatives during the last two years ?

The Ministry of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Printing of Forms in Hindi

2096. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Kunari Kamla Kumari : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5246 on the 20th December, 1968 regarding reconstitution of Hindi Salahakar Samiti and state ;

(a) the number of forms got printed by various Ministeries in Hindi from July to December, 1968 in the light of the orders issued by his Ministry in connection with the Printing of forms;

(b) whether it is a fact that the printing of Manual and Forms in Hindi is being delayed unnecessarlly by various Ministries; and

(c) if so, the action Government Propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) During the period, 743 forms were got printed bilingually.

(b) No, Sir.

(c) Quarterly progress reports are scrutinized in the Ministry of Home Affairs and where necessary attention of the Ministry/Department concerned is specifically drawn. The Central Hindi Directorate who are responsible for ihe translation of non-statutory forms and manuals have made arrangements to complete these translations by the target dates inicated by the Ministries/Departments.

आसाम के पुनर्गठन के विरुद्ध आन्दोलन

2297. श्री म० ला० सोंधी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्वतीय लोगों के कुछ संगठन अब भी आसाम के पुनर्गठन की योजना के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)। (क) पर्वतीय राज्य जन लोकतांत्रिक दल नामक संस्था ने जो पुनर्गठन योजना के घोषित करने के पश्चात अस्तित्व में आई है, अपना मत इस योजना के विरुद्ध व्यक्त किया है।

(ख) सामान्य रूप से पुनर्गठन योजना से आसाम के पहाडी और घाटी-क्षेत्रों में संतोष की भावना फैली है और वह दोनों क्षेत्रों के हित में है। सरकार आशा करती है कि जो व्यक्ति इस समय योजना का विरोध करते हैं वे भी इसके गुणों को शीघ्र ही समझने लगेंगे।

दिल्ली महानगर परिषद के स्कूलों में कार्य कर रही महिला असिस्टेंट टीचर

2098. श्री म० ला० सोंधी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद द्वारा उन महिला असिस्टेंट टीचरों को, जिन्होंने हड़ताल के दिनों में काम किया था यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों पर उन्हें लगाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कितनी महिला अध्यापकों को काम पर लगा लिया गया है और अभी कितनों को काम पर लगाना शेष है।

(ग) क्या यह भी सच है कि 1965 में परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को काम पर लगाये बिना प्रतीक्षा सूची समाप्त की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, किन्तु नियमित रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए उन अध्यापिकाओं को प्राथमिकता दी गई थी जिन्होंने हड़ताल की अवधि के दौरान कार्य किया था और 1965 की

भर्ती परीक्षा ली थी, अपेक्षाकृत उन अध्यापिकाओं के जिन्होंने हड़ताल की अवधि के दौरान कार्य नहीं किया था ।

(ख) हड़ताल की अवधि के दौरान जिन 2,500 अध्यापिकाओं ने कार्य किया था उनमें से अभी तक 125 अध्यापिकाओं को नियमित रिक्त स्थानों पर खपाया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रतीक्षा-सूची आमतौर पर केवल एक वर्ष के लिए मान्य होती है । इसके अतिरिक्त, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में भी परिवर्तन हो गया है ।

Appointment of senior research officers in C. S. T. T. through U, P. S. C.

2099. **Kumari Kamla Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some time back, a number of Senior Research Officers were appointed on ad-hoc basis in the Commission for Scientific and Technical Terminology and the appointments to these posts were to be regularised subsequently through the Union Public Service Commission;

(b) whether it is also a fact that the Union Pubic Service Commisson has not been approached as yet;

(c) if so, the reasons therefor: and

(d) the time likely to be taken for making regular appointments to these posts through the Union Public Service Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes. Sir.

(b) to (d) : The staff requirments of the Commission for Scientific and Technical has since been reassessed in the light of the actual work they are required to complete by 1. 1. 1970. The posts now required by the commission, under the Recruitment Rules, will have to be filled by the Departmental Promotion. The U. P. S. C. has been requested to fix a date for the meeting of the Departmental Promotion Committee the selection of suitable candidates as soon as possible.

Scientific and Technical Terminology Commission

2100. **Kumari Kamla Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the number of Technical Officers and other staff engaged in non-technical work at present in the Administrative Section of the Scientific and Technical Terminology Commission;

(b) the nature of work now assigned to them;

(c) whether Government will consider immediately the question of replacing these technical officers and other staff by non-technical staff and utilies the services of the former for other jobs; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) One Senior Research Officer and one Technical Assistant.

(b) The Senior Research Officer is acting as the Drawing and Disbursing Officer and as in-charge of Budget, Accounts and Genensl Section, A Technical Assistant drawn from Technical side, along with another Technical Assistant on the Administration side, for which a post was regularly sanctioned, are attending to administrative work and correspodence in Hindi.

(c) and (d): The Commission has requested for sanction of a post of non-Technical Officer. The Senior Research Officer will be relieved of his present charge when the post of a Non-Technical Officer is sanctioned. The other Technical Assistant will be relieved as soon as the pressure of work eases.

मुगल लाइन्स लिमिटेड

2101. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगल लाइन्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को इसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी,

(ख) 31 मार्च, 1968 को कम्पनी को कितना ऋण चुकाना था और इसमें से कितना केन्द्रीय सरकार को, बैंकों अथवा अन्य निकायों को देना था,

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया है, और

(घ) गत तीन वर्षों के कार्य के क्या परिणाम रहे हैं, कितनी लाभ और हानि हुई, यदि हानि हुई है, तो उस के मुख्य कारण क्या हैं और 1968-69 के बारे में क्या अनुमान हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) :

		1960	31-3-63 को
		(रुपये लाखों में)	
(क)	अधिकृत पूंजी	200·0	200·0
	प्रदत्त पूंजी	101·19	101·19

		केन्द्रीय सरकार	बैंक	अन्य पार्टियां (नौवहन विकास निधि समिति)	कुल योग
(ख)	ऋण राशि	54·99	531·57	114·42	700·98

(ग)	चुकाया गया ब्याज	1965	1966	1967	
		1·03	3·00	3·43	
	कुल लाभ				
(घ)	कार्यचालन परिणाम	1965	1966	1967	1968
		66·40	34·37	68·60	60·40
	घोषित लाभांश	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत	$7\frac{1}{2}$ प्र० श०	$7\frac{1}{2}$ प्र० श०	

बम्बई पत्तन के द्वारा विदेशी व्यापार

2102 **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 में बम्बई पत्तन से होने वाले विदेशी व्यापार में भारतीय पोतों के अंश में कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन से किन किन वस्तुओं का कम मात्रा में निर्यात हुआ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

ससद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) बम्बई पत्तन द्वारा कुल आयात और निर्यात सन् 1965-66 और 1966-67 के दौरान हुए और उसमें भारतीय जहाजों का हिस्सा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	कुल आयात और निर्यात (टनों में)	कुल निर्यात आयात भारत के जहाजों का हिस्सा (टनों में)	प्रतिशत
1965-66	13,739,772	2,089,066	15 2 प्र०श०
1966-67	12,742,532	1,517,713	11·9 प्र०श०

ऊपर दिये गये आंकड़े प्रकट करते हैं कि 1966-67 के दौरान भारतीय जहाजों के शेयर के कुल प्रतिशत में गिरावट आई है।

(ख) जहां तक बम्बई पत्तन से निर्यात का सम्बन्ध है सन 1965-66 की तुलना में सन 1966-67 में कच्चा लोहा, कच्चा मैगनीज तेल केक और चीनी के निर्यात में गिरावट आई है।

(ग) सन 1966-67 के दौरान भारतीय जहाजों द्वारा किये गये निर्यात में गिरावट नहीं आई, बल्कि वृद्धि हुई है। सन 1965-66 के आंकड़े 4·78 लाख टनों में और सन 1966-67 में आंकड़े 4·82 लाख टन है। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इन दोनों के दौरान अनाज और फर्टिलाइजर आयात की मुख्य मदें थीं। सन 1965-66 में 2.6 लाख मिलियन टन गेहूं और मिलो आयात किया गया और सन् 1966-67 में 3 मिलियन टन दो सालों में क्रमशः

50,000 टन और 7,34,000 टन फर्टिलाइजर का आयात हुआ। बम्बई पत्तन में अनियमित पोतों द्वारा अनाज और फर्टिलाइजर को आयात होता है। समुद्र पार के व्यापार में लगे भारत के जहाज प्रायः लाइनर व्यापार पूर्णतः व्यस्त रहते हैं। सन 1965-66 की तुलना में सन 1966-67 में कुल आयात यातायात में गिरावट आई। लाइनर व्यापार में भारत का शेयर 40 प्र० श० सीमित है।

मद्रास में नया बाहरी बन्दरगाह

2103. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास में एक नये वाह्य पत्तन का निर्माण इस बीच पूरा कर लिया गया है ?

संसद कार्य, तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : जी नहीं, मद्रास पर नया बाहरी हारबर का निर्माण अभी जारी है और वर्तमान लक्षणों के अनुसार उसके अक्तूबर 1969 तक पूरा होने की सम्भावना है।

छोटे पत्तनों का विकास

2104. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पत्तनों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता देने की प्रथा पुनः शुरू हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 13-9-68 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि लघु पत्तनों के विकास की कुछ ठीक प्रकार परिभाषिक योजनाएं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शामिल की जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Recruitment to Class III and IV posts in the Ministry of Tourism and Civil Aviation

2105. Shri D. R. Parmar :
Shri R. K. Amin :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :--

(a) whether it is a fact that his Ministry had advertised certain posts of Class III and IV Staff reserved for the Scheduled Castes, in the month of September, 1968 and had invited applications therefor ;

(b) the number of the Scheduled Caste applicants who had applied, the number of persons called for interview and the number of persons selected ; and

(c) whether this number was according to the quota fixed for the Scheduled Castes and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) : No, Sir, not in the Ministry prepar, but fuller information is being obtained from the Directorates and Departments.

Chairman of Scientific and Technical Terminology Commission

2106. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Scientific and Technical Terminology Commission is more than 70 years old ;

(b) whether he was medically examined at the time of appointment ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether persons of lesser age possessing similar qualifications were not available in the country ; and

(e) if such persons are available in the country, the reason why one of them was not appointed on the said post ?

The Minister of state in the Ministry of Education and Youth Services (**Shri Bhakt Darshan**) : (a) to (e) : The age of the Chairman is now 71 years. A high-level selection committee, consisting of former Education Minister and two Ministers of State in the Ministry of Education, Director-General, C. S. I. R., and the Chairman, University Grants Commission, considered the names of persons, who could be available and who were suited for the post of Chairman. The committee considered Dr. Babu Ram Saksena, the present Chairman, as best suited for the post in view of his eminence in linguisti fields and his past experience as Vice-Chairman. Subsequently, the recommendation of the committee was approved by the Cabinet. The Government of India also exempted the present Chairman from medical examination under the relevant provisions of Fundamental Rules and Supplemenary Rules.

Law and Order in University Campus

2107. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the reaction of his Ministry to the observations made by the Vice-Chancellors of Universities in their last conference that keeping in view the growing subversive tendencies amongst students the restrictions on the entry of the Police into the University campus need not be kept in force any longer;

(b) the steps being taken to check the subversive activities of the students in the University campus; and

(c) whether a statement showing the details of the damages caused to properties by the subversive activities of the students during the year 1968-69 (upto 31st January, 1969) will be laid on the Table ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b) : Which Conference of the Vice-Chancellors is referred to is not clear. However, as public order is a subject in the State List, it is primarily for the State Governments to take appropriate-action in the matter. As for the Central Government. with a view to providing a congenial atmosphere for study and research and to divert the students' attention

from undesirable activities, the University Grants Commission has been assisting the universities in implementing various programmes of student welfare.

(c) Information is not available.

भारत में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक

2108. श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरज भान :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक हैं और उनमें से कितने लोग राष्ट्रमण्डलीय देशों के हैं और ईसाई धर्म-प्रचारकों को गत तीन वर्षों में नकद तथा वस्तुओं के रूप में कितनी धनराशि मिली ;

(ख) धर्म-प्रचारकों द्वारा देश में कितने स्कूल, कालेज, औषधालय तथा अस्पताल चलाये जा रहे हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में किन-किन धर्म-प्रचारकों द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिए जाने का पता लगा है ;

(घ) उनके विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों का व्यौरा क्या है, तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में कितने नये विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारकों को भारत में आने की अनुमति दी गई है और कितने धर्म-प्रचारकों को उनको भारत में रहने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी भारत में ठहरने की अनुमति दी गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पहली जनवरी, 1968 को भारत में पंजीकृत विदेशी धर्म-प्रचारकों की संख्या 6,420 थी, उनमें से 2,624 राष्ट्रमण्डलीय देशों के थे।

विदेश से प्राप्त राशि के रखे गये आंकड़ों में धर्म-प्रचारक संस्थाओं द्वारा प्राप्त बाहर से भेजी हुई राशि के लिए अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता है। आदान-प्रदान लेखाओं में ये बाहर से आने वाली राशि सामान्य शीर्षक "निजी दानों" के अधीन आती है। इस शीर्षक के अधीन एक उप-शीर्षक धर्म-प्रचारकों, दानशील संस्थाओं तथा दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्राप्तियों का लेखा है। इस उप-शीर्षक के अधीन 1966 और 1967 के दौरान रखे गये लेखे में पी० एल० 480 के शीर्षक II और III तथा राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के अधीन प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इस उप शीर्षक के अधीन 1965, 1966 तथा 1967 के दौरान रखे गये हिसाब की कुल राशि क्रमश: 1,227 लाख रुपये, 6,886 लाख रुपये तथा 6,680 लाख रुपये (आदान-प्रदान की प्रचलित दर पर) थी।

सामान के रूप में प्राप्त राशियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Issue of orders, memoranda etc. in Hindi

2109. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Charan :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry expects from the various Ministries of the Government of India to issue all orders, office memoranda, etc. in Hindi along with English, whereas the Ministry itself issues administrative and other types of office memoranda to different Ministries only in English ;

(b) the total number of office memoranda, orders, circulars regarding pay and allowances etc. issued by his Ministry to different Ministries during the later half of 1968 and the number out of them issued in English and Hindi ;

(c) the reasons for issuing some of the circulars etc. in English only ; and

(d) whether it is proposed to issue all office orders, circulars etc. in Hindi also in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (c) :-While general orders are required to be issued both in Hindi and English, this requirement does not apply to the office memoranda. The administrative instructions for the implementation of the provisions of the Official Languages Act as amended were issued on 6-7-1968. Thereafter some time was taken in making the necessary administrative arrangements for the purpose.

(b) The collection of information regarding issue of memoranda and circulars regarding pay and allowances by the Home Ministry during the later half of 1968 will involve labour and expense which may not be commensurate with the results to be achived. However, the position regarding the issue of "General Orders" by the Ministry of Home Affairs during this period is as under :

No.	Issued bilingually	Issued only in English
57	27	30

(d) The implementation of this requirement regarding general order is being watched through the quarterly progress reports and follow up action is being taken where necessary.

Integrated Civic and Administrative set up for Delhi.

2110. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri S. C. Samant
Shri Yashpal Singh :
Shri Yagna Datt Sharma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Metropolitan Council of Delhi has unanimously adopted a resolution that the existing set-up of Delhi both at the civic and administrative levels be replaced by an integrated and powerful set-up ;

(b) if so, Government's reaction thereto ; and

(c) when the change, if any, is likely to be effected ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes Sir. The resolution also states that a Committee consisting of 11 members of the House, to be nominated by the Chairman, should be constituted to consider this entire issue of Administrative set up and it should submit its report by the first day of the next session.

(b) and (c) : Do not arise at present in view of what is stated above.

Anti-Hindi Atmosphere in Central Secretariat :

2111. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Charan :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the view of the Hindi Adviser to the Government of India (vide page 30 of the Report of the 10th July, 1967) that the atmosphere of the Central Secretariat is anti-Hindi ;

(b) if so, the steps proposed to be taken to normalise the anti-Hindi atmosphere ;

(c) whether it is also a fact that the officers of the Hindi Teaching Scheme, Regional Hindi Teaching Officers etc. correspond with each other and with various Ministries in English and the transfer orders of teachers are issued in English only ; and

(d) if so, whether it is proposed to end this position and issue orders to the effect that all the work relating to Hindi Teaching Scheme be done in Hindi only ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) What the Hindi Adviser has observed in his report is that no obstacles should be raised against the Government's policy regarding the use of Hindi and that the extent of success in this behalf will depend on the sympathetic attitude of officers towards this policy ;

(b) Does not arise ;

(c) and (d) : Central Government employees are free to use either Hindi or the English language for transacting their official work. Although Hindi would be gradually used to an in creasing extent for the work relating to the Hindi Teaching Scheme, it is not possible to completely ban the use of English for this purpose. However, Trasfer Orders will hencoforth be issued both in Hindi and English.

लाहौल और स्पिति पर प्रशासनिक व्यय

2112. श्री हेम राज : क्या गृह-कार्य मन्त्री 22 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौल और स्पिति पर 1960 से 1968 तक हुए प्रशासनिक व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

संयुक्त पंजाब की सांझी सम्पत्ति में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा

2113. श्री हेम राज : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में संयुक्त पंजाब की सांझी सम्पत्ति में से हिमाचल प्रदेश को जो क्षेत्र दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इसका कब्जा हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया है और यदी नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के भाग का वास्तविक कब्जा उसे कब दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : नई दिल्ली में स्थित आठ एकड़ को नाभा प्लाट नामक सम्पत्ति में से एक एकड़ का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को, तीन एकड़ का हरियाणा को और चार एकड़ का पंजाब को आवंटित किया गया है । यह सम्पत्ति पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार के कब्जे में है और इस पर रिहायश के लिये अनेक हटमेंट्स बनाये गये थे । ये हटमेंट्स आवास के सामान्य समुच्चय का भाग हैं और आवंटित किया गया है । दिल्ली में सामान्य समुच्चय में आवास की भारी कमी के कारण इन्हें खाली कराना सम्भव नहीं है । अत: हिमाचल प्रदेश सरकार को तथा अन्य उत्तराधिकारी सरकारों को आगामी कुछ समय के लिए इस भूमि का खाली कब्जा देना सम्भव नहीं हो सकता है ।

Explosion in Cuttack :

2114. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether an explosion had taken place in a house in Cuttack in Orissa in January, 1969 causing a number of casualties ;

(b) whether Government have ascertained the causes of explosion ;

(c) if so, the outcome thereof and the action taken against the culprits ; and

(d) whether the activities of the foreign agencies have come to light during the investigation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla : (a) Yes, Sir. An explosion is reported to have taken place on the night of 22/23. 1. 1969.

(b) to (d) : The matter is under investigation of the State Government.

केरल में गुप्त माओ संगठन

2115. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की एक उग्रवादी संस्था ने माओ त्से तुंग के चित्र के समक्ष एक गुप्त संस्था बनायी है तथा उन्होंने अपने हाथों से रक्त निकाल कर एक वक्तव्य में अपने हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी गयी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रिपोर्ट सही नहीं है ।

दुर्गापुर में डा० विधान चन्द राय की मूर्ति को क्षति पहुँचाना

2116. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दुर्गापुर में हुई गुंडागर्दी की एक घटना की ओर दिलाया गया है जिसमें मध्यावधि चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री विधान चन्द्र राय की मूर्ति का सर अलग कर दिया गया था ; और

(ख) अपराधियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति न्याय करना

2117. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रालयों को भेजे गये दिनांक 15 जनवरी, 1962 के गृह-कार्य मन्त्रालय के निदेश के बावजूद, नये नियमों को लागू होने के पश्चात रेलवे, संचार तथा प्रति रक्षा मन्त्रालयों के अधीनस्थ विभागों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति किये गये अन्याय की शिकायतों को दूर कराने के लिये अधीनस्थ कर्मचारि वृन्द के सदस्यों की अपीलों, अभ्यावेदनों तथा ज्ञापनों पर विचार नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या 1965 के सी० सी० ए० नियमों के कुछ उपबन्ध उपर्युक्त निदेश के प्रतिकूल हैं ;

(ग) क्या 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में मन्त्रालयों को प्राप्त हुई, अभिस्वीकृति तथा निपटाई गई ऐसी याचिकाओं तथा अभ्यावेदनों आदि की संख्या के बारे में ब्यौरे की जानकारी सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय मन्त्रालयों का अपने अधीनस्थ विभागों द्वारा न्याय करने के मामलों में पूरा नियंत्रण लागू करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह-मन्त्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ख) सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) नियमावली, 1965 में ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील पर विचार न करने की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत उक्त नियमावलि के अधीन अपील की गई है । इस विषय में सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) नियमावलि, 1965 के नियम 26 की एक प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-250/69]**

(ग) सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है । ऐसी सूचना को एकत्रित करने में काफी श्रम तथा समय लगेगा चूंकि सरकारी कर्मचारियों से समय-समय पर दैनिक प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के मामलों पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं ।

(घ) प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने की हिदायतें दी गई हैं कि समय-समय पर सरकार द्वारा जो आदेश/अनुदेश जारी किये जाते हैं उनका अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाय ।

गालिब स्मारक की आधार शिला की चोरी

2118. श्री स० मो० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति ने एक वर्ष पूर्व गालिब स्मारक की जो आधार-शिला रखी थी, वह चुरा ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब इसका पता लग गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि गालिब स्मारक की आधार-शिला उसके स्थान से चुराई गई है । मामले में जांच तुरन्त आरम्भ की गई थी तथा पूरी तरह की गई जांच पड़ताल से पता चला कि आधार-शिला कुछ समय पूर्व गिर गई थी तथा इसके टुकड़े व किरच समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उठा दिये गये थे । इस प्रकार आधार-शिला की कोई चोरी नहीं हुई और न ही इसके पीछे कोई ऐसी मंशा थी ।

कोटला फीरोजशाह, दिल्ली में अशोक स्तम्भ

2119. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कोटला फीरोजशाह में अशोक स्तम्भ टूटने की स्थिति में है तथा उसके अनेक भागों से प्लास्टर का एक मोटा भाग, जिस पर 2,200 वर्ष पूर्व लिखे गये अशोक के शिलालेख हैं, गिर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ऐतिहासिक स्मारक को आगे टूटने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काश्मीर में जासूस

2120. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व अखनूर क्षेत्र में हथगोले तथा अन्य सामान लिये हुए दो व्यक्ति, जिनमें एक स्त्री थी, गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का संक्षिप्त में ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि एक आदमी अखनूर क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से एक ग्रिनेड बरामद किया गया था तथा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

प्रधान मन्त्री के उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चुनाव दौरे के दौरान उनकी कार का भीड़ द्वारा घेरा जाना

2121. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उनके चुनाव दौरे के दौरान प्रधान मन्त्री की कार को भीड़ ने घेर लिया था ;

(ख) इन घटनाओं के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे ;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री के चुनाव दौरे के समय जनता पर लाठी चार्ज करना पड़ा ; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधान मन्त्री की कार बिहार में उनके चुनाव दौरे के दौरान कहीं भी भीड़ द्वारा नहीं घेरी गई थी और प्रश्न के अन्य भागों के बारे में प्रश्न नहीं उठता । उत्तर प्रदेश के उनके दौरे के सम्बन्ध में सूचना की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है ।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों की भूख हड़ताल

2122. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल द्वारा आंदोलन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगों पर विचार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्, हड़ताल इंजीनियरिंग कर्मचारी वर्ग की थी जिसे अब वापस ले लिया गया है ।

(ख) (i) औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णयों को कार्यान्वयन करना (ii) जहां तक संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना और (iii) संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के रियायती दरों पर प्लाट आवंटित करना ।

(ग) जहां तक (i) की मांग का सम्बन्ध है कई निर्णय पहले ही कार्यान्वित कर दिये गये हैं और शेष के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । (ii) और (iii) के सम्बन्ध में मामले की परीक्षा की जा रही है ।

चंडीगढ़ झील में डूबने के कारण मृत्यु

2123. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में चण्डीगढ़ झील में डूब कर मरने की कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) उपरोक्त घटनाओं के क्या कारण हैं तथा क्या इनका सम्बन्ध आत्महत्याओं से है, अथवा कत्ल से ;

(ग) क्या झील पर रोशनी तथा चौकीदारी की पर्याप्त व्यवस्था है ; और

(घ) क्या यह सच है कि कम-से कम एक मामले में एक मरते हुए व्यक्ति की सहायता के लिए बचाने वाली नाव कुछ तकनीकी कारणों से नहीं आ सकी, क्योंकि उसे चलाने का उचित प्राधिकार प्राप्त नहीं था ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : 1967 और 1968 के दौरान चण्डीगढ़ झील में 14 डूबने की घटनाओं की खबर थी । इन 14 घटनाओं में से 6 आत्महत्या की, 4 दुर्घटनाओं से मृत्यु की तथा शेष 4 घटनाओं के कारण का पता नहीं लग सका ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आई है ।

भारत में सिविल सेवा

2124. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री सीताराम केसरी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री बलराज मधोक :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० च० शर्मा
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा स्थापित किये गये अध्ययन दल के इस निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है कि भारत में सिविल सेवा राष्ट्रीय विकास में अपने नये कर्त्तव्य को निभाने के पूर्ण रूप से योग्य नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह अध्ययन सरकार द्वारा नहीं कराया गया था । फिर भी, प्रशासन सुधार आयोग इस मामले को समझता है और अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को सिफारिश करते समय इस अध्ययन के निष्कर्षों पर विचार करेगा । केवल तभी सरकार द्वारा परीक्षा की जायगी ।

विद्यार्थियों के उपद्रवों की रोकथाम के लिये उपकुलपतियों को अधिक शक्तियां

2125. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री सीताराम केसरी :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के हाल में हुए एक सम्मेलन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने देश के विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों की रोकथाम के लिये उपकुलपतियों को अधिक शक्तियां देने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने सम्मेलन में दिये गये सुझावों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : जी हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने, सम्मेलन में इस आशय का एक सुझाव रखा था ।

विश्वविद्यालयों में कानून और व्यवस्था की समस्या पर विचार-विमर्श के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने यह मत व्यक्त किया था कि विद्यार्थी अनुशासन की समस्याओं को हल करने के लिए, कुलपतियों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए। यह बात, "विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम समिति" तथा "शिक्षा आयोग" द्वारा की गई सिफारिशों के अनुकूल थी। किन्तु, सम्मेलन ने इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की थी।

चौथी योजना में शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये संसाधन

2126. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों से चौथी योजना में शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये अपने ससाधनों में वृद्धि करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन कार्यक्रमों के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव, राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

(ग) योजना के लिए केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सुझाये गये कुछ मापदण्डों के आधार पर समग्र रूप से दी जाती है और केवल राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए एकत्र किये गए स्थानीय साधनों से सम्बन्धित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मिजो विद्रोहियों के साथ युद्ध विराम समझौता

2127. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ी कांग्रेस दल ने मिजो विद्रोहियों के साथ विद्रोही नागाओं के साथ किये गये समझौते के नमूने पर "युद्ध विराम" समझौते का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : मिजो पहाड़ियां जिला कांग्रेस समिति ने 13 और 14 दिसम्बर को अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ यह संकल्प किया कि सरकार से अनुरोध किया जाय कि मध्यस्थता की सुविधा के लिए युद्ध-विराम की घोषणा करे। इस विवाद पर सरकार की नीति यह है कि जब तक विद्रोही अपने हथियार नहीं डाल देते तब तक किसी बातचीत का प्रश्न नहीं उठता।

Consultative Committees, Boards and other Organisations in Bihar, West Bengal and U. P.

2128. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleasd to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5324 on the 20th December, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the Consultative Committees, Boards and other organisations in Bihar, West Bengal and U. P. has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : Information has since been received from the Governments of West Bengal and Uttar Pradesh. Since however, the question relates to a large number of departments at the State and lower levels. the information will be laid on the Table of the House as soon as possible after scruting. The information called for from the Government of Bihar is still awaited.

Tenure of Members of University Grants Commission

2129. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tenure of the members of the University Grants Commission has been reduced from five years to three years so that there may be greater rotation and other people may also get a chance; and

(b) if so, the reasons for taking snch a decision, in spite of a shortage of capable persons to serve as members of the University Grants Commission ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) : No Sir. However, a provision for the reduction of the term of office of the members of University. Grants Commission from the present six years to three years, with eligibility for re-appoint ment, has been made in the University Grants Commission (Amendment) Bill, 1968, which is pending in the Lok Sabha.

(b) The decision was taken by Government on the recommendation of the Education Commission (1964-66), to provide for a greater degree of rotation.

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में असमानता

2130. **श्री मौलहू प्रसाद** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1118 तथा 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जो राष्ट्रपति शासनाधीन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी तथा गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान मन्जूर कर सकते हैं;

(ख) क्या 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित विभिन्न राज्यों में निर्वाह व्यय तथा आर्थिक क्षमता के बारे में ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) राष्ट्रपति शासनाधीन प्रत्येक राज्य अथवा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राष्ट्रपति शासनाधीन अब कोई राज्य नहीं है। जहां तक संघीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, राजकीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के नए वेतन मान, केन्द्रीय सरकार की सहमति से निर्धारित किये जाते हैं।

(ख) जैसाकि अतारांकित प्रश्न संख्या 926, दिनांक 15 नवम्बर, 1968 के उत्तर में पहले ही कहा जा चुका है, यह सूचना शिक्षा मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघीय क्षेत्र के ब्यौरे अलग-अलग हैं।

Pay Scales of Instructors in Polytechnics

2131. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2669 on the 28th November 1968 and state :

(a) whether the State Government have agreed to the suggestion regarding the removal of disparities in the scales of Instructors of Polytechnics;

(b) if so, the details of interim action taken ; and

(c) the details of the qualifications and experience for the posts of instructors of polytechnics at Lucknow and Gorakhpur ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b): The State Govesnment has informed that the matter is under active consideration.

(d) A statement is attached. [Placed in Library. See No. LT-251/69]

पुरातत्वीय वस्तुओं का संरक्षण, परिरक्षण तथा प्रकाशन

2132. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने पुरातत्वीय वस्तुओं के संरक्षण, परिरक्षण तथा प्रकाशन की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश में पुरातत्वीय वस्तुओं के सम्बन्ध में इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (अ) भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण ने इस प्रकार की कोई नई योजना तैयार नहीं की हैं, किन्तु वह अपने अधीन स्मारकों और स्थानों तथा प्रकाशनों के संरक्षण तथा परिरक्षण से सम्बन्धित अपने कार्यकलापों को तेज करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान दे रहा है।

(ख) अयोध्या में, केन्द्रीय संरक्षित कोई स्मारक अथवा स्थान नहीं है और इसलिये अयोध्या में मिली पुरातत्वी वस्तुओं के परिरक्षण की कोई योजना नहीं है।

पक्की सड़कें

2133. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के अन्त में समूचे देश में (1) प्रति एक हजार वर्ग मील तथा (2) प्रति एक लाख की जनसंख्या पर पक्की सड़कों की औसत लम्बाई कितनी मील थी ; और

(ख) इस अवधि में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिविजन में उपर्युक्त दो श्रेणियों के लिये पक्की सड़कों की औसत लम्बाई कितनी थी ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मार्च 1968 के अंत में देश में रोड़ी की सड़कों की लम्बाई की औसत प्रति 1000 वर्ग मील क्षेत्रफल और प्रति लाख जनसंख्या पर क्रमशः 154 मील और 37 मील थी।

(ख) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

डीमापुर (नागालैंड) के लिये विमान सेवा

2134. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1968 में इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने नागालैंड में डीमापुर के लिए साप्ताहिक विमान सेवा चलाई थी ;

(ख) क्या इस समय यह बन्द कर दी गई है ;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यह सेवा पुनः कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी नहीं; परन्तु 1968 में एक प्रयोगात्मक उड़ान की गयी थी।

(ङ) एक विमान सेवा की व्यवस्था करने के लिये जांच-पड़ताल का कार्य चल रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में चलते-फिरते पुस्तकालय

2135 **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते पुस्तकालय खोलने की कोई योजना सरकार को भेजी है और केन्द्रीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते पुस्तकालय खोलने की केन्द्रीय सरकार की अपनी कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : धन की कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोलने के प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं हो सका है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में प्रवेश

2136. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में दिन/शाम की कक्षाओं में सीमित स्थान होने के कारण बड़ी संख्या में स्नातकों को प्रवेश नहीं मिलता है ;

(ख) क्या एल०एल०बी० में भी सरकार का विचार पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विश्वविद्यालय के एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में दाखिला लेने में जो छात्र असफल रहे हैं, ऐसे अर्हता प्राप्त छात्रों की संख्या अधिक नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा जो भारत में विधि शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के अन्तिम प्राधिकारी हैं–निर्धारित किए गए नियम तथा विनियमन ऐसे हैं कि कानूनी पाठ्यक्रमों को पत्राचार के जरिए संचालित नहीं किया जा सकता है ।

दिल्ली/नई दिल्ली में कर्मचारियों के लिये स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम

2137. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली/नई दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिये स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्क्रम की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उत्तर स्नातक स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के एक प्रस्ताव को दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन हो जा जाने के बाद, ब्यौरे तैयार किए जाएंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन

2138. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुप्तचर विभाग का हाल में पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पुनर्गठन/द्विशासन के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इसे दो शाखाओं में विभाजित करने से कुछ कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : बाह्य आसूचना स्कन्ध को गुप्तचर सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए आंतरिक आसूचना से पृथक कर दिया गया है ।

(घ) और (ङ) : द्विशासन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं किया जाता है । विपत्ति के मामलों पर, यदि कोई हो, अलग से विचार किया जायगा और उनका सहानुभूतिपूर्वक निपटारा किया जायगा ।

तमिलनाडु तथा केन्द्र के बीच भाषा सम्बन्धी विवाद

2139. श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और केन्द्र के बीच भाषा सम्बन्धी विवाद को हल करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) निकट भविष्य में विवाद के हल हो जाने की कितनी गुंजाइश है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त अवसरों पर अपनी भाषा नीति के उन पहलुओं पर राज्यों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है जिनमें राज्य सरकारों के साथ मतभेद बना रहा है। सरकार को आशा है कि यथासमय यह विवाद हल हो जायगा।

सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारी द्वारा छात्र की कथित हत्या

2140. **श्री गणेश घोष :**
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री प० गोपालन :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 दिसम्बर, 1968 को पंजाब में घरिन्द सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने महाराष्ट्र के छात्र को मार डाला था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उसके पिता जो एक भूतपूर्व संसद् सदस्य हैं, अमृतसर के सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के पास इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है। यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग): जी नहीं श्रीमान्। तथापि एक समान घटना 12/13 अगस्त 1968 को हुई थी। उस सिलसिले में प्रारम्भिक रिपोर्टों पर आधारित 15 नवम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 760 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है उसी घटना के संबंध में कुछ और अधिक सूचना 20 दिसम्बर, 1968 को प्रश्न संख्या 5218 के उत्तर में भी दी गई थी। अब पता चला है कि उपरोक्त लोक सभा प्रश्नों के उत्तर में उल्लिखित मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

नं० 31 हैड कांस्टेबल वीर सिंह
नं० 569 कांस्टबल अजीत सिंह
नं० 333 कांस्टेबल भाग सिंह
नं० 259 कांस्टबल बलबीर सिंह

सीमा सुरक्षा दल के जवानों द्वारा अपराध

2141. **श्री गणेश घोष :**
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री प० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में सीमा सुरक्षा दल के जवानों और पदाधिकारियों द्वारा अपराध बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Rest House near Ladakh

2142. Shri Kushak Bakula : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is fact that Rest House had been built at Daras, Kargil, Srinagar-Jammu, Leh and other towns on both sides of Chungla Degur and Khardang Passes during British regime where Ladakhis could stay in case of difficulty and adversity but after independence these guest houses have almost been dilapidated due to neglect; and

(b) if so, the action being taken by Government to repair and reconstruct these houses ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : The requisite information is being collected from the Jammu and Kashmir Government

बिड़ला हाउस, नई दिल्ली

2143. श्री शशि भूषण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु घटना उस स्थल पर ही हो गई थी जहां उनको गोली मारी गई थी या बिड़ला हाउस, नई दिल्ली के उस कक्ष में हुई थी जहां गोली लगने के बाद उन्हें ले जाया गया था; और

(ख) क्या इस मामले की जांच कराने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) 27 फरवरी, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1464 को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Injury of 20 childern in Delhi by Naval Police Pilot.

2144. Shri Shashi Bbushan : Will the Minister of Home Affairs be Pleased to state ;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item that 20 childern standing on the Patel Road in New Delhi for welcoming the Shah of Iran were injured when a motor cycle driven by a Naval Police Pilot struck against them;

(b) whether 10 of the childern were seriously injured and were admitted to the hospital; and

(c) if so, the raction of Government thereto and the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) 9 childern were injured and removed to the Hospital immediately. Out of these nine, 3 received serious injuries while 6 childern sustained minor injuries.

(c) A case has been registered by the Delhi police against the motor cyclist and it is in the final stage of investigation.

कर्मचारियों की रिपोर्टों में प्रतिकूल प्रविष्टियां

2145. श्री शशि भूषण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय संवर्ग में काम करने वाले विभिन्न केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के कर्मचारियों की वार्षिक रिपोर्टों में 'साधारण' (फेयर) टिप्पणियां, रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों के रूप में सूचित की जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी जिसके अन्तर्गत ऐसा किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : क) गृह संवर्ग में विभिन्न केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के कुछ कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में "फेयर" रिमार्क्स प्रतिकूल प्रविष्टियों के रूप में नहीं अपितु प्रगति के क्षेत्र में वृद्धि करने के रूप में सूचित किए गए थे ।

(ख) गोपनीय के रूप में अनुदेशों का वर्गीकरण किया गया है तथा केवल अधिकारियों के प्रयोग करने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं ।

कर्मचारियों की वार्षिक रिपोर्टों में प्रतिकूल प्रविष्टियां

2146. श्री शशी भूषण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में गृह मंत्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रत्येक वर्ग में श्रेणीवार कितने कर्मचारियों को उनकी वार्षिक रिपोर्टों में की गई प्रविष्टि में प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में सूचित किया गया है; और

(ख) उसमें से कितने कर्मचारियों को सूचित किया गया हैं 'साधारण" (फेयर) टिप्पणियां प्रतिकूल टिप्पणियां हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1968 में गृह मन्त्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के बारह अनुभाग अधिकारियों तथा सोलह सहायकों के प्रतिकूल प्रविष्टियां सूचित की गई थी ।

(ख) 1968 में गृह मन्त्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के छः अनुभाग अधिकारी तथा पन्द्रह सहायकों "फेयर" रिमार्क्स सूचित किये गये थे। तथापि ये रिमार्क्स प्रतिकूल प्रविष्टियों के रूप में नहीं परन्तु प्रगति के क्षेत्र में अग्रसरित होने को सूचित किए गए थे।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायकों के लिए प्रवर वेतनमान (सिलेक्शन ग्रेड)

2147. **श्री शशी भूषण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायकों के लिए प्रवर वेतनमान सिलेक्शन-ग्रेड) बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके साथ भेदभाव के क्या कारण है जब कुछ अन्य श्रेणियों में प्रवर वेतनमान दिये गये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमान्। केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में किसी वर्ग के लिए भी सिलेक्शन ग्रेड नहीं है। द्वितीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के किसी भी ग्रेड के लिए सिलेक्शन ग्रेड की सिफारिश नहीं की। सहायकों के मामले में आयोग ने अनुभव किया कि सचिवालय में उनकी प्रगति के लिए अवसर शीघ्र आने वाले तथा विस्तृत है। सहायकों के लिए पदोन्नति के लिए उपलब्ध अवसरों की अभी हाल की एक परीक्षा से भी प्रकट हुआ है कि ऐसे अवसर न तो दूर हैं और न ही अपर्याप्त हैं। इसलिये सहायकों के साथ किसी भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता।

Levy at International Airports of India

2148. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Deven Sen :
Shri K. P. Singh Deo :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision or propose to take a decision that a passenger Service fee at the rate of Rs. 15.00 per head be charged at all the four International airports of India; and

(b) If so, Government's estimate about the amount to be realised thereby per year and the manner in which Government would utilise this amount ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. It has been decided to levy, with efect from 1st April, 1969 a Passenger Service Fee of Rs. 15.00 per headon every passenger other than certain specified exempted categories embarking at the four internacional airports for a destination abroad.

(b) the total revenue from this fee is estimated at Rs. 45 lakhs per annum. Under the present arrrngement it will be credited to the Consolidated Found of India.

Levy at Airports

2149. Shri Hnkam Chand Kachwai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total amount collected by Government from entry fee of Rs. one per head from the international airports in India from the time of its introduction to this date; and

(b) whether Government propose to increase this rate keeping in view the profit and the provision of amenities ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) A sum of Rs, 19,32,272 00 only has been realised from Airport Entry Fee, from the time of its introduction upto 31st January, 1969. The fee was first introduced at Delhi (Palam) only, with effect from 16th August, 1967, as an experimental measure, and was fixed at 50 paise per head. It was raised to Re. 1 per head from 1st January, 1968 and the scheme was later extended to the other three international airports vis Calcutta (Dum Dum), Bombay (Santa Cruz) and Madras, from 15th April, 1968.

(b) No, Sir.

Alleged Murder of an Assembly Candidate in Bihar

2150. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government heve investigated the alleged murder of a candidate in the mid-term poll in Bihar while he was returning after filing his nomination papers in the month of January, 1969;

(b) if so, the action since taken by Government in the matter; and

(c) whether Government consider this a Political murder and the steps proposed to be taken by Government to prevent recurrence of such incidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) : Facts are being ascertained from the State Government.

Explosives recovered in Agra

2151. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bombs and explosives in the large quantity were recovered from a Khud in Agra in the month of December, 1968;

(b) if so, the details of the explosives and bombs recovered;

(c) whether Government have made an inquiry to find out whether the recovered explosives belonged to some foreign country;

(d) whether the investigating officers have since submitted their report to Government; and

(e) if so. the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : 855 electric detonators were recovered on 11th December, 1968 from a Khud near village Nagla Kachian which is about one mile away from Agra Cantonment Railway Station.

(c) to (e) The matter is being enquired into by the State Government.

Border Violations by Pakistani, Burmese and Nepalis

2152. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistani, Burmese and Nepali civilians and army personnel have violated the Indian border on a large scale;

(b) If so, the number of border violations made by them separately during the last three years; and

(c) the number of those arrested during the above period and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : **Nepal** : There are no restrictions on the movement of Nepalese citizens between India and Nepal. Therefore, the question of violation of the Indo-Nepal border by the Nepalese does not arise.

Burma : There has been no incident of border violation by the Burmese army during the period 1966-68. During 1966-68, 44 Burmese nationals were arrested for entering Manipur without valid travel documents. Appropriate action has been, and is being, taken against all the apprehended Burmese nationals, under the relevant provisions of law.

Pakistan : Information is being collected from the State Government/Union Territory Administration concerned and will be laid on the Table of the House.

Indians Abducted by Pakistanis

2153. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Indians abducted by Pakistani soldiers and civilian in Indo-Pakistan border areas since 1st January, 1962 to date;

(b) the number of officers and employees belonging to the administrative service, amongst the abducted persons; and

(c) the number of abducted persons since released by Pakistan and those who are still in Pakistan ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :
According to the information received from the Governments of Punjab, Gujarat, Rajasthan, West Bengal, Assan and Tripura, the figures are as under :—

(a) 586

(b) 17

(c) 507 and 61, respectively.

The figures relating to Jammu and Kashmir are being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House, when received.

Pakistani Infiltrators

2154 **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Pakistani infiltrators who have entered into Assam, Nagaland and West Bengal from East Pakistan since 1st January, 1962 to date according to the information available with the Central Government;

(b) the number of clashes on borders which took place during this period between our Border Security Force and the Pakistani infiltrators in the Eastern Sector; and

(c) the number of infiltrators killed and arrested ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The number of pakistani infiltrators into Assam, Nagaland and West Bengal is not precisely known. However, according to information received from the State Governments the number of Pakistani infiltrators who have been detected during the period from the 1st January, 1962 to the 31st January, 1969 is 2,64,938.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

पुस्तक छपवाने का कार्यक्रम

2155. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० एस० टी० टी० अपनी 18 करोड़ पुस्तकें छपवाने का कार्यक्रम पूरा कर रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से इस कार्यक्रम के लिये ऐसे पूर्णकालिक सचिव का चयन करने का है जिसे हिन्दी भाषा के अतिरिक्त कुछ अन्य भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान हो ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, हिन्दी भाषी राज्यों के कुलपतियों की स्थायी समिति के लिए, जो हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के पुस्तक निर्माण कार्यक्रम का समन्वय करती है, केवल सचिवालय सम्बन्धी सहायता प्रदान करता है।

(ख) चूंकि सचिव का कोई नया पद नहीं बनाया गया है, अतः उनके चुनाव का प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप पत्तन की गाद निकालना

2156. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन की गाद को निकालने का कार्य कर रहे दो ड्रेजर अपना कार्य करने में असमर्थ है जबकि अन्य पत्तनों पर बहुत से ड्रेजर बेकार पड़े हैं; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन **मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) और (ख) : पारादीप पत्तन के पास 'कोनार्क" नामक एक निकर्षक है जो वहां पर जनवरी 1968 से काम कर रहा है। इस निकर्षक की डिजाइन पत्तन की निकर्षण की वार्षिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बनाई गई थी। तथापि निकर्षक की सुपुर्दगी और सैण्ड पम्प के लगाने में देर होने के कारण वहां कीचड़ जमा हो गई। 1968 की वर्षा ऋतु में इसमें बिगाड़ हो गया और तब पत्तन पर का अनुदेय डुबाव 34 फीट से घटाकर 28 फीट कर दिया गया। इस स्थिति की पूर्ति के लिए औचित्य के उपाय के रूप में कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों के निकर्षक की सेवाएं पत्तन के अपने अनुरक्षण निकर्षक के साथ काम पर लगाया गया। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अनुज्ञेय डुबाव फिर से 35 फीट हो गया है। एक बालूचरे जो दक्षिणी पनकट दीवार की नोक पर बन गया है को दूर करने के लिए 3-1-1969 से विशाखापत्तनम का निकर्षक काम पर लगाया गया है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में सैंड पम्प पद्धति को मार्च 1969 के अन्त तक शीघ्र चालू करने और ठेके के निकर्षण के द्वारा दक्षिणी पनकट दीवार के निकट एक बालू फंदा बनाने के प्रयत्न किये गये हैं।

पत्तनों के पास के निकर्षक उन पत्तनों पर सामान्य अनुरक्षण आवश्यकता की पूर्ति के लिए हैं। सामान्यतः वे बिना काम के नहीं रहते हैं। तथापि जिस हद तक परिस्थितियों के अन्तर्गत इस बात की आवश्यकता होती है और फालतू क्षमता हो, एक पत्तन के निकर्षकों को दूसरे पत्तन पर काम में लाया जाता है जैसा पारादीप पत्तन पर किया गया है।

"मास्कोज हैड इन इंडिया" नामक पुस्तक

2157. श्री समर गुह : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'पटर' सागर की "मास्कोज हैंड इन इंडिया" नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है जो बर्न में प्रकाशित हुई और जिसे भारत में फिर मुद्रित किया गया है;

(ख) पुस्तक में प्रकाशित सामग्री, आंकड़े और सांख्यिकी झूंठी है या वास्तविक हैं;

(ग) क्या इस प्रकार का प्रचार भारत में साम्यवादी विचारधारा के प्रसार के उद्देश्य से किया जा रहा है;

(घ) इस बात का पता लगाने के उद्देश्य से कि यह सामग्री भारत में राष्ट्रीय हित के लिये घातक है क्या सरकार ने भारत में परिचालित ऐसी प्रचार सामग्री के राजनीतिक आशय का अध्ययन किया है; और

(ङ) क्या रूस में भारत को इसी प्रकार का प्रचार करने की अनुमति है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) : 24 जुलाई, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6510 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ङ) भारतीय घटनाओं और नितियों के विभिन्न पक्षों का प्रचार मास्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया जाता है ।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

2158. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने अपने जहाजी बेड़ों में जहाजों की संख्या बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष वार कितने जहाज बढ़ाये गये हैं;

(ग) 1969-70 में अब तक इसे माल भाड़े से कितनी आय होने का अनुमान है;

(घ) उक्त अवधि में बजट के अनुसार इसके लाभ तथा हानि के आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) इसके द्वारा किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों पर अधिक जहाज चलाने का प्रस्ताव है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) गत पांच वर्षों में निगम के बेड़े के विस्तार की गति नीचे दी जा रही है:—

	पोतों की संख्या	कुल टनभार (लाख टनों में)	"ड्रेड वेट" टनभार
31-3-1965 को	31	2.50	3.55
31-3-1966 को	35	3.04	4.33
31-3-1967 को	43	3.82	5.38
31-3-1968 को	52	4.52	6.48
1-4-1969 को	63	5.68	8.30

(ग) और (घ) : जैसा निगम ने इस समय अनुमान लगाया है 1968-69 और 1969-70 की परिचालन आय और निवल लाभ नीचे दिये जा रहे हैं:—

वर्ष	अनुमानित संचालन आय	अनुमानित निवल आय
1968-69	लगभग 40 करोड़ रुपये	लगभग 5.5 करोड़ रुपये
1969-70	लगभग 48 करोड़ रुपये	लगभग 6.0 करोड़ रुपये

(ङ) व्यापार और उचित टनभार की उपलब्धि के अनुसार अपनी सेवाएं निम्नलिखित देशों तक विस्तार करने का प्रश्न निगम के अध्ययनाधीन है: —

(1) न्यूजीलैंड
(2) फीजी
(3) फिलिपिनीज
(4) पश्चिम अफ्रीका और
(5) लेटिन अमरीकी पत्तन ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की सम्पत्ति को गिरवी रखना

2159. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली परिवहन उपक्रम की 75 लाख रुपये की सम्पति गिरवी रखी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्पति को कितनी अवधि के लिये गिरवी रखा गया है; और

(ग) क्या अन्य संस्थाओं को ऋण देने के बारे में ऐसी प्रथा की अनुमति दी गई है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : जब दिल्ली नगर निगम को 1968–69 के दौरान दिल्ली परिवहन समवाय को 60.00 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था उस समय यह सहमति हुई थी कि ऋण प्राप्त करने के समय से 3 मास की अवधि के भीतर डी० टी० यू० नगर निगम द्वारा निष्पादित बधकपत्र देगा । बंधक 75 लाख रुपये की राशि तक सीमित होगा । तथापि बंधकपत्र अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है ।

जहां तक दिल्ली जल संभरण और मल निर्यात समवाय का सम्बन्ध है प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित प्रथा का अनुकरण अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है । दिल्ली विद्युत संभरण समवाय के बारे में सिंचाई और शक्ति मन्त्रालय डी० ई० एस० यू० द्वारा, उस मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले ऋण के लिए, एक करार निष्पादित करने का प्रबन्ध कर रहा है ।

लक्कदीव संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2160. **श्री ई० के० नायनार ।**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्रीमती सुशीला गोपालन ।
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लक्कदीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह के संसद सदस्य श्री प० सु० सईद को उक्त द्वीप समूह में नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले झूठे प्रचार तथा उनकी अवांछनीय गतिविधियों के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने 19 दिसम्बर, 1968 को किलतन द्वीप समूह में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना के बारे में जांच करने का आदेश दे दिया है । जहां तक लक्कदीव प्रशासन के कर्मचारियों पर लगाये गये अन्य विस्तृत आरोपों का सम्बन्ध है, सरकार को उन आरोपों के कोई ठोस आधार नहीं मिले हैं ।

हिन्द महासागर सम्बन्धी अनुसंधान

2161. श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर सम्बन्धी अनुसंधान में बहुत से देशों के जलयान भाग ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के जलयान अनुसंधान कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या हिन्द महासागर में अनुसंधान कार्य कर रहे राष्ट्र अनुसंधान से प्राप्त जानकारी भारतीयों को उपलब्ध करायेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस समय, हिन्द महासागर में, अन्य देशों के जहाजों द्वारा कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Amendment to conduct rules for Government Employees.

2162. Shri Valmiki Choudhary :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Vasudevan Nair :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have lately amended the Conduct rules relting to Government employees preventing them to use their official influence in securing jobs for their relations in privete companies;

(b) if so, the precise nature of the amendments and the reasons which have led Government to frame such rules; and

(c) how far these amendments are likely to be effective in actual practice, in as much as such use of influence cannot normally be brought to book more; so in the case of high officials ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : Government have recently issued revised All India Services (Conduct) Rules, which provide Inter alia that an officer shall not use his official position to secure employment for any member of his family with any firm or company.

This has been done on the basis of the recommendations of the Santhanam Committee on Prevention of Corruption.

(c) If an officer is found to have used his official influence to secure employment in any firm or company for any member of his family, action can be taken against him for breach of the conduct rules.

पंजाब के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का पुनर्वितरण

2163. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वितरण के बारे में 29 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2597 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप सब विभागों के सम्बन्ध में कर्मचारियों के पुनर्वितरण के बारे में मुख्य सचिवों की समिति की समस्त सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : पुनर्गठन की प्रक्रिया में अन्तर्गत 57 विभागों में से 54 विभागों के सम्बन्ध में मुख्य सचिवों की समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। 53 विभागों के सम्बन्ध में वितरणों को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ग) प्राथमिकता के आधार पर शेष विभागों के सम्बन्ध में वितरणों को अन्तिम रूप दिये जाने का कार्य प्रगति पर है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के बाद कर्मचारियों का पुनर्वितरण

2164. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** गृह-कार्य मन्त्री 29 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2723 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के बाद सरकार को कर्मचारियों के वितरण में परिवर्तन किये जाने जिसमें पति और पत्नी की सेवाओं को एक ही राज्य में रखे जाने की बात भी शामिल है, वर्ष 1968 में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है । पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें तथा हिमाचल प्रदेश सरकार क लगभग 734 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) व्यक्तिक्त कठिनाईयों से संबंधित अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पति तथा पत्नी का एक ही राज्य में आवंटित किया जाना, स्वास्थ्य का कारण इत्यादि सम्मिलित है। परिस्थितियों की सम्पूर्णता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत मामलों पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय किया जाता हैं। प्रत्येक श्रेणी के मामलों की संख्या के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा विदेशी मुद्रा की जालसाजी

2165. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान धर्म प्रचारकों के प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की जालसाजी के बारे में 11 जनवरी, 1969 को 'ब्लिटज' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी ईसाई मिशन सोसाइटी लिमिटेड अपने भारत में एशियाई मुख्यालय के साथ लोगों के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में सामान्य से अधिक खर्च लेती रही है ।

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हा, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : जहां तक बैंगलोर में एक भूमि के प्लाट के अर्जन के सम्बन्ध में एक लेन देन का सम्बन्ध है । प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पहले ही जांच पड़ताल की है और सम्बन्धित विदेशी ईसाई मिशन के खजांची को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के कथित उल्लघन के बारे में एक कारण बतलाओ नोटिश दिया हैं । कारण बतलाओ नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले में निर्णय दिया जायगा ।

सरकार के प्रर्वतन अभिकरण सावधान रहे हैं और कानून में यथा उपबन्धित सभी मामलों में कार्यवाही की जानी है जहां विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन की साक्ष प्राप्त हो जाती है ।

सरकार के पास अमरीकन ईसाई मिशन सोसाइटी लिमिटेड के देश के राजनैतिक जीवन में मेलमिलाप के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ।

स्कूल पाठ्य पुस्तकें

2166. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय द्वारा नियुक्त स्कूल, पाठ्य पुस्तक-स्तर तथा विषय सम्बन्धी जांच समिति ने बच्चों को पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पुस्तकों की आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो उन की सिफारिशें क्या हैं और इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) और (ख) : सितम्बर, 1966 में, प्रो० के० जो० सैयदैन की अध्यक्षता में, एक समिति पाठ्यपुस्तकों संबंधी शिकायतों की जांच के साथ-साथ तथा पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और उनके निर्धारण के संबंध में स्वीकृत किए गए सामान्य सिद्धान्तों को बनाने के लिए स्थापित की गई थी। इस समिति ने भाषा, इतिहास तथा कुछ राज्यों की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में से कुछ की जांच की थी और बताया था कि कुछ अल्पसंख्यकों द्वारा की गई प्रत्येक शिकायत ठीक नहीं थी, और कुछ में बढ़ा-चढ़ा कर बात कही गई प्रतीत होती थी। शायद ऐसा भावुकता तथा आशंका के परिणाम स्वरूप था, उनमें से कुछ शिकायतें ठीक थीं। इतिहास पढ़ाने के बारे में समिति की रिपोर्ट से एक उद्धरण संलग्न किया जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी 252/69]

रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को भेज दी गई हैं। इस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड द्वारा भी विचार किया जाएगा।

सीमा सुरक्षा दल के लिये भर्ती

2167. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा दल में भर्ती किस आधार पर की जाती है;

(ख) क्या इसके लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) सीमा सुरक्षा दल के सैनिकों को दी जाने वाली वर्दियां भोजन तथा अन्य सुविधाओं का ब्योरा क्या है;

(घ) प्रत्येक यूनिट में किन-किन हथियारों से प्रशिक्षण दिया जाता है,

(ङ) क्या कुछ यूनिटों को सामुहिक आंदोलन पर काबू पाने के लिये विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं उनमें भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है;

(ख) सामान्यतः, सीमा सुरक्षा दल में सेवा के लिए अपने को अर्पित करने वालों में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा सीमा क्षेत्र के लोग अधिक होते हैं यद्यपि देश के किसी भी भाग से कोई व्यक्ति जो, पात्र हो, आवेदन कर सकता है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के स्वरूप को देखते हुए, उचित वर्दी, राशन तथा अन्य सुविधाएं सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं।

(घ) सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को उपयुक्त हथियार प्रदान किये गये हैं ताकि वे अपने कर्त्तव्यों को कारगर ढग से निभा सकें। उन्हें सीमा सुरक्षा दल के संस्थानों में तथा अपनी यूनिटों में भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ङ) और (च) सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सीविल अधिकारियों की सहायता करने से संबंधित कार्यों का पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

सरकारी अधिकारियों द्वारा नीति सम्बन्धी वक्तव्य

2168. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारी सरकार से आवश्यक अनुमति लिये बिना कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य दे सकते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार के श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के सचिव ने 24 अक्टूबर 1968 को जमशेदपुर (बिहार) में "पर्सनल मैनेजमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस अंडर एशियन ब्रांच आफ इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन" के बारे में गोष्ठी का उद्घाटन करते समय सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव रखा था;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या इस बारे में सरकार का कोई नीति सम्बन्धी निर्णय है और यदि नहीं, तो एक सरकारी अधिकारी स्वयं ही इस प्रकार का नीति सम्बन्धी वक्तव्य कैसे जारी कर सकता है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य द्वारा अपना मत व्यक्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि वह अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1954 के नियम 6, 7 और 8 में दी गई हद तक व्यक्त किया जाता है।

(ख) सरकार ने 24 अक्तूबर 1968 को जमशेदपुर में इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक अन्तरराष्ट्रीय विचार-गोष्ठी में श्री पी० सी० मैथ्यू द्वारा दिये गये एक भाषण के समाचार देखे हैं जिसमें उन्होंने कहा था "कुछ देशों में सभी लोक नियोजन में नियुक्त लोगों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबन्ध है जबकि कुछ अन्य देशों में यह प्रतिबन्ध स्वायत उपक्रमों या सरकार के औद्योगिक व व्यापारिक स्थापनाओं पर लागू नहीं होता है। उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि समाज के सामान्य जीवन में, लोगों के किसी वर्ग द्वारा अपने वर्गीय हितों को बढ़ावा देने के लिये, बाधा न पहुंचाई जाय। इस प्रतिबन्ध को अलंघनीय अधिकार पर अनुचित आक्रमण तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय के

माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारियों की शिकायतों के तय करने के वैकल्पिक तरीकों की व्यवस्था की गई है।"

(ग) श्री मैथ्यू कुछ देशों की प्रथा के संबन्ध में विचार गोष्ठी में अपना निजी शैक्षिक मत व्यक्त कर रहे थे तथा इसे भारत सरकार की किसी नीति को प्रतिकूल आलोचना के रूप में नही समझा जा सकता। इस मामले में भारत सरकार की नीति इस विषय पर कानूनों में समय-समय पर प्रतिबिम्बित हुई है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

2169. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि आजकल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भारी संख्या में भिन्न प्रकार की बैठकों तथा सामाजिक समारोहों में भाग लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिये कोई वैधानिक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सामाजिक समारोहों तथा अन्य बैठकों में, उदाहरणार्थ जिनमें सांस्कृतिक तथा बौद्धिक मामलों पर विचार विमर्श किया जाता है, भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर भी, उनसे वर्तमान सार्वजनिक विवादों से दूर रहने तथा सामान्यतया ऐसा व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है कि उनकी न्यायिक निर्लिप्तता के बारे में कोई सन्देश न्याय संगत रूप में न उठ सके।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

पश्चिमी बंगाल के सिविल अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2170. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बार बार यह शिकायतें मिली हैं कि पश्चिमी बंगाल के सिविल अधिकारी संसद सदस्यों से प्राप्त हुए पत्रों के उत्तर समय पर नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो यह शिकायतें किन से प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) प्रश्न पूछने वाले सदस्य महोदय ने ऐसी एक शिकायत की थी।

(ग) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को हिदायतें दे कि संसद सदस्यों के पत्रों की पावती शीघ्र भेजी जाय तथा ऐसे पत्रों में उठाये गये

मामलों के अन्तिम उत्तर कम से कम सम्भव समय के अन्दर भेजने चाहिए। राज्य सरकार ने तदनुसार हिदायतें जारी कर दी हैं।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विकास

2171. **श्री मंगलायुमाडोम :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के हवाई अड्डा आयोजन दल की सिफारश के अनुसार, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे में सुधार के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ख) कार्य के कब तक आरम्भ किये जाने तथा कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) विमान क्षेत्र योजना दल (एयराड्रोम प्लानिंग ग्रुप) ने त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर 129·50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मुख्यधावन पथ के विस्तार एवं परिपुष्टि तथा अन्य सम्बन्धित निर्माण-कार्यों और लगभग 37·30 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त रेडियो नेविगेशन उपकरणों की व्यवस्था की सिफारिश की है। चौथी योजना की स्कीमों को अन्तिम रूप देते समय इन सिफारशों को दृष्टि में रखा जा रहा है तथा उनका क्रियान्वयन साधनों को उपलब्ध तथा इस उद्देश्य के लिये निर्धारित प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार, नई दिल्ली

2172. **श्री मंगलायुमाडोम :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली का केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार संतोषपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है;

(ख) क्या मुख्यालय के निरीक्षकों ने विभिन्न बस्तियों में स्थित इसकी शाखाओं में अचानक जाकर जांच की;

(ग) क्या कुछ शाखाओं द्वारा अनाज की चोरबाजारी की जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो चोरबाजारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। इसी कारण से समिति के कार्यों पर तीन स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा गौर किया जा रहा है जिनके प्रतिवेदनों की परीक्षा वित्त मंत्रालय, सहकारी विभाग तथा गृह मंत्रालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जा रही है। समिति और भण्डारों के कार्य को सुधारने के लिये समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और अमल में लायी जा रही हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयर लाइन्स में यात्रियों की संख्या

2173. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स की प्रतीक्षा सूची में यात्रियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और 1973-74 तक वर्तमान विमान यातायात के दुगना हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो वे विभिन्न हवाई मार्ग कौन से हैं जिनकी प्रतीक्षा सूची बहुत बड़ी हो गई है; और

(ग) यात्रियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण विमानों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वृद्धि मुख्यतया बड़े मार्गों (ट्रंक रूट्स) पर हुई है ।

(ग) सरकार द्वारा जारी किये गये एक निर्देश के आधार पर एयर इंडिया अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं के बम्बई-दिल्ली, बम्बई-कलकत्ता और बम्बई-मद्रास सेक्टरों पर देशीय यात्रियों को ले जा रहे हैं । इंडियन एयरलाइन्स ने डकोटा विमानों को बदलने के लिए एच एस–748 विमानों की खरीद के आदेश पहले ही दे दिये हैं । अब तक, 14 विमानों में से, जिनके कि आदेश दिये गये हैं, 6 प्राप्त हो चुके हैं । इंडियन एयरलाइन्स का 100 से अधिक सीटों की धारिता वाले कई विमानों की खरीद करके, अपने विमान-बेड़े बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

गोरखपुर के लिये विमान सेवा की व्यवस्था

2174. डा० महादेव प्रसाद : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के महत्वपूर्ण नगर गोरखपुर के लिये विमान सेवा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित होने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति

2175. श्री सीताराम केसरी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा श्रीलंका की विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के उपकुलपति तथा अध्यक्षों ने विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उप-कुलपति तथा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के अध्यक्षों के सम्मेलन में और क्या सिफारिशें की गई थीं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड की वल्लभ विद्यानगर में हुई 44 वीं बैठक के समय आयोजित सेमिनार में, बोर्ड के तत्वावधान में, किये गये एक नमूने के अध्ययन के आधार पर, विश्वविद्यालय सम्बन्धी वित पर विचार विमर्श किया गया था। निम्नलिखित मसौदा संकल्प पारित किया गया था:—

अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड की यह 44 वीं बैठक, राज्य सरकारों को यह सुझाव देती है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों को एक-मुश्त अनुदान का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को अपनाना चाहिए, जैसा कि गुजरात सरकार कर रही है:—

1. खर्च के नियत माध्यमों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया वार्षिक खर्च।
2. विकास सम्बन्धी योजनाओं और बाद के प्रशासकीय तथा अध्यापकीय अतिरिक्त अमले को ध्यान में रखते हुए परिकल्पित खर्च में बढ़ोतरी।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आयोजना सहायता बन्द हो जाने पर ऐसा खर्च जिसकी जिम्मेदारी हो जाती है।
4. कैम्पस विकास और/अथवा वास्तविक सुविधाओं पर ऐसा खर्च जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अधीन नहीं आता है।
5. वेतन-मानों अथवा महंगाई भत्ता अथवा अन्य भत्तों अथवा सुविधाओं अथवा लाभों के पुनरीक्षण के कारण बढ़ोतरी।
6. अमले की सामान्य वार्षिक तरक्की के खर्च को उठाने के लिए, स्वतः 6 प्रतिशत बढ़ोतरी।

(ख) संकल्प राज्यों सरकारों को भेज दिया गया है।

(ग) तीन उल्लेखनीय सिफारिशें, इस प्रकार हैं—

(i) विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों के आयोजनेतर अनुरक्षण खर्च को समुचित रूप से ध्यान में रखने की सिफारिश करते हुए, बोर्ड ने अपनी स्थायी समिति द्वारा वित आयोग को भेजे गए ज्ञापन का अनुमोदन कर दिया है और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड उनके सुपुर्द करने की सिफारिश की है।

(ii) बोर्ड ने, परिवार नियोजन के दर्शन और कार्यक्रम का कारगर ढंग से प्रचार करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा तैयार किये गए उपायों को कार्यान्वित करने की सिफारिश की है।

(iii) बोर्ड ने, वित्त मंत्रालय के विचाराधीन राष्ट्रीय सेवा योजना का समर्थन करने का निर्णय किया है।

संघ राज्य क्षेत्रों में राजस्व तथा प्रशासनिक व्यय

2176. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व और आय में वृद्धि करने और प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त निश्चित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके विवरण क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में उन कार्यवाहियों के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) : संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय को कम करने अथवा राजस्व और आय में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई विशिष्ट पथप्रदर्शक सिद्धांत निश्चित नहीं किये है। फिर भी, यात्रा-भत्ता के लिये प्रावधान में कमी, वेतनमानों के बढ़ाने पर रोक, यथासम्भव रिक्त पदों को न भरना, इत्यादि जैसे व्यय में मितव्ययता करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सामान्य अनुदेश संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। जहां कहीं सम्भव हो, कर्मचारियों पर व्यय में मितव्ययता करने तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए यथासम्भव कार्य-अध्ययन भी किये जाते हैं। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों ने कर-संरचना को बढ़ाने के लिये पुनरीक्षण और नये कर लगा कर भी अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए कदम उठाए हैं। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में इन कार्यवाहियों के ठीक ठीक परिणाम निश्चित करना सम्भव नहीं है।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिये संसद सदस्यों की सलाहकार समितियां

2177. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य-क्षेत्र के लिये केन्द्र में सलाहकार समितियां बनाई जाती थी जिनमें सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्रों के संसद सदस्य सम्मिलित होते थे और वे लाभप्रद कार्य करती थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें समाप्त करने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) राज्य पुनर्गठन आयोग की उन सिफारिशों के अनुसरण में कि संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त परामर्शदात्री निकाय बना सकते हैं, दिल्ली, मनीपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गृह मंत्री की परामर्शदात्री समितियां (न कि सलाहकार समितियां) बनाई गई थीं। समितियों में, दूसरों के साथ-साथ, विशिष्ट संघ राज्य क्षेत्र से संसद सदस्यों द्वारा

प्रतिनिधित्व किया गया था और सम्बन्धित राज्य-क्षेत्र के नीति सम्बन्धी प्रश्नों, विधायी प्रस्तावों तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के लागू हो जाने से जिनमें हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभाओं और मंत्रि-परिषदों के लिए व्यवस्था है, इन तीनों राज्य-क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समितियां समाप्त कर दी गई थीं। एक महानगर परिषद तथा कार्यकारी पार्षदों की स्थापना के लिए व्यवस्था करने वाले दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के उपबन्धों के 6-9-1966 से लागू होने से दिल्ली के लिए परामर्शदात्री समिति भी समाप्त कर दी गई थी। चण्डीगढ़ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्कादीव, मिनिकोय तथा अमिनदीवी द्वीपसमूह के लिए परामर्शदात्री समितियां अभी विद्यमान हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव प्रत्याशी श्री बख्शीश अली की हत्या

2178. श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में श्याम डेरुआ निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिये श्री बख्शीश अली नामक एक उम्मीदवार की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच पड़ताल की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बख्शीश अली की जिसने गोरखपुर जिले के श्याम डेरुआ निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधान सभा के चुनाव के लिये 7 जनवरी, 1969 को निर्वाचन पत्र दायर किये थे, 8 जनवरी की सांय को हत्या कर दी गई जबकि वह श्याम डेरुआ गांव से बारहेरा गांव को जा रहा था।

(ख और (ग): मामले की जांच पड़ताल राज्य के गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही है।

अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नतियां

2179. श्री सूरजभान : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 में हुई विभिन्न विभागीय परीक्षाओं के आधार पर कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने अन्य उम्मीदवार अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किये गये थे और किस आधार पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति की गई थी ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति के वे उम्मीदवार, जो 1963 में परीक्षा के लिये बैठे थे तथा पास हुए थे, इस योग्य थे कि उनको 1959 तथा 1960 में हुई परीक्षाओं के द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों में से आरक्षित रिक्त पदों पर "कैरी फारवर्ड" नियम के अन्तर्गत पदोन्नत किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या 4 दिसम्बर, 1963 के सरकारी आदेशों के अनुसार कुल रिक्त पदों के 45 प्रतिशत पदों पर उन सबको "कैरी फारवर्ड" नियम के अन्तर्गत पदों समेत सभी आरक्षित पदों पर पदोन्नत किया गया है ; और

(घ) क्या उनको 1959 तथा 1960 में हुई परीक्षाओं के आधार पर बनाई गई गैर अनुसूचित जाति । अनुसूचित आदिमजाति के उम्मीदवारों की सूची के द्वारा भरे गए पदों में, आरक्षित पदों पर पदोन्नत किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ): कोई अनुभाग अधिकारी श्रेणी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1963 में नहीं हुई थी। अगस्त, 1963 में होने वाली परीक्षा वास्तव में फरवरी, 1964 में हुई थी। इस परीक्षा द्वारा भरी गई अनुभाग अधिकारियों की रिक्तियों की संख्या 16 थी जिसमें से 4 अनुसूचित जातियों द्वारा तथा 12 अन्य के द्वारा भरी गई थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण का सामान्य प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या का क्रमशः 12½ तथा 5 है। सामान्य आरक्षण तथा आगे ले जाया गया आरक्षण की संख्या परीक्षा द्वारा भरी गई रिक्तियों का 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। इन सामान्य सिद्धांतों के अनुसार आरक्षित रिक्तियां जिन पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार पदोन्नत किये गये थे नीचे बतायी गयी हैं :–

श्रेणी	सामान्य आरक्षण	कैरी फारवर्ड के कारण योग		शुद्ध आरक्षण
		वास्तविक 'कैरी फारवर्ड"	अनुपातिक अंश	
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति	2(16 का 12½ प्र०श० दर से)	6	*2	4(2+2)
अनुसूचित आदिम जाति	1(16 का 5 प्र०श० की दर से)	5	*2	3(1+2)

*3 (2+1) का सामान्य आरक्षण तथा कुल देय आरक्षण अर्थात् 7 (16 का 45 प्र० श०) के अन्तर का अनुपातिक विवरण कैरी फारवर्ड के संदर्भ में क्रमशः 6 तथा 5 किया गया।

संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा से 4 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार दिये। अनुसूचित आदिम जाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था।

जहां तक 1959 तथा 1960 के सहायक अधीक्षकों (पुनः नामोदिष्ट अनुभाग अधिकारी) की परीक्षाओं का संबंध है 121 रिक्तियों में 36 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार लिये गये। चूंकि इन दो परीक्षाओं की प्रतियोगी प्रकृति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया था यह निर्णय किया गया कि इन दो परीक्षाओं के उन छोड़े गये (लेफ्ट ओवर) उम्मीदवार जिन्होंने 55 प्रतिशत या उस से अधिक अंक प्राप्त किये थे 5 वर्ष की अवधि के पदोन्नत कर दिये जायं। अतः ऐसे छोड़े गये उम्मीदवारों के लिये कोई आरक्षण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Theft of Idols of Khajuraho Temples of Madhya Pradesh

2180. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Srinivas Misra :
Shri K. Lakkappa :
Shri S. M. Krishna :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Surendranath Dwivedi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some idols from Khajuraho Temples were found in a Hotel of New Delhi during the second week of January, 1969 and the Police made some arrests of the employees of the hotel ; and

(b) if so, the broad details thereof and the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh): (a) and (b) : It is not a fact that some idols from Khajuraho temples were found in a Hotel of New Delhi during 2nd week of January, 1969. However, on 17th January, 1969 Chhatarpur Police arrested the Manager of the Y. M. C. A, Tourist Hotel at New Delhi who was wanted in a theft case of Police Station, Rajnagar, District Chhatarpur in M. P. in which a statue of a Goddes worth Rupees 1000/-was stolen. He was produced before Additional District Magistrate, South New Delhi and released on bail with direction to appear in Court of Additional District Magistrate, Chhatarpur on 2 th January, 1969. The Manager, Government of India Tourist Bungalow, Khajuraho was also arrested in this connection on 25th January, 1969. The stolen statue was recovered from his possession. The accused are being prosecuted.

National Discipline Scheme

2181. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount spent on the National Discipline Scheme started by Gen. Bhonsle till its implementation was discontinued and the reasons for discontinuing the Scheme ;

(b) the outlines of the scheme formulated by his Ministry as a substitute for that scheme ; and

(c) the purpose for which the staff and the building meant for training under the scheme at Sariska Centre in Alwar District of Rajasthan would be utilised ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) : Following the recommendation made by the Kunzru Committee that there should be only one integrated programme of Physical Education at the school stage, woven into the fabric of the educational tsystem and that it should replace the several separate programme which were then in operation, viz. Physical Education, National Discipline Scheme (NDS) and

the Auxiliary Cadet Corps (ACC), the Government of India discontinued the National Discipline Scheme.

The main features of the integrated programme of Physical Education, which has been in operation since 1965-66 are :-

1. Exercise Tables.
2. Drills & Marching
3. Lezium
4. Gymnastics/Folk Dances
5. Major Games ; Minor Games and Relays
6. Track and Field Events ; Tests and Hiking.
7. Combatives
8. National Ideals and Good Citizenship; Practical Projects and Community Singing.

Periodwise graduated programme has been evolved to suit all stages from Class IV to Class XI separately for boys and girls. Teachers in State Schools as well as the National Discipline Scheme instructors were oriented to carry out the above programme.

The total amount spent on the National Discipline Scheme of late Gen. Bhonsle from 1958 to October 1965 is Rupees 517.25 lakhs.

(c) The Central Institute at Sariska centre was intended for providing orientation to the NDS Instructors. With the decision of the Government to decentralise the control of the NDS Instructors to the States, the Sariska Centre has been closed and the building has been taken over by the Central Reserve Police. The Instructional staff employed at the Centre has been transferred to the Regional Offices from where they were originally drawn ; the administrative staff has been transferred to the National Fitness Corps Directorate at Delhi.

Construction of Roads on Border Areas in Rajasthan

2182. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the work of constructing roads in border areas in Rajasthan has been progressing satisfactorily ;

(b) the amount of money earmarked for constructing roads during the year 1968-69 and whether the said amount has been spent in accordance with the programme fixed in this regard ; and

(c) whether his Ministry propose to allocate additional amount of money for the purpose during the year 1969-70 ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) (a) to (b): A total sum of Rs. 746 lakhs was earmarked for these roads during the current year at the request of the State Government. Subsequentl the State Government indicated that only a sum of Rs. 556.11 lakhs was expected to be spent as the original demand included works on some roads of lower priority which were not required to be taken up during current financial year. The progress of works included in the provision of Rs. 556.11 lakhs is satisfactory. The question of allocating funds during 1969-70 is under consideration.

Loss incurred by Indian Airlines

2183. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Airlines are incurring loss in spite of its income having increased by twenty-five per cent ; and

(b) if so, the steps being taken to make up the loss ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karn Singh) (a) : No, Sir. In fact, during the current year the Corporation has estimated a profit of .69 crores, which is likely to be exceeded.

(b) Does not arise.

साम्प्रदायिकता के आधार पर जिलों का बनाया जाना

2184. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन से साम्प्रदायिकता के आधार पर जिले बनाये जाने की मांग के बारे में भारत सरकार को सूचनाएं मिली हैं ;

(ख) किन किन राज्यों ने इस प्रकार की मांगें स्वीकार कर ली हैं और वहां पर पृथक जिले बनाये गये हैं अथवा बनाये जा रहे हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्होंने राज्य सरकारों को क्या सलाह दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) साम्प्रदायिकता के आधार पर जिलों के बनाये जाने के बारे में किसी राज्य सरकार । संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कोई मांग नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

भव्य होटल

2185. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में सरकार नये भव्य होटलों का निर्माण करने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने, कहां कहां तथा अनुमानित व्यय क्या है ;

(ग) क्या वर्तमान होटलों के संचालन के अनुभव से इस उद्योग में और विस्तार करना युक्तिसंगत है; और

(घ) क्या इस कार्य को आरम्भ करने के लिये गैर-सरकारी फर्मों को आमन्त्रित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की, जो कि एक सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत उद्यम है, देश में अनेक पर्यटन केन्द्रों पर होटल बनाने की योजनाएं हैं । बंगलौर की होटल प्रायोजना के सिवाय जहां कि निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो चुका है, अन्य प्रायोजनाओं के स्थानों के विषय में अन्तिम निर्णय अभी उचित मार्केट सम्बन्धी सर्वेक्षण कर लेने के बाद किया जाना है ।

(ग) जी, हां । निजी क्षेत्र के अन्तर्गत होटल व्यवसाय बहुत तेजी से दक्षता हासिल कर रहा है तथा होटलों के एक पर्यटन परिपोषक एवं वाणिज्यिक उद्यम के रूप में विस्तार का औचित्य स्थापित करना है ।

(घ) जी, हां । इसके अलावा उन्हें नाना प्रकार के प्रोत्साहन और सहायता भी प्रस्तुत की गयी हैं ।

मैसूर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

2186. **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरज भान :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें मैसूर के भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : 22-2-1965 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा संसद में दिये गये एक वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इस विषय में यह सरकार का अन्तिम निर्णय बतलाता है ।

कंडाजा मन्दिर मैसूर

2187. **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में स्थित कैलाडा मन्दिर को भारत के पर्यटक मानचित्र में सम्मिलित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) : जी नहीं, नितान्त सीमित साधनों के कारण ।

पुराना किला दिल्ली

2188. श्री वे० कु० दास चौधरी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराना किला दिल्ली को रात्रि के समय घूमने के लिये सैर गाह बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना की रूप रेखा तैयार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ग) : "दिल्ली प्रायोजना" के अंतर्गत पुराने किले से संबधित निम्नलिखित स्कीमों को आरंभ किया जा रहा है :–

1. परकोटों (रैम्पार्ट्स) का पुंज प्रकाशन (फ्लडलाइटिंग),
2. खुला थिएटर (ओपन एयर थिएटर),
3. रेस्टौरेन्ट,
4. पुराने किले में तथा उसके आस-पास प्राकृतिक-दृष्यों का निर्माण ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पुराने किले का पुंज प्रकाशन 1,17,000/– रूपये की अनुमानित लागत से पूरा किया गया। अन्य स्कीमों के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने है ।

(ख) सम्पूर्ण प्रायोजना का ब्यौरा तैयार करने के लिये एक दिल्ली प्रयोजना समिति का गठन किया गया है जिसमें दिल्ली प्रशासन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि है ।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन

2189. श्री ए० श्रीधरन : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री क० लक्कप्पा : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री जे० एच० पटेल : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महाराष्ट्र–मैसूर सीमा विवाद के सम्बन्ध में महाजन आयोग के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में दोनों राज्यों में आन्दोलन करने के लिये बनाई जा रही योजनाओं की जानकारी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) : इस मामले के विवाद बहुत नाजुक और टेढ़े हैं पर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र हल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस बीच सरकार आशा करती है कि ऐसे विषय में दोनों राज्यों के व्यक्ति अधिक से अधिक नियन्त्रण प्रयोग करने की आवश्यकता को समझेंगे, जिसमें अच्छे पड़ोसियों के संबंध जैसे मामले शामिल हैं तथा किसी आन्दोलनात्मक रवैये को स्थान नहीं देंगे ।

Direct Tourist Transport Service Between Delhi and Khajuraho

2190. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign and Indian tourists have to face great difficulties, as there is no direct transport service between Delhi and Khajuraho ,

(b) if so, whether Government would consider the question of running the buses of Tourist Department between Delhi and Khajuraho ; and

(c) if so, the time by which the said buses would start running and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Indian Airlines are operating a daily service to Khajuraho from Delhi. There is also a connecting bus service to Khajuraho from Jhansi for passengers travelling by rail,

(b) and (c): India Tourism Development Corporation Ltd,, in collaboration with the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation, have examined the possibility of operating a coach service between Delhi and Khajuraho, However, due to problems a ising out of Inter-State movement of tourist vehicles and other operational problems, no final decision has yet been taken about the running of this service.

महर्षि महेश योगी द्वारा प्रेस को दिया गया वक्तव्य

2191. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान 18 जनवरी, 1969 को नागपुर में महर्षि महेश योगी द्वारा प्रेस को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि उन के आश्रम में विदेशी गुप्तचर सक्रिय है तो "यह अच्छी बात है" क्योंकि इस से विदेशी लोग "हमारे देश" को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य के बारे में उन की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री विद्याचरण शुक्ल**) (क) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महर्षि महेश योगी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन

2192. श्री लोबो प्रभु : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय ने मूल्यांकन समिति के उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है, जिसमें लिखा है कि 6 करोड़ से अधिक रूपयों की लागत पर स्थापित की गई 10,000 मील की देहाती संचार व्यवस्था पूरी न होने के कारण तथा मरम्मत न होने के कारण तथा बीच बीच में सड़क न बनी होने के कारण, जिससे अनेक सड़कें बेकार हो गई हैं, छोड़ी जा रही हैं, और

(ख) चूंकि देहाती संचार व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित की गई है अतः पहले लगाई जा चुकी पूंजी की हानि और संचार व्यवस्था के नाश को रोकने के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है, जो केन्द्रीय सरकार की सड़क योजना के अनुसार न्यूनतम है ?

संसद कार्य, विभाग तथा नौवहन तथापरिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और(ख): अनुमानतः माननीय सदस्य का तात्पर्य मैसूर सरकार द्वारा स्थापित मूल्यांकन समिति से है जिसने अन्य बातों के अलावा राज्य सरकार द्वारा हाथ में ली गयी ग्रामीण सड़कों के कार्यक्रम की समीक्षा की, भारत सरकार को समिति का प्रतिवेदन नहीं मिला है और उसका संबंध इससे अथवा इसके द्वारा पुनर्विलोकित कार्यक्रम से नहीं है । राज्य सरकार से ज्ञात हुआ है कि समिति ने अपने प्रतिवेदन में ग्रामीण सचार के अध्याय 6 के अंतर्गत सिफारिश की है कि राज्य सरकार को अपना ध्यान 14000 मील लंबी 6 करोड़ रूपये की लागत पर पहले ही बनी हुई ग्रामीण सड़कों पर केन्द्रित करना चाहिए । राज्य सरकार ने बताया है कि तदनुसार यह उपलब्ध साधनों की हद तक इन सड़कों की देखभाल कर रही है और इन सड़कों के लिए उसने निम्नलिखित अनुदान दिये हैं :–

	रू० लाखों में
1964–65	5.00
1965–66	10.00
1966–67	20.00
1967–68	20.00
1968–69	20.00

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

2193. श्री लोबो प्रभु : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० धर्म तेजा के पास जयन्ती शिपिंग कम्पनी के 2.75 करोड़ रूपये के शेयर थे, जब कि अन्य अंशधारियों के पास शेष 25 लाख रूपये के मूल्य के शेयर थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 10 में से 8 बड़े मालवाहक जहाजों की लागत की अदायगी के कारण इन शेयरों के मूल्य में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो अवक्षयरण को घटाने पश्चात् कम्पनियों की आस्तियां का वर्तमान मूल्य क्या है,

(ग) डा० तेजा की ओर ऐसी कितनी राशि बकाया है, जो उस ने गलत ढंग से निकाली थी, और जयन्ती शिपिंग कम्पनी में उस के आस्तियों को जब्त करके उससे वह राशि वसूल क्यों नहीं की गई ; और

(घ) यदि जयन्ती शिपिंग कम्पनी अब सम्पन्न है और अन्य नौवहन निगमों के मुकाबले में वह समुचित प्रतियोगिता कर सकती है, तो सरकार द्वारा उसे स्वयं काम करने की अनुमति न दी जाने के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी की कुल प्रषित और प्रदत्त पूंजी 28812800 रूपये है। इस में से 21247200 रूपये कीमत के शेयर डा० तेजा के नाम पर हैं। 7082500 रूपये के शेयर श्री कुलूकुनडिस के नाम पर हैं जो कि एक विदेशी हैं और शेष 483100 रूपयें के शेयर 14 अन्य शेयर होल्डरों के नाम पर हैं जो सब भारतीय हैं।

(ख) कम्पनी के खुला माल वाहकों की संख्या 11 है 10 नहीं। इन 11 वाहकों में से किसी का भी मूल्य अब तक पूरी तरह नहीं चुकाया गया है परंतु पुर्नभुगतान के कार्यक्रम के आधार पर बराबर मूल्य किस्तों में चुकाई जा रही है। तथापि मूल्य किस्तों के पुर्नभुगतान और कम्पनी के शेयरों के मूल्यों के बीच कारणात्मक सम्बन्ध नहीं है। तारीख 31-3-1968 को कम्पनी के सब जहाजों की लिखित कीमत 357840566 रूपये थी।

(ग) कम्पनी के नये प्रबन्धकों ने भारत में तथा विदेशों में डा० तेजा से वसूल की जाने वाली रकम के सम्बन्ध में कई दीवानी मुकदमें दायर किये हैं और उन्होंने दो डिक्रियां क्रमश: एक 15.66 लाख रूपये की देहली हाई कोर्ट से और दूसरी 82.92 लाख रूपये की बम्बई हाई कोर्ट से प्राप्त कर ली है।

डा० तेजा के नाम पर जो शेयर हैं वे बम्बई हाई कोर्ट द्वारा अटैच किये गये हैं फिर भी डा० तेजा से वसूल की जाने वाली कुल धनराशि तभी जानी जा सकेगी जब कुल दीवानी मुकदमें जो पहले ही दायर कर दिये गये हैं तथा कुछ दीवानी दावे जो अभी कुछ जांच पड़ताल करने के बाद दायर किये जाने हैं, के फैसले दिये जाएगे।

(घ) जून 1966 में भारत सरकार द्वारा इस कम्पनी का प्रबन्ध पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने अधिकार में ले लिया गया यद्यपि नये प्रबन्ध के अधीन कम्पनी की आर्थिक स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है फिर भी कम्पनी की आर्थिक स्थिति के सुधारने में अभी कुछ और वर्ष लगेंगे।

कम्पनी अपने अलग की इकाई में काम कर रही है जो कि भारत के दूसरी शिपिंग कार्पोरेशन के प्रबन्ध में है और दूसरी शिपिंग कम्पनियों से प्रतियोगिता करने में उतनी ही अच्छी स्थिति में है जितना कोई अन्य भारतीय जहाजी कम्पनी ।

दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन

2194. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया था ;

(ख) क्या अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिक विभागों में सोपानात्मक व्यवस्था

2195. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा बताया जाता है कि वैज्ञानिक विभागों में प्रचलित सोपानात्मक व्यवस्था का कनिष्ठ वैज्ञानिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है जिन्होंने बम्बई अधिवेशन में यह कहा बताया जाता है कि वैज्ञानिक विभागों में कार्य करने वाले कनिष्ठ वैज्ञानिकों के मार्ग में अवश्य बाधाएं हैं और उन्हें अवसर प्रदान करना मुख्य रूप से वरिष्ठ वैज्ञानिकों पर निर्भर करता है और यह बात प्रत्येक व्यक्ति के बारे में भिन्न-भिन्न है,

(ग) क्या अवसरों की कमी के कारण युवक वैज्ञानिक देश से बाहर रोजगार ढूंढने के लिए बाध्य होते हैं, और

(घ) यदि हां, तो वैज्ञानिक संस्थाओं को पुनर्गठित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिससे कि मूल योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में स्वयं स्फूर्ति से काम करने में युवक वैज्ञानिकों को अपना हिस्सा मिल सके ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : (क) जनवरी, 1969 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 56 वें अधिवेशन में भाषण करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि "वैज्ञानिक तथा अनुसंधान तथा डिजाइन संगठनों पर सोपानात्मक ढांचे के विपरीत प्रभाव के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है किन्तु यह व्यवस्था फिर भी जीवित है" उन्होंने

वरिष्ठ वैज्ञानिकों को एक ऐसे भरोसे का वातावरण उत्पन्न करने का आह्वान किया था, जिसमें युवक वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास में कारगर ढंग से योगदान कर सकें।

(ख) कांग्रेस के अध्यक्ष के मुद्रित भाषण में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है।

(ग) कुछ युवक वैज्ञानिक और इंजीनियर, विभिन्न कारणों से विदेशों में रोजगार तलाश करते हैं, जिनमें देश में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव भी शामिल है।

(घ) युवक वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं; उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए योग्यता उन्नति तथा अग्रिम वेतन-वृद्धि देना, अनुसंधान के लिए अधिछात्रवृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करना, निबन्धों के प्रकाशन, परिसंवादों और सेमिनारों में भाग लेने, पेटेंट आवेदन पत्रों को भरने तथा अध्ययन के लिए विदेश जाने के लिए अध्ययन-अवकाश स्वीकृत करने की उदार नीतियां। विश्वविद्यालयों में स्थापित प्रोन्नत केन्द्रों में काम करने के लिए युवक वैज्ञानिकों को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाता है। विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थानों में अनुसंधान कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को सीधे ही तदर्थ अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

Development of Patna Airport

2197. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any scheme for the development of the Patna Airport ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is a fact that a proposal to shift the Hindustan Vehicles Company (Cycle Factory) Phulwari Sharif elsewhere is under Government's consideration in order to carry out such development ; and

(d) if so, where and how much time it would take to do so ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) : The runway at Patna Aerodrome was extended to 6500 ft. and strengthened to LCN 30 in 1966 at a cost of Rs. 50.8 lakhs and is suitable for Viscount operations. There is no proposal to develop the Aerodrome further except for additions and alterations to the present terminal building to cope with the increased air traffic.

(c) and (d) : As the factory constitutes an obstruction restricting operational area, its removal is under examination. For the present, obstruction lights have been installed on the factory.

गैर-सरकारी जेटियां

2198. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या नौहवन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई गैर-सरकारी जेटियां है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ढंग से जेटियों के रखने की अनुमति देने के आधार क्या है ; और

(ग) भारत में ऐसी गैर-सरकारी जैटियों की राज्यवार संख्या कितनी है और इनका कितनी अवधि से संचालन किया जा रहा है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Republic day Awards to Government servants

2199. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Committee appointed to select persons for giving awards on the occasion of the Republic day, had recommended two years ago that the Government employees should not be given such awards before their retirement ;

(b) whether it is a fact that some Government employees have been awarded these titles this year ;

(c) if so, the names of the persons and the names of the State/Union Territories to which they belong ; and

(d) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : **(a) No, Sir.**

(b) and (c) ; Yes, Sir. A statement giving the requisite particulars is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT 253/69]**

(d) The awards were given for distinguished service in various fields.

Increase of taxes by Delhi Municipal Corporation

2200. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry is putting pressure on the Delhi Municipal Corporation to implement the recommendations of the Morarka Commission in regard to increasing taxes failing which the Corporation would be dissolved ; and

(b) if so, the reasons and justification therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : The objective report of the Morarka Commission is being examined by all concerned in all its implications. There is no question of the Government putting any pressure on the Delhi Municipal Corporation.

शैक्षिक संस्थाओं का कार्य

2201. श्री रवि राय : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग उनके मंत्रालय के इस सुझाव से सहमत हो गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में विस्तार कार्यक्रमों का अनुमोदन करने का मानदण्ड शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किया गया कार्य होना चाहिये न कि उन द्वारा किया गया खर्च, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०): (क) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने इस विषय पर कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं दिया था । किन्तु, कार्यान्वयन की कुशलता में सुधार करने के लिए, आम कार्यक्रम के रूप में यह निर्णय किया गया है कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना में कार्य के अनुसार बजट तैयार करने की पद्धति लागू की जाए

(ख) इस पद्धति का उद्देश्य उस पर हुए खर्च के अतिरिक्त उसके उद्देश्यों के अनुपात में प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य का पता लगाना है । स्वाभाविक है कि प्रत्येक योजना के कार्य के मूल्यांकन के ब्यौरे भिन्न होंगे । उदाहरण स्वरूप प्राथमिक स्तर पर विस्तार कार्यक्रमों के लिए, विभिन्न कक्षाओं में भर्ती से कार्य का पता चलेगा । भवनों के संबंध में कार्य का पता स्थान के प्रभावशाली ढंग से उपयोग, प्रति क्यूबिक फुट निर्माण की लागत, अथवा निर्माण में लगे समय से चल सकेगा । विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों के निर्माण कार्यक्रम में, प्रगति का मूल्यांकन, पुस्तकों की संख्या, शामिल किए गए विषय और उनकी कोटि आदि के आधार पर किया जाएगा ।

Different pay scales in survey of India

2202. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Education and youth services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that different pay-scales are fixed for the civil and military officers in the Survey of India, though there is no difference between the nature of their duties ;

(b) if so, the reasons therefore ; and

(c) the steps taken to remove the increasing resentment among the civilian officers as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and youth services (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b) : No Sir. The same scales of pay have been prescribed for civilian and military officers appointed in the Survey of India. In order, however, to enable military officers to volunteer for service in the Survey of India without any great immediate loss of emoluments, a suitable personal pay is granted to them in addition to their pay in the prescribed scale. This personal pay is determined in each case on the basis of the average of emoluments of two officers above and two officers below the officer in military seniority volunteering for service in the Survey of India.

(c) Does not arise.

Replacement of civilian officers, by Army officers in the Survey of India

2203. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. P. S. C. appointed civilian officers are being replaced by Army officers in the Survey of India ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Looting and Cheating of Foreign Tourists in the Capital

2204. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the incidents of looting and cheating tourists and of theft of their belongings are on an increase in the country and particularly in the Capital ;

(b) whether it is also a fact that such incidents would discourage foreign tourists from visiting our country in the next tourist season and thus there will be loss of foreign exchange ; and

(c) if so, the action being taken to check such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : In Delhi 38 cases of cheating/ theft of foreign tourists were reported during the year 1968 as against 20 cases in 1967. The local police have been alerted to exercise greater vigilance at places which are generally visited by the foreigners. Patrolling in these areas has also been intensified to ensure that foreign tourists are not discouraged as such incidents if allowed to go unchecked could have an adverse effect on the promotion of tourism in India.

The information from the State Governments Union Territories is being ascertained and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

2205. श्री अदिचन : **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री ओंकार सिंह : **श्री विद्याधर बाजपेयी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अतिरिक्त छात्रवृत्ति देने के लिए एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नामक दूसरी योजना भी है ,

(ख) यदि हां, तो दूसरी योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने की पात्रता की शर्तें क्या हैं तथा उसका ब्यौरा क्या हैं,

(ग) 1966–67, 1967-68, तथा 1968-69 वर्षों में अलग-अलग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निधियों का कितना-कितना आवंटन तथा वितरण किया गया है;

(घ) क्या विद्यार्थियों को सभी योजनाओं के आवेदनपत्र दिए गए हैं जिससे किसी भी योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए आवेदन दे सकें, और

(ङ) यदि नहीं, तो उनको विभिन्न आवेदनपत्र न दिए जाने के क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1961-62 से पहले, "उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी गयी थी। 1961-62 में, इस योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना में बदल दिया गया था।

(ख) उपलब्ध छात्रवृत्तियों की कुल संख्या जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आबंटित कर दी जाती है। उसी राज्य के भीतर, इन छात्रवृत्तियों को पूर्ववर्ती वर्ष की उनकी परीक्षाओं की मेरी के आधार पर स्कूल लीविंग स्तर तथा प्रथम उपाधि-स्तर पर विभिन्न जांच-निकायों में आगे वितरित किया जाता है। शर्त यह है कि ऐसी प्रत्येक परीक्षा के लिए कम से कम एक छात्रवृत्ति दी जाती है, चाहे यह सानुपातिक आधार पर उसके लिए हकदार न हो। उपर्युक्त किसी परीक्षाओं में से कुल योग में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के लिए हकदार हैं, बशर्ते कि वे निर्धारित साधन-परीक्षण की जरूरतों को पूरा करते हैं। छात्रवृतियां योग्यता के आधार पर ही राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं।

(ग) 1966-67 में योजना पर खर्च की गयी राशि 82,70,800 रू० और 1967-68 में 1,17,84,000 रुपए थी और 1968-69 में 2,37,64,000 रुपए की बजट व्यवस्था की गयी है।

(घ) और (ङ) : मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना आगे नहीं चली है। जहां तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और प्रत्येक जांच निकाय का सम्बन्ध है अर्थात् विश्वविद्यालय या बोर्ड उनकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उपलब्ध छात्रवृत्तियों की अधिक से अधिक संख्या के लिए परामर्श देता है। छात्रों को विशेष ब्यौरे प्रकाश में लाने के लिए एक प्रपत्र, एक आय शपथ पत्र का प्रफोर्मा तथा छात्रवृत्ति के नियमों के संगत उद्धरणों से सम्बन्धित सूचना परिपत्र अधिकारी द्वारा उपलब्ध छात्रवृत्तियों से दुगनी संख्या के योग्यताप्राप्त छात्रों को (योग्यता क्रम के आधार पर) प्रेषित किए जाते हैं। आमदनी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा छात्रवृति योग्यता क्रम में आए हुए कम आय वाले अगले व्यक्ति को दे दी जाती है।

मनीपुर के लिये सलाहकार बोर्ड

2206. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के लिए बने तत्कालीन सलाहकार बोर्ड ने तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता में 19 दिसम्बर, 1958 को एक संकल्प पास किया था कि खोंगजोंग (मनीपुर) में उस स्थान पर एक स्मारक बनाया जाये, जहां वर्ष 1891 में मनीपुर की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजो के साथ अन्तिम युद्ध लड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस संकल्प की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) उस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने खोंगजोंग युद्ध स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) : 18-12-1958 को हुई मनीपुर के लिये सलाहकार समिति की बैठक में मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। इस पर सहमति थी कि कुछ भूमि खोंगजोंग के समीप पाई जा सकती है और एक पार्क का निर्माण किया जाय। मुख्य आयुक्त द्वारा बाद में समिति के साथ स्मारक के प्रकार के बारे में निर्णय किया जाना था। मनीपुर सरकार से मामले पर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया जा रहा है।

मनीपुर के डी० एम० कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं

2207. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के सरकारी डी० एम० कालेज में सभी कला विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ कर दी गई है,

(ख) यदि नहीं तो कितने विषयों में ये कक्षाएं आरम्भ की गई हैं,

(ग) क्या ये कक्षाएं एक अध्यापक द्वारा चलाई जाती हैं अथवा अधिक अध्यापकों द्वारा और कितने विषय ऐसे हैं जिन्हें केवल ऐक-एक अध्यापक ही पढ़ाता है, और

(घ) यदि वहां एक विषय के लिए केवल एक अध्यापक है, तो छात्रों और विषय दोनों के हित के लिए अधिक अध्यापक नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) तीन विषय, अर्थात् अर्थशास्त्र, इतिहास और गणित।

(ग) अर्थशास्त्र और इतिहास में एक एक अध्यापक और गणित में चार अध्यापक।

(घ) अधिक अध्यापकों की भर्ती के लिए मनीपुर प्रशासन ने पहले ही आवश्यक उपाय किए हैं, जो निम्नांकित है।

(i) इतिहास में उत्तर स्नातक कक्षाओं के लिए दो और अध्यापकों की नियुक्तियों की पेशकश की गई थी, एक अध्यापक ने पेशकश को स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही उसके काम पर आने की सम्भावना है, जबकि दूसरा अध्यापक नौकरी पर नहीं आया है। अर्थशास्त्र के लिए, संघ लोक सेवा आयोग ने एक प्रवर प्राध्यापक का पद विज्ञापित किया है।

आयोग ने अवर प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार की सिफारिश की है और उसने नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है।

(ii) पदों के भरे जाने तक, अंशकालिक प्राध्यापक नियुक्त करने के प्रश्न पर भी मणिपुर प्रशासन विचार कर रहा है।

मनीपुर के गैर-सरकारी कालेजों को अनुदान

2208. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार ने मनीपुर के अनेक गैर-सरकारी कालेजों को अनुदान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरुप वहां के अध्यापकों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया,

(ख) यदि हां, तो अनुदान देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(ग) कितने गैर-सरकारी कालेज इस वित्तीय संकट से प्रभावित हुए हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संकट को दूर करने के लिए सहायता देने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) मनीपुर प्रशासन के अनुसार, सम्बन्धित कालेज, सहायक-अनुदान के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

(ग) 8 कालेज।

(घ) मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

पुष्पक विमान

2209. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विभिन्न उड्डयन क्लबों के पुष्पक प्रशिक्षण विमानों की उड़ानें मध्य जनवरी से बन्द कर दी गई हैं ;

(ख) क्या उक्त कार्यवाही असैनिक उड्डयन महानिदेशक के कहने पर की गई है ;

(ग) क्या कुछ विमानों में अधिक चलने से पैदा होने वाली खराबी फैटीग क्रैक के कारण ऐसे निदेश जारी करने पड़े हैं ;

(घ) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के, जिसने उक्त विमान बनाये हैं, काम में दोष होने के कारण उक्त त्रुटियों की सम्भावना होने के बारे में पता लगाया गया है ; और

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि उक्त मार्थ द्वारा बनाये गये अन्य प्रकार के विमानों में, जैसे कि 'एवरो 748' जिनका अब इंडियन एयर लाइन्स प्रयोग कर रहा है, ऐसे दोष न हों, कोई पूर्वोपाय किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा समस्त परिचालकों को अनुदेश जारी कर दिये गये थे कि पुष्पक विमान को तब तक उड़ान नहीं की जायेगी जब तक कि इसके निर्माताओं अर्थात् हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड, बंगलौर प्रभाग द्वारा ईजाद की गयी स्कीम के अनुसार 'विंग रेयर स्ट्रट्स अटैचमेण्ट लग' का सुधार नहीं कर दिया जाता। इसके परिणामस्वरूप पुष्पक विमान के परिचालकों ने उक्त सुधार के किये जाने तक विमान को स्वयं भूमिस्थ कर दिया।

(ग) : जी हां।

(घ) : यह खराबी श्रान्ति के कारण हुई, कारीगरी में किसी त्रुटि के कारण नहीं।

(ङ) : उपर्युक्त (घ) में दिये गये उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। अवरो 748 विमान (जिसे अब एच० एस०-748 कहा जाता है) का निर्माण हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड, कानपुर प्रभाग द्वारा यू० के० में पेरेण्ट फर्म द्वारा दी गयी विशिष्टियों एवं ड्राइंगों के अनुसार किया जाता है। हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड और परिचालक द्वारा, श्रान्ति-जांच के लिए निरीक्षणों सहित निर्माण करते समय तथा परिचालन के समय आवश्यक निरीक्षण निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किये जाते है।

तकनीकी डिप्लोमा पाठयक्रमों में परिवर्तन

2210. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था ने अपने हाल के प्रतिवेदन में इस आशय की सिफारिश की है कि तकनीकी डिप्लोमा पाठयक्रम की विद्यमान प्रणाली में और इंजीनियरों तथा तकनीशनों के वर्तमान अनुपात में आमूल परिवर्तन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस संस्था ने क्या निश्चित सिफारिश की हैं ; और

(ग) इस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख): व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान ने सिफारिश की है कि वर्तमान पोलिटेक्निक डिप्लोमा पाठयक्रमों को मध्य स्तर के तकनीशनों के लिये उद्योग की आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठित करना चाहिये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संस्थान ने सुझाव दिया है कि उद्योग तकनीशनों के विचार विनिमय से विशेषताओं का ठीक-ठीक समूह बनाना चाहिये विशेषताओं के प्रत्येक समूह के लिये अपेक्षित प्रशिक्षण की किस्म और स्तर निश्चित किया जाना चाहिये और सैंडविच पाठयक्रमों का आयोजन उद्योग से सहयोग से करना चाहिये।

संस्थान ने इंजीनियरों और तकनीशनों का कोई नया अनुपात निर्धारित नहीं किया है, किन्तु यह सुझाव दिया है कि इस प्रकार के अनुपात को समय-समय पर सावधानी पूर्वक निकाला जाना चाहिये जो देश के औद्योगिक विकास तथा प्रशिक्षित जन-शक्ति के अधिकतम उपयोग पर निर्भर होना चाहिये।

(ग) केन्द्रीय सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इन सिफारिशों को आमतौर पर स्वीकार कर लिया है और यह निर्णय किया है कि पोलिटेक्निक डिप्लोमा पाठयक्रमों का विविधीकरण कर देना चाहिये और उद्योग द्वारा अपेक्षित विशिष्ठ प्रकार के तकनीशनों से कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये। राज्यों की चौथी आयोजनाओं में पोलिटेक्निक शिक्षा में इन सुधारों को लागू करने की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य सरकारों से उद्योग के विचार विनिमय से ऐसी योजना बनाने का अनुरोध किया गया है। जिस पर कार्य करना है।

सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

2211. श्री लोबो प्रभु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को 50 वर्ष की आयु पर अनिवार्यतः सेवा से निवृत्त करने के लिये जांच समितियां नियुक्त करने के लिए मैसूर सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही में मैसूर राज्य संवर्ग में काम करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बद्ध अधिकारी भी आयेंगे ;

(ख) किसी अधिकारी की योग्यता का निर्णय करते समय उससे सम्बद्ध गोपनीय रिकार्डों को कितना महत्व दिया जाये, इस सम्बन्ध में क्या आदेश दिये गये हैं ;

(ग) उत्पीड़न की आशंका को दूर करने के लिए क्या सरकार प्रतिरक्षा सेवाओं की भांति असैनिक सेवाओं में भी गोपनीय रिकार्डों में वर्गीकरण रखेगी और उसकी सूचना अधिकारियों को देगी , और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित मामले अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु व सेवा-निवृत्ति लाभ) नियम, 1958 द्वारा नियमित किये जाते हैं। इन नियमों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति की अभी तक व्यवस्था नहीं है। केवल इन नियमों के संशोधित होने के पश्चात् मैसूर सरकार द्वारा नियुक्त जांच समितियां मैसूर संवर्ग के किसी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति की सिफारिश कर सकती हैं।

(ख) यद्यपि राज्य सरकारों को कोई हिदायतें नहीं दी गई हैं, फिर भी सामान्य रूप से गोपनीय रिकार्ड के आधार पर अधिकारी की योग्यता निर्धारित की जाती है।

(ग) और (घ) : विद्यमान अनुदेशों में पहले ही यह व्यवस्था है कि एक अधिकारी के गोपनीय रिकार्ड में किये गये प्रतिकूल रिमार्क को समस्त रिपोर्ट के सार के साथ उसे सूचित किया जाय ।

भारतीय स्मारक

2212. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से भारत के स्मारकों को आकर्षक पर्यटक केन्द्रों का रूप देने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : भारतीय स्मारक पहले ही पर्यटकों के लिए भव्य आकर्षण हैं । फिर भी, हम अधिकाधिक संख्या में पर्यटकों को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं । इस उद्देश्य से "यूनेस्को" के एक सांस्कृतिक पर्यटन विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गयी हैं । वह यथा-सम्भव अधिक से अधिक संख्या में बड़े केन्द्रों की यात्रा कर रहा है तथा हमें उनका विकास करने और निश्चयात्मक रूप से उनके संरक्षण तथा परिरक्षण दोनों ही के बारे में सलाह देगा ।

अहिन्दी भाषी राज्यों का सम्मेलन

2213. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हेम राज :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बटूर में हाल ही में हुए अहिन्दी भाषी राज्यों के सम्मेलन में भाषा समस्या के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये थे ।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) ; (क) से (ग) : 25 और 26 जनवरी, 1969 को कोयमबतूर में हुए अहिन्दी भाषी राज्यों के सम्मेलन में पारित संकल्पों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 254/69]

संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 18 जनवरी, 1968 के सरकारी संकल्प में सरकार की भाषा नीति स्पष्ट रूप से पहिले ही बताई जा चुकी है ।

हवाई अड्डों पर जांच पड़ताल

2214. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमा शुल्क, स्वास्थ्य तथा आप्रवास संबंधी जांच पड़ताल की प्रक्रिया धीमी और जटिल होने के कारण हवाई अड्डों पर यात्रियों का काफी समय खर्च हो जाता है, क्या उक्त प्रक्रिया को सुधारने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार मामले के प्रति पहले से ही जागरूक है। सरलीकरण की समस्या के दो पहलू हैं ; अर्थात (I) हवाई अड्डों पर टर्मीनल सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था, तथा (ii) सीमान्त औपचारिकताओं, जैसे सीमा शुल्क, आप्रवास एव स्वास्थ्य निर्बाधिता (हेल्थ क्लीयरेंस), से सम्बन्धित कागजी कार्यवाही का सरलीकरण।

जहां तक उपर्युक्त (i) का सम्बन्ध है, श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक समिति ने हाल ही में मामले की जांच की है, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मीनल तथा अन्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण के बारे में सरकार के विचारार्थ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।

जहां तक (ii) का सम्बन्ध है, सरलीकरण के लिये नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति को, जिसमें सीमा शुल्क, आप्रवास, स्वास्थ्य तथा नागर विमानन के प्रवर प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, सीमान्त औपचारिकताओं से सम्बन्धित विभिन्न नीति विषयक पहलुओं की जांच करने के लिये समय समय पर बैठकें होती रही हैं ताकि इस बात का निश्चय किया जा सके कि निर्णय अधिक व्यापक आधार पर लिये जा रहे हैं तथा अविलम्ब कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

रोजगार देने में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता

2215. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के समय कुछ विशेष नौकरियों के लिए एक विशेष स्थान के निवासियों को नौकरियां देने में प्राथमिकता देने के बारे में एक प्रकार का समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो समझौता किन पक्षों में हुआ था ;

(ग) क्या भारत के संविधान के अधीन ये समझौते वैध हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वार लोक नियोजन (निवास की आवश्यकता) अधिनियम, 1957 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम जिनका उद्देश्य उक्त करार के उपबन्धों को क्रियान्वित करना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अधीन शून्य और अप्रवर्तनीय तथा शक्ति पर स्तात् घोषित कर दिया गया ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उक्त निर्णय के बावजूद आंध्र प्रदेश सरकार तेलंगाना क्षेत्र की कुछ नौकरियों को वहां के स्थानीय निवासियों के लिये सुरक्षित रखने की योजना पर कार्य कर रही है ; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उक्त राज्य को संविधान के उपबन्धों की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या पर स्थिर रहने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): जी हाँ, श्रीमान । आंध्र प्रदेश राज्य बनने के समय आंध्र और तेलंगाना के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था । समझौते की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि जहां तक अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती का सम्बन्ध है तथा निवास सम्बन्धी अर्हता जो आंध्र प्रदेश राज्य के बनने से तत्काल पहले भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में लागू थी, को जारी रखने के लिए एक प्रथक एकक के रूप में तेलंगाना के सम्बन्ध में एक अस्थायी व्यवस्था की जाय ।

(ग) उपरोक्त समझौता संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा लागू किया गया ।

(घ) आंध्र प्रदेश उच्च-न्यायालय के एक अकेले न्यायाधीश ने 3-2-69 को सुनाए गये एक फैसले द्वारा लोक नियोजन (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के उपबन्धों को तथा आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये नियमों को संविधान की शक्ति के बाहर ठहराया । अपील करने पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक खंड-पीठ ने इस आदेश को लागू किये जाने से निलम्बित कर दिया और बाद में 20 जनवरी 1969 को घोषित अपने फैसले द्वारा 3-2-69 के फैसले को रद्द कर दिया और लोक नियोजन (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, 1957 की धारा 3 को तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों को वैध और संविधान के अनुरूप घोषित किया ।

(ङ) और (च) : प्रश्न नहीं उठता ।

पालम हवाई अड्डे पर शुल्क-मुक्त दुकानें

2216. श्री अदिचन :
श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर एक ऐसी दुकान खोली गई है, जहां शराब आदि आयातित कई वस्तुएं शुल्क-मुक्त दर पर बेची जाती है ।

(ख) यदि हां, तो इस दुकान की मुख्य बातें क्या है और इसे खोलने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इसी प्रकार की दुकानें अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रांजिट लौंज में स्थित शुल्क-मुक्त दुकान केवल देश में से होकर अथवा देश से बाहर जाने वाले ('ट्रांजिट' और 'आउटगोइंग') यात्रियों के उपयोग के लिए अभिमत है। इसमें आयातित सिगरेट, मदिराएं, सुगंध-द्रव्य, शृंगार-सामग्री, पेन, पैंसिल, तथा अन्य उपहार वस्तुएं और भारत में बनी चीजें जैसे रेशमी वस्त्र, हस्त-शिल्प का सामान, ग्रामोफोन रिकार्ड इत्यादि स्टोक किये रहते हैं। ये वस्तुएं केवल विदेशी मुद्रा के बदले ही बेची जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क-मुक्त दुकानें एक सर्व मान्य पर्यटक सुविधा हैं क्योंकि उनके द्वारा विदेशी यात्री सामान्य व्यवहार की वस्तुएं अधिक सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं तथा देश विदेशी मुद्रा का उपार्जन कर सकता है।

(ग) और (घ) : शुल्क-मुक्त दुकानें दमदम हवाई अड्डा, कलकता और सांताक्रूज हवाई अड्डा, बम्बई, पर पहले से कार्य कर रही है। मीनभबक्कम हवाई अड्डा, मद्रास, पर भी जल्दी हो वैसी ही शुल्क-मुक्त दुकान खोलने का प्रस्ताव है।

वैज्ञानिकों में बेरोजगारी

2217. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय वैज्ञानिकों में कितनी बेरोजगारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि वास्तव में देश में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की कमी है, और

(ग) यदि हां, तो वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने तथा इनकी कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 31-12-68 को रोजगार कार्यालयों में दर्ज विज्ञान में उत्तर-स्नातकों की संख्या 3236 थी, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने बेहतर रोजगार के लिए अपने नाम दर्ज कराए हुए हैं। नियमित रोजगार की तलाश में, सुयोग्य वैज्ञानिकों की संख्या, जो अस्थायी तौर पर वैज्ञानिक पूल में रखे गए हैं, 1 फरवरी 1969 को 151 थी।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की कमी देश में समय-समय पर होती रहती है।

(ग) भारत और विदेशों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण के लिए अनुसंधान प्रशिक्षण अधिछात्रवृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

अंग्रेजी आशुलिपि के शिक्षकों के वेतनक्रम

2218. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल में काम करने वाले अंग्रेजी आशुलिपि के शिक्षकों के वेतन क्रम क्या हैं ;

(ख) उनका कार्य क्या है, तथा उनके काम के घंटे क्या हैं ;

(ग) शिक्षकों के रूप मे नियुक्ति के समय उनकी न्यूनतम अर्हता क्या थी ; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी के छात्रों को अंग्रेजी आशुलिपि में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके निर्धारित पाठ्यक्रम क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 350-25-650 रु० ।

(ख) मन्त्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों के निम्न श्रेणी लिपिकों को अंग्रेजी आशुलिपि तथा टंकण में प्रशिक्षण देना और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त आशुलिपिकों को (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-। ।) श्रुतलेख लेने के तकनीक में प्रशिक्षण देना । स्कूल के काम के घण्टे वही हैं जो भारत सरकार के सम्बद्ध कार्यालयों के लिए हैं अर्थात् पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 4 30 बजे तक, किन्तु आशुलिपि की कुछ कक्षाएं कार्यालय के सामान्य घण्टों के बाहर लगानी पड़ती हैं । आशुलिपि के शिक्षकों में से दो के काम के घण्टे आगे-पीछे कर दिये गये हैं, एक के पूर्वाहन 8.00 बजे से अपराहन 3 00 बजे तक और दूसरे के पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 6.00 बजे तक ।

(ग) वे केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-। अधिकारी थे । ये पद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-। अधिकारियों के संवर्ग में सम्मिलित हैं ।

(घ) आशुलिपि पाठ्यक्रम का पाठ्य विवरण इस प्रकार है :—

(i) आशुलिपि के सिद्धान्त तथा प्रयोग

(ii) श्रुतलेख लेने का तकनीक और

(iii) टाइपलिखित कार्य का उचित प्रस्तुतीकरण ।

Class IV School Employees of Himachal Pradesh

2219. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2744 on the 29th November, 1568 and state :

(a) whether information regarding calss IV employees of School in Himachal Pradesh has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) : The Government of Himachal Pradesh are still collecting the information from the field offices and the same will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Headmaster Residing in the School Building in Himachal Pradesh

2220. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2743 on the 29th November, 1968 and state :

(a) whether information regarding the Headmaster residing in the school building in Himachal Pradesh has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for which the information could not be collected ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) : The information could not be collected so far, as a large number of offices and Educational Institutions located in remotest parts of Himachal Pradesh remain inaccessible during rainy and winter seasons. It will be laid on the Table of the Sabha, as soon as possible.

Accidents During Carathon 1968

2222. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Indians and foreigners killed and injured in India in London-Sydney car rally held in the month of December, 1968 ; and

(b) the expenditure incurred by the Government of India on making arrangements for the car rally ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : The Government of Punjab has reported that in the London-Sydney car rally two Australians were injured in their jurisdiction. The Governments of Haryana and Maharashtra and the Delhi Administration have reported that none was killed or injured. The information from the remaining concerned State Governments is being collected and the same along with the expenditure incurred on making arrangements for the car rally will be laid on the Table of the Sabha.

Murder of Baldev Singh in Himachal Pradesh

2223. Shri Vidya Dhar Bajpai :
Shri P. C. Adichan :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Sharda Nand :
Shri J. B. Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Valmiki Choudhury :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that Shri Baldev Singh was murdered and his dead body was thrown in bushes in the first week of December, 1968 in Dhameta Village, District Kangra, Near Anoor Railway station, in Himachal Pradesh ;

(b) whether Government are also aware that no Police official went to the place of the incident and it was after 4-5 days when only one Police constable was sent to that place and the post mortem report was also not handed over to his heirs ;

(c) if so, the reasons for which the report was not shown to them and the action taken so far in connection with this incident ; and

(d) the particulars of the person arrested in this connection and, if no person was arrested, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d): The information is being collected from the Government of Himachal Pradesh and the same, when received will be laid on the Table of the Sabha.

Murder of Baldev Singh in Himachal Pradesh

2224. **Shri Vidya Dhar Bajpai :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Home Affairs be Pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have received complaints from the Members of Parliament regarding the report that Shri Baldev Singh was murdered and his body was thrown into bushes in the first week of December, 1968 in Dhameta Village, District Kangra, near Anoor Railway Station, in Himachal Pradesh ;

(b) if so, whether Government have replied to the letters of the Members of Parliament furnishing the details of the enquiry into the matter ;

(c) if the reply has not been sent and enquiry has not been conducted, the reasons therefor ; and

(d) whether Government have sent any senior officers to enquire into the incident and, if so, the designations of such officers, the number of times these officers went to the place of incident and the findings of the enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes sir,

(b) to (d) : The Government of Himachal Pradesh has been requested to furnish facts regarding this incident.

Administrative Reforms Commission's Reports

2225. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of reports so far submitted by the Administrative Reforms Commission and the number that are due ;

(b) the time by which the reports which are due would be received ; and

(c) whether the originals of all the reports so far received were actually signed by the Members and if not, the names of reports which were not signed by the members and have been submitted as signed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Ten reports have so far been submitted. It is not possible to indicate how many more reports there will be as the Commission may submit as many reports as it considers necessary within the scope of the terms of reference.

(b) Government have not fixed any time limit by which the Commission should submit its reports.

(c) The originals of all the reports except the report on "Problems of redress of Citizens' Grievances" were signed by all the members of the Commission. The reports on "Problems of the redress of Citizens' Grievances" was not signed by two members who were then abroad. Their concurrence to the reports was, however, obtained by the Commission.

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 और 42 को मिलाने वाली संयोजक सड़क

2226. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 और 42 को मिलाने के लिए चौदवार के निकट संयोजक सड़क के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) यह सहायता कब मांगी गई थी ;

(ग) क्या इस सड़क का निर्माण हो चुका है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ;

(ङ) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि उसे देने और उस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने के बारे में विचार कर रही है ?

संसद कार्य, विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ) : चौदवार क्षेत्र में रा० मु० मार्ग सं० 5 और 42 को जोड़ने वाली सड़क निर्माण करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने जून, 1963 में रखा था और जनवरी, 1964 में इस लिंक सड़क (पुल निर्माण कार्य को छोड़कर) के निर्माण के लिए 1.87 लाख रुपये का अनुमान मंजूर किया गया था। तथापि राज्य सरकार ने अप्रैल, 1966 में इस लिंक सड़क (पुल निर्माण को छोड़कर) के लिए 39.20 लाख रु० का पुनरीक्षित अनुमान भेजा। इस अनुमान की जांच करने से ज्ञात हुआ कि सड़क और पुल के निर्माण पर इस परियोजना के व्यय के बढ़कर 78 लाख रुपये तक हो जाने की सम्भावना है। उस समय अति वित्तीय कठिनाई के कारण भारत सरकार इतना अधिक व्यय करने में असमर्थ थे और 1.87 लाख रुपये के मूल अनुमान का जुलाई, 1967 में रद्द कर दिया गया। रा० मु० मार्ग सं० 5 और 42 पहले ही नारगुंडी के पास मिले हुए हैं।

प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ब्रिटिश सहायता

2227. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश कौंसिल के चेयरमैन ने भारत की अपनी हाल की यात्रा के दौरान देश में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पूरी करने के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो जिस सहायता की पेशकश की गई है उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तत्कालीन शिक्षा मन्त्री के साथ अपने विचार,-विमर्श के दौरान ब्रिटिश परिषद के अध्यक्ष ने बताया था कि यदि इच्छा प्रकट की गई, तो परिषद् केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद जैसी संस्थाओं में अंग्रेजी के अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा पुर्नप्रशिक्षण में सहायता देने के लिए तत्पर होगी ।

(ख) आमतौर पर इस प्रकार की सहायता में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षक और भाषा प्रयोगशाला, लिंग्वाफोन रिकार्ड आदि जैसे उपस्कर शामिल है । ब्रिटिश परिषद् के अध्यक्ष ने विशिष्ट रूप से यह नहीं बताया कि ब्रिटिश परिषद क्या देने के लिए तैयार होगी ।

(ग) सरकार, ब्रिटिश परिषद् की पेशकश का स्वागत करती है और जब जैसी जरूरत होगी उसका उपयोग करेगी ।

अलिटालिया एयरलाइन्स द्वारा होटलों की स्थापना

2228. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलिटालिया एयरलाइन्स का विचार भारत में होटलों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त एयरलाइन्स द्वारा प्रस्तुत की गई होटल निर्माण योजना की मोटी रूपरेखा क्या है तथा प्रत्येक होटल में कुल कितने व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस योजना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) सरकार को अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

मुहम्मद फारूक का पाकिस्तान जाने का निवेदन

2230. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर के मीर वाइज मौलवी मुहम्मद फारूक ने भूतपूर्व मीर वाइज मौलवी यूसुफ शाह के शव को उखाड़ कर लाने के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विषय पर, पारपत्र के लिये जब औपचारिक रूप में आवेदन-पत्र प्राप्त होगा विचार किया जायगा तथा ऐसा संकेत मिला है कि पाकिस्तान सरकार स्वर्गीय मीर वाइज़ के शव को देने के लिये तैयार है।

चतुर्थ योजना में भारतीय नौवहन का लक्ष्य

2231. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारतीय नौवहन के लक्ष्यों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य, तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) चौथी योजना का नौपरिवहन लक्ष्य संपूर्ण चौथी पंचवर्षीय योजना का अंग है, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियां

2232. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग के डीन तथा अन्य प्रोफेसर वहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं तथा उनका संगठन कर रहे हैं ;

(ख) क्या विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मण्डल यहां पर प्रधान मन्त्री से मिला था और उनको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रति-उप-कुलपति के रवैये तथा बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय में इसकी गतिविधियों के बारे में बताया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापक, राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में विज्ञान

2233. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० ए० एस० टी० ए० एस० आई० ए० (कास्टेशिया) ने निश्चित रूप से यह घोषणा की है कि विज्ञान को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) छात्रों की परिपक्व अवस्था स्तरों के उपयुक्त विषय वस्तु के अनुसार कास्टेशिया ने पहली दस श्रेणियों में प्रत्येक छात्र की सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में विज्ञान के पढ़ाने की सिफारिश की है।

(ख) मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी अन्य सरकारों की है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में कास्टेशिया से मिलती जुलती सिफारिशों को शामिल कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार राज्यों पर इस जरूरत के लिए भी जोर दे रही है कि स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा को व्यापक बनाया जाय तथा उसमें सुधार किया जाय और इसके लिए तीसरी तथा बाद की वार्षिक आयोजनाओं में वित्तीय सहायता भी दी गयी है।

National Highways

2234. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether he is of the opinion that the National Highways in India are not in good condition, though the Government of India allocate funds for their repairs and improvement ; and

(b) the time by which national highways are likely to be connected with the roads of the villages ?

The Deputy Minister in the Department of Parliament Affairs, and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) No, Sir. Within the available resources the National Highways are being maintiaiend in as good a condition as it is possible to do so.

(b) Construction of roads other than national highways are the responsibility of the State Governments. The question connecting the National Highways with the roads of the villages is the concern of the State Governments.

राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

2235. **श्री भोलानाथ मास्टर :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की राय में राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश अगले 50 वर्षों में भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य पूरे नहीं कर सकेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों द्वारा संविधान अनिवार्य शिक्षा के बारे में दिये गये निदेशक सिद्धांतों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा और अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उक्त राज्यों की शिथिलता के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) चौथी आयोजना के लिए इन राज्यों की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों से पता चलता है कि प्रगति की वर्तमान दर के आधार पर, संविधान की धारा 45 के उपबन्धों के अनुसार इन राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था करने में कई वर्ष लग सकते हैं ।

(ख) इन चार राज्यों में लक्ष्यों को प्राप्त करने में ढील का मुख्य कारण वित्तीय साधनों की कमी है ।

Murder of Baldev Singh in Himachal Pradesh

2237. **Shri P. C. Adichan :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Sharda Nand :
Shri J. B. Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Valmiki Choudhury :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted inquiry into the murder of Shri Baldev Singh of Dhameta, District Kangra Himachal Pradesh, in December, 1968, who was working in a flour mill and who was having a dispute with the proprietor of the mill over salary etc., because of which the proprietor of the mill killed him and threw his dead body in bushes near an electric pole,

(b) if so, whether Government have enquired from the villagers about the fact that the same proprietor of the mill had killed a Harijan lady also, as a human sacrifice, some years ago, had got that matter hushed up in collusion with police officials and had shifted his flour mill elsewhere ;

(c) whether Government propose to hold inquiry and take action against the local police officials and the proprietor of the Mill ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Sukla) : (a) to (d) : The information is being collected from the Government of Himachal Pradesh and the same when received will be laid on the table of the Sabha.

ग्रामीण संस्थाएं

2238. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा किन-किन स्थानों पर ग्रामीण संस्थाएं स्थापित की गई हैं ; और

(ख) ये संस्थाएं अपने उन उद्देश्यों को, जिनके लिये ये स्थापित की गई हैं, प्राप्त करने में किस सीमा तक सफल हुई हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रख गया। देखिये संख्या एल० टी० 255/68]

बुनियादी शिक्षा

2239. डा० महादेव प्रसाद : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा सोची गई बुनियादी शिक्षा से भिन्न है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के लिये गांधी शताब्दी वर्ष में इसमें आवश्यक सुधार करना उचित नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है तो क्या ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) आत्म निर्भरता के तत्व को छोड़कर देश की बुनियादी शिक्षा की विद्यमान पद्धति में महात्मा गांधी द्वारा की गई संकल्पना से कोई विशेष भिन्नता नहीं है ।

(ख) और (ग) : इस विषय की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है और हमारी जानकारी के अनुसार राज्य सरकारें, वित्त और जन-शक्ति के उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा की संतोषजनक व्यवस्था करने का भरसक प्रयत्न कर रही है ।

Disturbances in Patna

2240. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the enquiry Commission appointed for investigation into the incidents of attacks on the residence of the then Chief Minister of Bihar, setting the Khadi Gramodyog Bhavan to fire, attacks on the State Transport Depot and firing in connection with arson cases in Patna on the 5th January, 1967, has completed its enquiry and submitted the report to the Government and, if so, the reaction of the Government thereto: and

(b) whether this report would be published along with the evidence given before the Commission and would be laid on the Table ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) : Facts are being ascertained from the State Government.

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन विरुद्ध किये जाने पर मुआवजा

2241. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल समाप्त होने से अब तक सरकार के विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन निरुद्ध किये जाने के विरुद्ध मुआवजे के लिए कितने मामले दायर किये गये हैं ;

(ख) मुआवजों में कुल कितनी राशि की मांग की गयी है ; और

(ग) इस मामले में यदि सरकार कुछ कार्यवाही करने का विचार रखती है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार छः मामले दायर किये गये हैं-एक महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध, चार पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध तथा एक राजस्थान सरकार के विरुद्ध । इन छः मामलों में दावे किये गये मुआवजों की कुल राशि 8,40,500 रु० है । महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों ने उनके विरुद्ध दायर किये गये मुकदमे लड़ने का निश्चय किया है । शेष दो मुकदमों पर, जिनके सम्बन्ध में समनों के समादेश-पत्र राज्य सरकार के सोलिसिटर को 13-2-1969 को तामील कर दिये गये है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना की प्रतीक्षा है । जम्मू व कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है ।

Atrocities on Harijans

2242. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the President of Harijan League, Shri Amichand, has written several letters to the Prime Minister in regard to the atrocities being Committed on Harijans and requested her to make an enquiry into the matter ?

(b) whether Government have examined these cases ; and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) It has not been possible to locate any such letters.

(b) and (c) : Do not arise

संयुक्त सलाहकार व्यवस्था द्वारा विचारे गये मामले

2243. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन गठित संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में विचार के लिए अब तक कौन-कौन से संकल्प तथा मामले आये हैं और उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक निर्णय पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इन निर्णयों को क्रियान्वित करने में कोई विलम्ब हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : (क) और (ख) : संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का राष्ट्रीय परिषद द्वारा विचार किये गये विवादों तथा उन पर लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में विवरण I, II तथा III सदन के समा पटल पर रखे जाते हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी-256/69]**

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय परिषद् के निर्णयों के आधार पर यथावश्यक औपचारिक आदेश/अनुदेश सम्बन्धित मन्त्रालयों से परामर्श करने के बाद तथा कुछ मामलों में संघ लोक सेवा आयोग तथा नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक जैसे संवैधानिक निकायों से परामर्श करने के बाद जारी करने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। फिर भी जैसा विवरण 1 से देखा जा सकता है, परिषद् के निर्णयों के कार्यान्वयन में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है।

विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप

2244. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में बल्लभ नगर में हुए भारत तथा श्रीलंका अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड के 44वें वार्षिक अधिवेशन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में बढ़ते हुए हस्तक्षेप पर चिन्ता व्यक्त की गई थी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सम्बन्धित राज्य सरकारों से विश्वविद्यालयों की वित्तीय अनिश्चितता को दूर करने का अनुरोध भी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में व्यक्त किये गए विचारों तथा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड की बल्लभ विद्यानगर में हुई 44 वीं बैठक के समय आयोजित सेमिनार में, बोर्ड ने इन बातों पर विचार-विनिमय किया था (1) विश्वविद्यालय और उनके वित्त और (2) विश्वविद्यालय संविधान।

बोर्ड ने निम्नलिखित मसौदा संकल्प पारित किये हैं :—

(i) विश्वविद्यालय तथा वित्त :

अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड की यह 44 वीं बैठक, राज्य सरकारों को यह सुझाव देती है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों को एक-मुश्त अनुदान का निर्धारण करने के लिए, निम्नलिखित मापदण्डों को अपनाना चाहिए, जैसा कि गुजरात सरकार कर रही है–

(1) खर्च के नियत माध्यमों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया वार्षिक खर्च।

(2) विकास सम्बन्धी योजनाओं और बाद के प्रशासकीय तथा अध्यापकीय अतिरिक्त अमले को ध्यान में रखते हुए परिकल्पित खर्च में बढ़ोतरी।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आयोजना सहायता बन्द होने पर ऐसा खर्च जिसकी जिम्मेदारी हो जाती है।

(4) कैम्पस विकास और/अथवा वास्तविक सुविधाओं पर ऐसा खर्च जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अधीन नहीं आता है ।

(5) वेतन-मानों अथवा महंगाई भत्ता अथवा अन्य भत्तों अथवा सुविधाओं अथवा लाभों के पुनरीक्षण के कारण बढ़ोतरी ।

(6) अमले की सामान्य वार्षिक तरक्की के खर्च को उठाने के लिये स्वतः 6 प्रतिशत बढ़ोतरी ।

(II) **विश्वविद्यालय संविधान :**

संकल्प किया जाता है कि विश्वविद्यालयों की संरचना के पुनरीक्षण के प्रश्न की जांच करने तथा उस पर रिपोर्ट करने के लिए, अन्तर-विश्वविद्यालय-बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एक समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि इसे बदली हुई हालतों के अनुरूप बनाया जा सके और जनता की आशाओं तथा इस देश की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक कारगर माध्यम बन सके ।

(ग) सरकार को संकल्प की जानकारी है ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का कार्य संचालन

2245. **श्री स्वरूप सिंह कोठारी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्य संचालन में इस वर्ष सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 और 1969-70 के बजट के अनुसार आय तथा लाभ का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निगम के कार्य संचालन में और अधिक सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां । 1967-68 में 38.11 लाख रुपये की हानि के मुकाबले में इण्डियन एयरलाइन्स ने 1968-69 में 69 20 लाख रुपये के लाभ की बजट-व्यवस्था की है जो कि, उन्हें आशा है, वस्तुतः इससे भी बढ़ जायेगा । 1968-69 के लिये कुल बजट-गत आय 3895 लाख रुपये है । 1969-70 के बजट प्राक्कलनों को अभी कारपोरेशन द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) आंतरिक कार्य-कुशलता, तर्क संगतीकरण एवं अर्थ-व्यवस्था में सुधार करके, तथा विमान बेड़े के विस्तार एवं उपलब्धि को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करके ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा धन का दुर्विनियोग

2246. **श्री शारदानन्द :**
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री अदिचन :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य सेतर्कता आयुक्त, नई दिल्ली को दिल्ली प्रशासन द्वारा 1967-68 में मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति योजना के लिये नियत की गई लगभग 1,40,000 रुपये की राशि का दुर्विनियोग किये जाने के बारे में किसी संसद् सदस्य से दिसम्बर, 1968 में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) : जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अभी तहकीकात कर रहा है ।

लन्दन से सिडनी तक की कार दौड़ के लिये दी गई सुविधाओं पर व्यय

2247. **श्री अदिचन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन से सिडनी तक की कार दौड़ के लिए दी गई सुविधाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) प्रतियोगियों के लिए जिन सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया, उनका ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मद पर कितना खर्च आया ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में यात्रा ठहरने के दौरान प्रतियोगियों का निजी सामान लूट लिया गया था और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कार दौड़ के फलस्वरूप भारत में कितने व्यक्ति मरे तथा कितने घायल हुए और प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया ।

(ख) लन्दन–सिडनी कार दौड़ के आयोजकों को निम्न सुविधाएं प्रदान प्रदान की गयी :–

(1) हुसैनीवाला पड़ताल–चौकी और बम्बई बन्दरगाह पर शीघ्रता से सीमा शुल्क तथा आप्रवास-निकासी ;

(2) सामान्य काम के घण्टों के पश्चात् हुसैनीवाला सीमा का खोलना, स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा हुसैनीवाला पड़ताल-चौकी पर एक्सचेंज काउण्टर का खोलना और पड़ताल चौकी पर विशेष-प्रकाश प्रबन्ध ;

(3) हुसैनीवाला से बम्बई तक के मार्ग पर स्थानीय पुलिस फोर्स द्वारा यातायात व्यवस्था का समन्वय और प्राथमिक उपचार का प्रबन्ध ; और

(4) कारों की यात्रा को सुनिश्चित रूप से निर्बाध बनाने के लिये स्थल-सेना एवं स्थानीय पुलिस फोर्स द्वारा विशेष संचार व्यवस्था ।

(ग) सरकार का ध्यान कुछ समाचार पत्रों में नियन्त्रण केन्द्र, दिल्ली पर जेब कतरने की कथित घटना के सम्बन्ध में छपने वाले समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है। लेकिन, पर्यटन विभाग को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(घ) इस रैली के भारत से होकर यात्रा के दौरान चार दुर्घटनाएं हुईं परन्तु इनमें से कोई भी दुर्घटना घातक नहीं थी। दौड़ में भाग लेने वालों में से तीन को गम्भीर चोटें पहुँचीं। दुर्घटनाओं का विवरण इस प्रकार है :--

(1) आस्ट्रेलियन प्रतियोगी : राजपुरा में एक ट्रक के साथ दुर्घटना। दौड़ में भाग लेने वालों को मामूली चोटें आईं।

(2) फ्रेंच प्रतियोगी : कार ग्वालियर से परे लेबल क्रासिंग के खम्बे से टकराई। कार में बैठे दोनों व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गए और वे एक विशेष चार्टर विमान से दिल्ली लाये गये जिसकी व्यवस्था फ्रांसीसी दूतावास ने पर्यटन विभाग की सहायता से की थी।

(3) ब्रिटिश प्रतियोगी : आगरा शहर के बाहर लेबल क्रासिंग के सामने एक तेज मोड़ पर चलाते समय कार नियन्त्रण से बाहर हो गयी। एक प्रतियोगी को गम्भीर चोट आई और उसका स्थानीय मेडिकल कालेज अस्पताल में डाक्टरी उपचार किया गया।

(4) ब्रिटिश प्रतियोगी : कार आगरा-बम्बई सड़क पर ट्रक से टकरा गई ; सभी तीनों प्रतियोगियों को मामूली चोटें आईं।

यह शर्त कि किसी भी दुर्घटना के लिए भाग लेने वाले स्वयं उत्तरदायी होंगे, दौड़ की शर्तों में से एक थी।

इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमा-धारियों को बेरोजगारी भत्ता

2248. **श्री अदिचन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन विशेषकर दिल्ली प्रशासन इंजीनियरों के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों और अन्य तकनीशनों को बेरोजगारी भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकार/प्रशासन द्वारा क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की वर्तमान संख्या कितनी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। व्यवहारिक प्रशिक्षण के केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम का विस्तार किया गया है और स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए वर्तमान वर्ष में लगभग 11,000 प्रशिक्षण स्थानों

की व्यवस्था की गई है । प्रशिक्षण के दौरान स्नातकों को 250 रु० प्रतिमास तथा डिप्लोमा-धारियों को 150 रु० प्रतिमास की छात्रवृति दी जाती है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें 31-12-68 को प्रत्येक राज्य में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की संख्या दिखाई गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी-257/69]**

विदेशी पर्यटक

2249. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस दावे को कि 1973 तक 6,000,000 पर्यटक भारत की यात्रा करेंगे, होटल के मालिकों ने चुनौती दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : चौथी पंच-वर्षीय योजना की तैयारी के आधार स्वरूप 600,000 पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । लेकिन, योजना के परिव्यय में भारी कटौती होने के कारण इस लक्ष्य को भी अब बहुत अधिक कम करना पड़ेगा ।

उड़ीसा पदालि के भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध आरोप

2250. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक आयोग में उड़ीसा उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश श्री एस० के० राय ने भारतीय पुलिस सेवा के श्री एस० पी० मलिक को बस के एक सहयात्री डा० (श्रीमती) मिनाली पटनायक से रूरकेला और कटक के बीच शील भंग करने का दोषी पाया है ;

(ख) यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन कार्यवाही न करने का क्या कारण है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अपराध के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग का निष्कर्ष है कि इस विषय में आरोप सही है ।

(ख) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के विचार के लिये है ।

(ग) और (घ) : कथित घटना के समय श्री एस० पी० मलिक उड़ीसा सरकार के अधीन नियुक्त थे तथा नियमों के अनुसार केवल उड़ीसा सरकार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक

कार्यवाही करने के लिए सक्षम है । राज्य सरकार से एक पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक स्पष्टीकरण उन्हें दे दिया गया है ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : कल हमने राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार विमर्श किया था तथा मैंने कहा था कि इस मामले पर सोमवार को बहस की जायेगी । हम इस मामले को सोमबार को सायं 4 बजे उठायेंगे । कल हमने निर्णय किया था कि सभा भविष्य में 7 बजे तक बैठेगी । इस बात पर कार्य मंत्रणा समिति में भी सहमति प्रकट की गई थी । वह मामला सोमवार को 4 बजे सायं उठाया जायेगा तथा सभा 7 बजे अथवा जब तक आवश्यक होगा, बैठेगी । अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : To-day we gave a notice for an Adjournment Motion. It was regarding a very serious matter. To day the Raja of Ramgarh is being sowrn in as a Minister in Bihar.

अध्यक्ष महोदय : चाहे वह कितना ही गम्भीर मामला हो, मैं इन प्रश्नों का सभा में उत्तर देने को तैयार नहीं हूं ।

Shri Yogendra Sharma : The Calcutta High Court has given a judgement against him.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब जो कुछ कहें, उसे सभा की कार्यवाही के वृतान्त में शामिल न किया जाये ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : **

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । एक माननीय सदस्य ने मेरे कक्ष में मेरे साथ इस मामले पर विचार विमर्श किया था । मैंने उन्हें बताया था कि रामगढ़ के राजा के मामले को इस सभा में नहीं उठाया जा सकता । इस मामले पर बिहार की विधान सभा में चर्चा की जा सकती है । इस मामले को यहां उठाने की अनुमति देना एक गलत परम्परा आरम्भ करना होगा, क्योंकि यदि आज इस मामले की अनुमति दी जाती है, तो फिर बाद में मद्रास, बंगाल, पंजाब और अन्य राज्यों के मामलें उठाये जायेंगे । अतः इस मामले को उठाने की अनुमति देना संविधान के विरुद्ध हैं । माननीय सदस्य कृपया मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय औद्योगिक संस्थान, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 223/69]

विमान (संशोधन) नियम

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अधीन विमान (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 1 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 182 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 234/69]

शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम, पंजाब खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, तथा अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अधीन शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 266 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 235/69]

(2) अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन पंजाब खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 379 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 380 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 236/69]

(3) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 257 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 258 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 237/69]

बड़े पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1969 तथा कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के 1966-67 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अधीन बड़े पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 18 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 120 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 238/69]

(2) कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के 1966-67 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 239/69]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा में घोषणा करता हूं कि सोमवार, 10 मार्च, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) वर्ष 1969-70 के सामान्य बजट पर आगे चर्चा।

(2) वर्ष 1969-70 के लिये लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) का सभा के मतदान के लिये रखा जाना।

(3) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में लोक नियोजन (निवास-सम्बन्धी आवश्यकता) संशोधन विधेयक, 1969, पर विचार तथा उसे पारित करना।

(4) वर्ष 1969-70 के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(5) वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

कार्य-मन्त्रणा समिति के 30 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : THIRTIETH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

ससद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1969 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।'

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कार्य मत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

Shri Madhu Limaye (Mongyr) : I move an amendment to this motion.

श्री सुरेन्द्र सिंह द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित है । मत्री महोदय ने जिस कार्यक्रम की घोषणा की है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । पिछली बार जब हमने दल बदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की आवश्यकता का उल्लेख किया था तो मत्री महोदय ने वचन दिया था कि वह सम्बन्धित मत्री से बातचीत करके चर्चा का समय निर्धारित करेंगे । परन्तु अगले सप्ताह के लिये सभा के कार्य के जिस कार्यक्रम की घोषणा की गई है, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : My amendment is that the consideration and passing of the Public Employment (Requirement as to Residence) Amendment Bill and the other Bills of same nature may be deleted from the programme of the Business of the House and in their place the Bill regarding Company Donations and Managing Agency System should be included in the programme for consideration and passing. I know that during the Budget Session top priority is given to the Budget, the Finance Bill, the Appropriation Bill and the Demands for Grants. But if Government wants to pass another Bill, top priority should be given to Company Donations Bill. I want to remind the Government tha long ago they gave an assurance to pass this Bill; but nothing had been done so far. So my suggestion is that this Bill should be immediately taken up.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I made a submission on Friday last that some procedure should be established regarding Not-Day-yet named Mo ions The Report of the Tek Chand Committee on Prohibition was submitted in the year 1 64 But it bas not been so far discussed in this House. My submission is that time should be allotted for discussing this Report.

अध्यक्ष महोदय : इस सत्र में मुख्यतया बजट पर चर्चा की जायेगी । क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि बजट पर बहस को स्थगित किया जाये और अन्य बातों पर जैसा कि टेकचन्द समिति के प्रतिवेदन पर बहस की जाये । इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव श्री रघुरामैया अथवा सरकार का नहीं है, बल्कि यह कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन है । कार्य मंत्रणा समिति में विभिन्न ग्रूपों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तथा विभिन्न ग्रूपों की सहमति से यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में कह रहा था। अगले सप्ताह के कार्यक्रम का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा था। माननीय मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा श्री मधु लिमये ने संशोधन पेश किया है। श्री मधु लिमये ने कुछ मदों को निकालने तथा कुछ अन्य मदों को शामिल करने का सुझाव दिया है। जहां तक माननीय सदस्य के सुझावों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे। लोक नियोजन (आवास सम्बन्धी आवश्यकता) विधेयक पर पहले चर्चा की जा चुकी है और यदि इसको नहीं लिया जाता है तो यह 24 तारीख को व्ययगत हो जायेगा। इसीलिये इसको लिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं। परन्तु इस सभा में यह परम्परा रही है कि आगामी सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा करते समय यदि संसद कार्य मंत्री किसी महत्वपूर्ण विषय को छोड़ देते हैं, तो हम आपके माध्यम से उनका ध्यान उस ओर दिलाते हैं। जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है दलबदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर बहस की जानी चाहिये और बिहार में जो कुछ हो रहा है, उसको देखते हुए यह और भी जरुरी है। कांग्रेस रामगढ़ के राजा के दबाव मे आ गई हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रतिवेदन पर शीघ्रातिशीघ्र बहस की जाये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह समवाय दान अधिनियम से सम्बन्धित है। आपको याद होगा कि पिछली बार कार्य मंत्रणा समिति में डा० राम सुभग सिंह ने इस पर बहस का आश्वासन दिया था। हम यह समझते थे कि कांग्रेस मध्यावधि चुनाव के लिये धन इकट्ठा करना चाहती है। अब तो मध्यावधि चुनाव भी समाप्त हो गये हैं। इसलिये इस बारे में विधेयक लाया जाना चाहिये।

श्री रघुरामैया : विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने दलबदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर बहस की मांग की थी। इस बारे में एक सरकारी प्रस्ताव है जिसे गृह कार्य मंत्री के पास भेजा गया है। हमें इस पर शीघ्रातिशीघ्र बहस करने में कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I demand a division on my amendment.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के संशोधन में कहा गया है कि लोक नियोजन विधेयक तथा अन्य विधेयकों के स्थान पर समवाय दान विधेयक को लिया जाये और उसे पास किया जाये। इस संशोधन को मानना नियमानुकूल नहीं है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो अन्य सदस्य किसी अन्य विधेयक के बारे में प्रस्ताव कर सकते हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

'कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1969 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कक्ष खाली करा दिये गये हैं, अब मैं इस प्रश्न को सभा के मतदान के लिये रखता हूं। माननीय मंत्री।

श्री रघुरामैया : मैं पहले ही बता चुका हूं और उसे फिर दुहराता हूं कि वित्तीय कार्य के समाप्त होते ही उच्च प्राथमिकता प्राप्त विधेयकों यथा अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों तथा कुछ अन्य मामलों को जिन्हें वित्तीय उपायों आदि के प्रवर्तन के कारण शीघ्र अधिनियम का रूप देना जरुरी है, हमें उसे यथा शीघ्र लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद-कार्य मंत्री ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है, प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1969 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी
GENERAL BUDGET-GENERAL DISCUSSION-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब सामान्य आय-व्ययक पर और आगे चर्चा करेगी। श्री महीडा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने बहुत सन्तुलित आय-व्ययक पेश किया जिसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। प्रस्तुत आय-व्ययक में कुछ विवादास्पद मामले हैं विशेषकर उर्वरकों पर उप-कर की व्यवस्था। इस प्रश्न के दो पहलू हैं। मेरी राय में उन लोगों पर नलकूपों तथा नहरों की सुविधाएं प्राप्त हैं, थोड़ा-सा कर लगाया जाना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं क्योंकि आखिर वह धन जन कल्याण के लिये केन्द्रीय राजकोष में जायेगा।

दूसरा विवादास्पद मामला है पम्पिग सैटों पर कर लगाने के बारे में। यदि पम्पिग सैटों का प्रयोग करने वाले बड़े किसानों पर कर लगाया जाता है, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि छोटे किसानों पर जिन्होंने इन सैटों का प्रयोग करना आरम्भ किया है, कर लगाने का अभिप्राय है, तो मैं उसका विरोध करूंगा।

गुजरात राज्य में बहुत से इलाके पिछड़े हैं और कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त उद्योग हैं। बडौदा में एक उर्वरक कारखाना है, दूसरा कांडला में स्थापित करने की बात चल रही है और तीसरा

कारखाना मिथापुर में खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। वहां जो उर्वरक तैयार की जायेगी उसका प्रयोग केवल गुजरात ही नहीं अपितु सारा देश करेगा। इसलिये मिथापुर परियोजना पर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उससे सम्पूर्ण देश को लाभ होगा।

नर्मदा घाटी परियोजना ऐसी ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें मध्य प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान सभी राज्यों की दिलचस्पी है। यह विश्व में सबसे बड़ी परियोजना है और यदि उसे क्रियान्वित किया जाये, तो हमारे खाद्यान्नों का आयात कम हो जायेगा। इसलिये वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये और उसे जल्दी आरम्भ करवाया जाये।

यदि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में समझौता हो जाये तो अच्छा है, अन्यथा नदी जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा जा सकता है अथवा केन्द्रीय सरकार निर्णय दे सकती है और काम आरम्भ कर सकती है। इस परियोजना में विलम्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पूरा होने में ही बीस वर्ष का समय लगेगा।

इसी प्रकार कई अन्य महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं। यदि महाराष्ट्र मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में समझौता हो जाये और नागार्जुन सागर परियोजना आरम्भ की जाये, तो उससे आस-पास के क्षेत्रों के किसानों को बहुत लाभ होगा। भारत कृषि प्रधान देश है इसलिये सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि केन्द्रीय सरकार ने कृषि उद्योगों की ओर भी कुछ ध्यान दिया है।

कृषि उद्योग हमारी कृषि में मदद देते हैं। जब तक कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता नहीं दी जाती—बोकारो इस्पात परियोजना से भी अधिक—तब तक हम लोगों को भर-पेट भोजन नहीं दे सकेंगे और साम्यवादी अथवा अर्ध साम्यवादी प्रचार के चंगुल से हम अपने देश को नहीं बचा पायेंगे। यह ठीक है कि हम एकदम बांध आदि नहीं बना सकते लेकिन हम भूमिगत जल का लाभ जरूर उठा सकते हैं। नलकूप लगाये जा सकते हैं और कुए खोदे जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार को भू-बन्धक बैंकों के लिये और अधिक धन का नियतन करना चाहिए ताकि वे किसानों को ऋण दे सकें और वे कृषि के लिये अच्छे ढोर, अच्छे बीज तथा अच्छे उपकरण खरीद सकें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, कृषि का और आगे विकास होना कठिन है।

आज हमारा देश शहरी तथा ग्रामीण दो क्षेत्रों में विभाजित है। शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी, अच्छी सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों तथा कालेजों की सुविधाएं हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अभी तक उपेक्षा की गई है। यदि उनकी इसी प्रकार उपेक्षा की गई, तो उन्हें इन सुविधाओं के मिलने में सैकड़ों वर्ष लगेंगे। इसलिये मेरी अर्ज है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये और वहां आधुनिक सुविधाएं सभी उपलब्ध की जायें अन्यथा इस उपेक्षा में खतरा निहित है। ग्रामीण क्षेत्र उचित रूप से संगठित नहीं हैं। यदि यही स्थिति रही तो साम्यवादी तत्वों के फैलाव तथा पनपने के लिये ग्रामीण क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त वातावरण सिद्ध हो सकते

हैं हमें कर उन्हीं लोगों पर लगाने चाहिए जो उनका भार वहन कर सकते हैं लेकिन हम झुग्गी-झोंपड़ियों वालो पर कर नहीं लगा सकते जिनके पास देने के लिये कुछ भी नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि शहरी लोग तथा धन कमाने वाले लोग इन करों का विरोध करेंगे। लेकिन इस धन को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये खर्च करना पड़ेगा। जब तक ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाती है, मैं वित्त मंत्री का समर्थन करूंगा। मुझे आशा है कि ग्रामीण भारत की ओर भी समुचित ध्यान दिया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): Sir, in a developing economy, the budget is not a statement of accounts only showing estimated annual receipts and expenditures of a State. But it is a replica of the strategies, programmes and policies adopted by a nation for the re-construction of its economy which requires a powerful and efficient machinery for their implementations. Now we have to judge from these points of view viz. whether the budget proposals would help increase production and productivity, whether they would increase the avenues of employment, whether these would give any incentives to investments and savings whether they would give any relief to the hard-hit people of the country due to steep rise in prices and whether they would reduce the widening disparities in the society. Only after taking all these aspects into consideration we can come to the conclusion if it is a balanced budget, I want to find out this answer in the budget proposals itself.

The Finance Minister, during his speech has attempted to point an encouraging picture by glossing over the darker sides of the economy. According to him, the country expected a good crop during the current year. But he forgot of the very fact that the credit of bumper crop goes to the monsoons only for we have still to depend on the vagaries of monsoons.

The volume of export has not increased to the extent it should have. It is also a bitter truth that after devaluation we have not been able to earn as much foreign exchange as we used to earn before that through our exports in lesser quantities. We are loosing our tea, jute and cotton textile markets in the world to-day and we are not able to withstand stiff competitions in the international markets due to higher prices and inferior quality of our commodities. So far as repayment of obligations is concerned, our economic dependence on foreign countries has reached stage which has posed a danger to the our economy with the result that New Delhi to-day is looking to the foreign capitals, State Governments are looking to the Centre and public is looking to the State Governments.

Unemployment particularly the growing unemployment among the educated class-a potential threat to the nation-did not find any place in the colourful picture of the economy painted by the Finance Minister during his budget speech. It is a matter of serious concern. It is not only a proof of the utter failure of the economic policies of the Government but also is a serious threat to our political and social structure.

According to the Government, the rate of development is expected to be at 3 percent during the current year which is too meagre to remove the economic backwardness of the country keeping in view the rate of growth in population. The budget does not, therefore, indicate any signs of a bright future as it does not contain anything to invigorate our economy. It does not seem to be a growth-oriented budget.

Before I come to the budget proposals, I would like to point out that an attempt has been made by the Finance Minister both to give relief to some sectors-that too with some hesitation and to impose new additions on some sectors without caring for the

implications thereof. These are the two aspects which must be given a serious thought by the House before giving its approval to them.

For instance, the Deputy Prime Minister has been very liberal to raise the tax-exemption limit of divident income from Rs 500 to Rs. 1000 It is a step in the right direction and it deserves commendations. But at the same time he has taken two steps in the wrong direction

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the cloch.

{ **श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए** / **Shri Gadilingan Gowd *in the Chair*** }

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I was telling about the two wrong steps taken by the Finance Minister by way of his budget proposals. First, the proposal of progressive increase in the tax rates on personal income is itself a retrograde proposal and the effect of this increase will fall on the middle income groups which were already heavily taxed even without this new addition. His proposal to make an increase in the rate of tax on incomes in the slab of Rs. 10001 to Rs. 5,0.0 by 2 percent from 15 percent to 17 percent, and on incomes in the slab of Rs. 15001 to Rs. 20,000 by three percent from 20 percent to 23 percent is not a wise step. This proposal should be withdrawn. By imposing new additions on this group which is the spinal cord of the society, we are depriving ourselves of valuable contributions which these groups could make towards the reconstruction of the economy by way of their investments and savings.

Now coming to excise duty, not only the traditional commodities but some new items also have been brought within the purview of these measures. He has converted the existing specific rates of excise du y into ad valorem rates for a number of commodities including cement, vegetable products, electrical goods, soaps. soda ash and caustic soda. Accor ing to him, ad valorem duties will act as a spur to reduction in costs and prices But what I feel about this is the principle of imposing ad valorem duties on these items is going to put a heavy burden on consumers of these commoditles and now they will have to pay more for these items.

23 percent duty has been levied on crystal sugar, which is unfair and uncalled for, It is neither in the interest of cane growers nor that of sugar industry. With this duty, the price of free market sugar is further looking up. The consumer has to pay more for the same quantity of sugar which is beyond the purchasing capacity of an average man in the country.

I know that the hon. Deputy Prime Minister does not want to raise duty on sugar. His intention is quite clear. But the policy he has adopted will add Rs. 27 crores in the exchequer. But may, I, the refore know on whom this burden will fall. This burden will certainly fall on the people. This matter should also be given weight as to what the produces of sugarcane have gained with the enhancement of excise duty on sugar. They have to sell their produce at cheaper rates and purchase sugar at enhanced rates. I think

that the hon. Deputy Prime Minister has increased imbalance thereby instead of decreasing it.

The millo which are producing gray cloth mill certainly bene it because of exemption of excise duty on it but the number of such mi ls is very meagre. On the other hand the mills producing fine and printed cloth will have to suffer more on account of ehhancement of excise duty on them and the number of such mills is also much more Moreovet the category of persons which was expected to save more has been attacked by the enhancement ad valorem duty, at the rate of 15 percent on suitings, curtain cloth, decoration cloth and Turkish towels and he expects the same saving to the invested in the reconstruction work.

Though I am not a smoker but I have been told that the enhancement of 6 percent to 18 percent excise duty on cigarattes will add burden on those who take medium and light cigarettes and not on those who take fine and super fine cigarettes. If this is the position then hon. Minister should reconsider the whole matter.

The enhancement of excise duty on motor spirit will throw the road transport industry into danger. With the increase of excise duty the rates of freight and fare will also increase which will certainly have bad effect on this industry. Instead of increasing the condition of roads Government is increasing its income thereby. We can say that it is not a foresighted policy. We should not lose sight of the fact the Minister of Railways had recently increased the rates of freight by 10 percent without the consent of the Parliament. All these things will result in the enhancement of prices.

The increase in the excise duty on chemical fertilisers and power pumps at the rate of 10 percent and 20 percent respectively can not also be supported. I am sorry that the Prime Minister has himself refuted what he has said in paragraph 3 of his speech. I feel that there is no justification in imposing excise duty on fertilisers. There is already scarcity of fertilisers in our country. The demands exceeds the availability. Moreover all the farmers have not yet started using chemical fertilisers. We have to give incentive to them. Thus the hon. Minister has not done justice to them by imposing 10 percent excise duty on fe t lisers. I am one with him that the tendency to save must increase in the big farmers and that saving should be utilised on new productions but this object can not be achieved by imposing excise duty on fertilisers and power pumps. We should make efforts to see that the rich farmers spend their money on the installations of tube-wells and supply the water of those tube-wells to other farmers at reasonable prices. We should also encourage rich farmers to start small and medium industries based on agriculture in rural areas.

The hon. Finance Minister has also not done a good thing by imposing tax on landed property. My submission is that tax on agriculture property is unconstitutional. It can be imposed by the States and not by the centre.

An assessment has been made that the imposition of this tax will add the income of the Government to the tune of Rs. 5 crores. I feel that this is an under estimate. Even if this estimate is correct and only Rs. 5 crores will be added, which will also be distributed to the States, then why the centre is entering into a conflict. The States can be advised that they should try to increase their expenditure with the back of such resources. We should not also forget that the development that has taken place initially is not lose. Hence my submission is that this tax on agricultural property should be withdrawn.

Export duty on tea is going to be reduced from Rs. 20 to Rs. 15 per kilogram. Export duty on tunned tea has been totally exempted. It is good but if Government wants to give relief to the producers then exemption should be made in excise duty.

Our Jute Industry is in peril. It is good that it has been put in the priority list. In this connection I would like to submit that our exporter of Jute will not be able to withstand the competition of Pakistan.

By going through the pages of the past history of ome years we find that increase in excise duty is made to the tune of about Rs. 100 crores. The burden of it falls on the common man. On the one hand it is said that we are passing through economic depression. If we want to get rid of this depression then we must raise the purchasing power of the people. But the imposition of taxes decreases the purchasing power of the people. The hon. Minister should pay attention to this point also.

I would like to repeat the point that has already been made that no mention has been made regarding non-plan expenditure in the budget. The reasons enumerated for increase in expenditure other than planning are wide known. Dearness and increase in dearne s allowance will go side by side. But apart from that economy can be effected to the tune of Rs. 100 crores in Government expenditure by adopting economy measures. No assurance has been given to this effect.

The hon. Deputy Prime Minister has done a good thing by announcing the amount of Fourth Five Year Plan. May I know whether this principle namely that the plan will be chalked out in accordance with the availability of resources, will be adopted in future also.

The fact that the hon. Deputy Prime Minister has accepted that industries producing consumers goods must be given impetus also deserves our appreciation. There is no doubt that there is a great need of heavy industries in our country but we can not forget this thing that our economic plans are to run on democratic basis. Therefore the policy adopted for this purpose is very good. But to increase the production of consumer goods and then to impose excise duty on them are two paradoxical things.

The hon Deputy Prime Minister will now listen to this speeches of different hon. Members and will also get an opportunity to make amendments in his budget proposals. Hence my submission to him is that he should withdraw such tax proposals which put burden on middle class people and which stand in the way of agricultu a' production. We must take into account the criterion while taking final decision on budgetary proposals and I hope that keeping in view the reaction of this House and the country he will make such amendments which are conducive to the common people.

श्री भगवती (तेजपुर) : सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को भाषण देते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं सुबह विश्वनाथ मन्दिर में गया था तो वहां हर स्थान पर गंद ही गंद था। तब उन्होंने पूछा कि क्या भारत से गंदगी अंग्रेजों के जाते ही खतम हो जायेगी। उसके बाद उन्होने यह कहा कि यदि हम अपने मन्दिरों को साफ नहीं रख सकते हैं तो हमारा स्वराज्य किस तरह का होगा ? मैं समझता हूं कि वे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसलिये यदि हमें अपने देश को महान बनाना है तो हमें उस संदेश के महत्व को समझना होगा। इसलिये हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम इस संसार को रहने के लिये कैसे अच्छा बना

सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि गांधी शताब्दी वर्ष में भारत को कुछ ऐसा योगदान देना होगा जिससे जनता कुछ अच्छे दिन देख सके।

मुझे याद है कि मैंने प्रो० हैरिसन ब्रौन द्वारा लिखी पुस्तक "चैलेंज टू मैनस फ्यूचर" पढ़ी है। उस पुस्तक में उसने वैज्ञानिक ढंग से आंकड़े देकर यह बताने का प्रयत्न किया है कि यदि विकसित देश ससार के प्राकृतिक संसाधन इकट्ठे कर लेंगे तो एक ऐसा दिन शीघ्र ही आ जायेगा। जब यांत्रिक सभ्यता किसी कारण काम करना बन्द कर देगी और उसको फिर से बहाल नहीं किया जा सकेगा। ये ऐसी समस्यायें हैं जिनका संसार को सामना करना पड़ा है। मैं समझता हूं कि इन समस्याओं की ओर ध्यान देने का भारत का भी उत्तरदायित्व है।

हम बहुत सी त्रुटियों और कमियों की बात करते हैं। जब साम्प्रदायिक दंगे होते हैं तो हम एक दूसरे को दोष देते हैं। जब हरिजनों पर ज्यादतियां की जाती है तो हम संविधान में की गई व्यवस्था को लागू न करने के बारे में सरकार को दोषी ठहराते है। जब मद्यनिषेध विफल रहता है तो भी हम अपनी आवाज उठाते हैं। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम ऐसा करने से देश को आगे ले जा सकते हैं। हम सब के सामने, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, यही समस्या होगी। इसका कारण यह है कि हमने मूलभूत मामलों की अवहेलना की है। हमने लोगों को गलत रास्ते पर चलना सिखाया है। सरकार के पास पूरी शक्ति नहीं होती है और न ही होनी चाहिये।

लोकतन्त्र में हमें गांधी जी की बताई गई बातों के महत्व को समझना चाहिये। उनका अनुसरण करने से ही हम आगे बढ़ सकते है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास इस बात से आंका जाता है कि विभिन्न व्यवसायों में काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है। भारत में इस समय 70 प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए हैं और ऐसा होते हुए यहां की अर्थव्यवस्था कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। केवल इतना ही नहीं पिछले कुछ वर्षों से कृषि पर जनता का भार बढ़ता जा रहा है और 90 लाख जोतें ऐसी हैं जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल एक एकड़ से भी कम है।

ऐसी हालत में हमारा किसान आधुनिक युग में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है और अपने रहन सहन के स्तर को कैसे ऊंचा उठा सकता है। अतः एक बड़ी संख्या में कृषकों को अन्य व्यवसायों में लगाना होगा। इसके लिये देश का औद्योगीकरण करना होगा। हमारा भोजन संसार में सब से कम पौष्टिक है। अतः हमें अन्न के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

केन्द्र और राज्यों के संबंध इस समय कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग स्थापित किया जाना चाहिये। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी हमारा केन्द्र कमजोर पड़ा हम पर विदेशियों ने आक्रमण किये। इसके लिये यह आवश्यक है कि केन्द्र के प्रति राज्यों की निष्ठा हो, उसका वे आदर करें और केन्द्र तथा इकाइयों के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हों।

आसाम की अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान होना बाकी है। आसाम में कच्चा माल बडी मात्रा में उपलब्ध है जैसे कि अशोधित तेल। यदि वह तेल राज्य में ही साफ नहीं किया जाता है तो हम उस राज्य में औद्योगिक विकास की आशा कैसे कर सकते हैं।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

पाइपलाइन द्वारा अशोधित तेल को ले जाने का विचार बहुत पुराना और अलाभप्रद है।

आसाम की दूसरी समस्या बाढ़ और भूमि के कटाव की है। प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा $5\frac{1}{2}$ करोड़ रु० के मूल्य की फसल नष्ट होती है। सामान्य समय में भी प्रति वर्ष कम से कम 225 गांव बाढ़ की लपेट में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार एक ब्रह्मपुत्र आयोग स्थापित करे। केन्द्रीय सरकार को अपनी इस प्रकार की योजनाओं में आसाम राज्य को प्राथमिकता देनी चाहिये।

आसाम की जनता में यह भावना व्याप्त है कि केन्द्रीय नेता इस सीमावर्ती राज्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इस भावना को दूर करने के लिये कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये।

आसाम से पश्चिमी बंगाल में चाय लाने पर प्रवेश शुल्क लगाया जाता है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र कुछ ऐसा कर लगा दे जिससे होने वाली आय आसाम तथा पश्चिम बंगाल आधा आधा बांट लें।

उर्वरक और बिजली से चलने वाले पम्पों पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि हमारे कृषकों ने इन का प्रयोग अभी आरम्भ किया है। अन्यथा इससे उन्हें ठेस पहुंचेगी और वे इनके प्रयोग के लिये निरुत्साहित होंगे। आर्थिक विकास के लिये बचत का होना बहुत आवश्यक है। चूंकि इसके लिये उचित वातावरण नहीं बनाया गया है, इसलिये औद्योगीकरण के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं जुटाये जा सके हैं लोगों में स्वेच्छा से बचत करने की भावना पैदा की जानी चाहिये।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 309 का प्रतिस्थापन

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL (SUBSTITUTION OF SECTION 309)

श्री वीरभद्र सिंह (महासू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अग्रेतर संशोधन करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री वीरभद्र सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL-CONTINUED

(अनुच्छेद 80 और 171 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : यह संविधान (संशोधन) विधेयक है; इसलिए इस पर मत विभाजन आवश्यक है प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचा र किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 16, विपक्ष में 48.
Ayes 16, Noes 48.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived

राजनीतिक दल लेखा प्रकाशन विधेयक
PUBLICATION OF POLITICAL PARTY ACCOUNTS BILL

श्री धीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा वार्षिक लेखों के अनिवार्य प्रकाशन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Sir, my object in introducing this Bill is that the political parties should publish the accounts of their income and expenditure. Today the public is very much sceptical about the political parties. The people expect the polical parties to put before them the accounts of their incomes and expenditures.

Under the Peoples Representation Act the political parties have been given recognition. In the democratic set-up of India, the political parties occupy a very place. For the health of the democracy, I think this will be step in the right direction. It is known to all that there is an enormous amount of black money in the hands of the industrialists. Shri Chavan himself had admitted that during the 1967 general elections foreign funds

were used. It is a matter of great shame for us. It black money is used by the political parties that must come to surface.

The expenses incurred by the political parties on the elections of its candidates is not taken into account under the Peoples Representation Act while calculation the expenditure on the election of an individual candidate. In this way the candidates most often exceed the limits laid down by law.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : राजनैतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है, उन्हें तो केवल नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और नियमों में कानून जैसी शक्ति नहीं होती है । अतएव इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में समुचित संशोधन करने के लिए एक विस्तृत विधेयक लाया जाये । परन्तु यह विधेयक उस प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे विचार में चौधरी रणधीर सिंह इसका गलत अर्थ लिया है । यह विधेयक उम्मीदवारों द्वारा अपना व्यय बताने के लिए लाया गया है । यह वास्तव में उन विदेशी धन पर नियन्त्रण रखने के लिए लाया गया है जो कि चुनावों को प्रभावित करते हैं । अतएव यह विधेयक उचित है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : यह भ्रान्ति इसलिए उत्पन्न हो गई हैं कि क्योंकि 'दल' शब्द अधिनियम में न आकर नियमों में प्रयुक्त हुआ है । माननीय सदस्य के विचार में नियमों में कानून जैसी शक्ति नहीं हैं परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । इन नियमों में कानून के समान शक्ति है और तभी तो आप और हम चुनाव लड़ते है तथा यहां आकर सरकार बनाते हैं । बीस वर्ष के अनुभव के बाद अगर यह विधेयक धन के व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए लाया गया है तो बहुत अच्छा है । यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि नियमों द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त है और इन्हीं नियमों के अन्तर्गत हम कार्य कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में श्री रणधीर सिंह विधेयक के मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाना चाहते हैं । प्रश्न यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा चुनाव संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत नियम बनाये जाते हैं और माननीय सदस्य का कहना है कि एक अलग कानून बनाने के बजाय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना ठीक रहेगा । आपको इस बारे में क्या कहना है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : संशोधन करने के दो तरीके हैं पहला चुनाव संचालन नियमों में संशोधन करके तथा दूसरा एक विस्तृत एवं स्वतंत्र अधिनियम को पेश करके इस विधेयक में कोई त्रुटि नहीं हैं । व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार में स्वयं सरकार को यह विधेयक लाना चाहिए था ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : इसके लिए दो मार्ग खुले हैं । चुनाव नियमों में संशोधन करना ही उचित मार्ग है । परन्तु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन ही सबसे अच्छा तरीका है । मेरे विचार में श्री रणधीर सिंह ने जो कहा है उसमें बड़ा बल है ।

Shri Shri Chand Goyal : As far as the Representative of People Act is concerned, there is no independent provision regarding the political parties : Political parties have been recognized under the Conduct of Election Rules. The question of amending the Representation of People Act does not arise. That is why I have placed an independent Bill before the House. It is imperative for the safeguard of Democracy that political parties should keep accounts of their expenses and place it before the public. There is no necessity to link it with other laws.

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक दलों का सम्बन्ध है वे इस विधेयक के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में आपका क्या कहना है जो कि अन्य स्रोतों से धन प्राप्त कर रहे हैं ।

Shri Shri Chand Goyal : This Bill has not been brought with a view to declare the accounts of expenditure incurred on elections and to keep an eye on it. But the main purpose of it is to place all details of their accounts before the public so that the people may have information about it. The scope of the Bill is not only upto the expenses of election but it covers the way of getting and spending the money by the political parties. There is no question of Independent Members because they do not amass money in this way.

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं कानूनी तौर पर इस विधेयक में कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाता । यह विधेयक वैध है । माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना अच्छा होता । परन्तु ऐसा न होने से इसका तात्पर्य नहीं है कि यह ठीक विधेयक नहीं हैं । वास्तव में यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन का कार्य देगा । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे बाद में इस विधेयक को वापिस लें ले क्योंकि चुनाव आयुक्त ने 1967 के आम चुनावों के बाद अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इस तरह के प्रावधान के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना उचित रहेगा । परन्तु मध्यावधि चुनावों के कारण समय न मिल सका । चुनाव के परिणाम घोषित हो जाने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त से मेरी लम्बी बातचीत हुई थी । मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में जो लिखा था वह माननीय सदस्य श्री गोयल के कथन का समर्थन करता है यथा राजनीतिक दलों को अपने चुनाव व्यय के बारे में घोषणा करनी चाहिए । केवल इसी बात पर ही नहीं अपितु अन्य कई ऐसी बातें हैं जिनके कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है । इसके लिए मैंने चुनाव आयुक्त से बातचीत की थी । सरकार निश्चय ही इस अधिनियम में संशोधन के लिए एक व्यापक विधेयक लायेगी ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मेरा सुझाव है कि हमें इस विधेयक पर आगे और चर्चा करनी चाहिए क्योंकि इससे एक व्यापक विधेयक तैयार करने में सहायता मिलेगी ।

Shri Shri Chand Goyal : I am thankful to the Hon. Law Minister for his acceptance of this principle. That there should be some check on the expense being incurred by the Political Parties. But the scope of this Bill is some what wide. I had requested that the political parties should give their accounts. I have come to know thata company named M/s Escorts is contributing rupees seven lakhs to Congress Party for its All India Session in Faridabad. Rupees forty lakhs are being collected for this purpose. The question is from where such huge amounts of money they get and how that amount is spent. full details regarding this should be placed before the people. It is good that the rules of the

election are going to be amended but the scope of this Bill is wider than this. As such it is imperative to bring it forward.

The black money is increasing in our country. The Supreme Court has in one of its decision stated that the expenses incurred on elections by a political party will not taken into account while calculating the expenses incurred by an individual candidate. This is creating corruption as the individual candidate will incur expense through the concerned party.

Often the objection is raised that big leaders of Communists Party, who are directors of Peoples' Publishing House spend too much money in the name of literatures. I know that they do not publish much literatures. They import the literatures and thus spend money in its name. They get money through advertisements also. I have no intention to raise objection against any particular party. Other parties also do this. Just take the case of Congress. Big capitalists like Tatas, Birlas, Dalmia give huge amounts of money to Congress I have already told that the Escorts Company is giving rupees seven lakhs to the congress for its session. I want that voters should come to know about it before the elections. We will also declare our whole accounts before the public that is why we are bringing this Bill. The people should not have any doubts about the source of income.

The funds which have been donated by various interests would naturally, govern and guide the policies and programmes of the concerned party. Therefore the sources of the funds should necessarily made known to the public before they cast their votes so that they may consider over the situation and may make a decision in respect of the various parties before casting their votes.

In the end, I would request to all the parties that this matter is not only related to a particular party and therefore a dispensinate view be taken of this important issue. The Bill should not be opposed merely on the ground that it is introduced by the Jan Sangh party. I think it would be an essential step towards the achievement of a successful democracy in the country.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विधि मंत्री ने संकेत दिया है कि इस विषय में वह एक व्यापक विधेयक लाएंगे । अत: सभी सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे पांच-पांच मिनट से अधिक समय न लें क्योंकि 45 मिनट पहले ही बीत गए हैं ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : I thanks the hon. Minister for accepting this Bill.

It is but natural that the opposition parties always try to creat a sense of suspicion in the minds of the public against the party in power. With the help of public meetings and news papers the policies and programmes of the party in power are criticized. Therefore, we should establish good conventions during the early period of our democracy and all the parties be asked to disclose their accounts to the public, atleast the amount of donation should be made known to all.

I, understand, that the expenditure of Rs. 10 or 12 thousands for the elections to State Assemblies and that of Rs. 25 thousands for the election of Parliament is permissible. But the actual expenditure incurred for the purpose is said to be much more.

But it is not a good thing as the late Babu Rajendra Prasad was of the view that the increasing expenditure for the elections was a danger signal for the democracy. Now a days voting has to become a sort of bargain and due to the poverty people caste their votes for those who pay them, without considering the principles or parties.

I am not talking of any particular party. I am talking of the general tendency prevailing in the country and this tendency of buying votes can be restricted by this principle. It is not concidered to be necessary to the elected members, now, to maintain a mass-contact because they think that they have got enough money to attract the voters. And this behaviour is undoubtedly harmful.

Parties should not be allowed not to collect huge funds for the purpose of elections and each party should see that no money is incurred on the villagers during the elections. The Government should not ignore the interests of the public but continue to devote attention to their difficulties. It is not fair to approach them only before elections The same thing is applicable to all members of Parliament and state Assemblies I also request; in the end, that matters of this nature should not be discussed in the Parliament because it will all be published in the newspapers.

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah): Sir, I rise to support the bill because it is based on principles and policies which are helpful and beneficial for the democratic atmosphere of the country. Some hon. members are interested to confine this bill to the expenditure on elections but I understand that under this bill the complete annual budget of a party should be disclosed. If the political parties are disinclined to show their accounts before the public from whom these parties receive that money then it would be conceded that we have no fair in democracy. It becomes the duty of the Government of a democratic country to appreciate every thing which protects the interests of the country without falling into the controversy that that good thing is introduced by an opposite party or otherwise. At present the rulling party may think that they have enough funds with them and therefore the idea of presenting accounts of the parties is not worthwhile. But after ten years or so they may also think in the same terms and then it would not be proper to them to complain what opposite parties of to-day are complaning against.

Shri Sheo Narain (Basti): The principles by which this Bill is guided are very good.

{ श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Goud *in the Chair* }

But only the congrees party should not be accused in this matter. Other parties should also confers their misdeeds. So far as our party is concerned, we have our constitution wherein disclosure of accounts of the party envisaged. At the same time we always provide the receipt to the donors against the funds donoted to the party. In the state also whenever Shri Chandra Bhanu Gupta received any contribution for the party he gave the receipt to the donor and trensferred that money to the P. C C. Therefore it is much better to look your face into the mirror before accusing others. The Law Minister has agreed to the principles of this Bill and they are also agreeable to us.

The congress party is generally and mainly criticised on the ground that this party is receiving funds from Birlas and Tatas. I admit receiving funds for the party from these big industrialists. But there is nothing wrong because these

industrialists belong to India and they are our fellow Indians. But what about other parties which receive foreign funds. Not only that these parties seek the help from foreign countries. Would you believe that the principles and programmes of that party would not be governed by the countries who supply the funds. If any body is proud of his being Indian his life-long career should be liked with the interests of India. Therefore before preaching us opposition parties should look into their own hearts But the prevailing attitude of the opposite parties is only confined to criticise others. We are ready to give our accounts. The Law Minister has also agreed to bring fo ward a comprehensive Bill on these lines. I would request the opposition to bring these principles into action and no only criticise the others.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : महोदय ! मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के सिद्धांत अच्छे हैं तथा यह संक्षिप्त भी है तो व्यापक विधेयक लाने के लिए हमको मुल्तवी क्यों किया जा रहा है । सरकार ने इसी प्रकार के आश्वासन देकर कितने ही अच्छे विधेयकों को दफना दिया है । किन्तु मैं श्री गोविन्द मेनन से प्रार्थना करूंगा कि वह यथासम्भव इस विषय में जागरूक रहें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि व्यापक विधेयक लाने में कई कारणों से देरी हो तो इस विधेयक को आवश्यक रूप से मुल्तवी न किया जाय । मेरा उनसे यह भी अनुरोध है कि वह व्यापक विधेयक लाने में शीघ्रता करें ।

प्रशासन तभी भ्रष्टाचार रहित हो सकता है जब प्रशासक स्वयं ईमानदार हों । सरकार के सम्बन्ध में भी जब तक हम लोग, अर्थात निर्वाचित सदस्यों का चरित्र ऊंचा नहीं होगा, सरकार ईमानदार नहीं हो सकती । अतः हम लोग बीज के समान हैं और निर्मल प्रशासन दोषरहित वृक्ष के मधुर फल के समान हैं । अतः हम लोगों में आत्म नियन्त्रण की भारी आवश्यकता है ।

चुनावों पर अधिक व्यय करने की बुरी प्रवृत्ति को बदलने में पहली व्यवस्था पर्याप्त नहीं रही । किन्तु इस विधेयक के माध्यम से प्रशासनिक, सरकारी और संसदीय व्यवस्था में शुद्धता लाने के कुछ विचारों को शक्ति मिलेगी । अतः जब तक दलों का प्रारम्भ में ही इसके प्रति सद्व्यवहार नहीं होगा तब तक यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि शक्ति प्राप्त करने के बाद यह प्रशासन में ईमानदारी ले आएंगी ।

1957 में आम चुनाव के बाद गुहाटी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी तथा उसमें एक भूतपूर्व मन्त्री महोदय ने सभापति महोदय से चुनावों के लिए इकट्ठी की गई राशि और चुनावों पर खर्च की गई राशि के बारे में पूछा । किन्तु सभापति महोदय ने यह कहकर टाल दिया कि 'क्या वे उन पर विश्वास नहीं करते ।' मैंने भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बुलेटिन खरीदा किन्तु मुझे उसमें कहीं भी आय-व्यय का लेखा नहीं दिया हुआ था । इसके बाद भी मैंने कई बुलेटिन खरीदे किन्तु किसी में भी आय-व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया था । किन्तु मैं जिन दिनों कांग्रेस का सदस्य था उन दिनों आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत किया जाता था । जो भी चन्दा मिलता था उसका जिक्र उसमें दिया जाता था । किन्तु इन बातों से मुझे बहुत दुःख हुआ । अतः मैं समझता हूं कि प्रत्येक दल के लिये यह आवश्यक कर दिया जाय कि वह अपनी आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत करे । जिस दल को किसी

भी कार्य के लिये जितना चन्दा प्राप्त हो उसका हिसाब देना चाहिये। इस विधेयक का उद्देश्य भी यही है। और यदि विधेयक ठीक है तो तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये। मंत्री महोदय इस विषय में व्यापक विधेयक लाना चाहते हैं तो उन्हें शीघ्रता करनी चाहिये। क्योंकि ऐसा न करने से जनता का विश्वास डिगता जा रहा है।

मेरे राज्य में घटी एक घटना के अनुसार ऐसा भी होता है कि कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण जैसे मामलों में मालिक कहते हैं कि हमने मंत्री महोदय को 8 लाख रुपया चंदा दिया है किन्तु मंत्री महोदय केवल 2 लाख रुपया स्वीकार करते हैं। ऐसे अवसरों पर न 8 लाख का ब्यौरा मिलता है और न 2 लाख का। किन्तु जब ऐसी चीजें स्पष्ट होती हैं तो समाज की व्यवस्था ढीली हो जाती है तथा निर्मलता समाप्त होने लगती है। अतः यदि आप नये समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं तो इस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय ने निर्दलीय सदस्यों के विषय में प्रश्न उठाया था। किन्तु निर्दलीय सदस्य किसी अन्य के नाम पर चन्दा नहीं मांगता। देने वाला भी जानता है कि वह किसी दल को नहीं अपितु एक व्यक्ति को चन्दा दे रहा है। अतः यदि उस सदस्य पर विश्वास रखता है तो अवश्य देगा अन्यथा नहीं। निर्दलीय सदस्य जिस कार्य के लिए चन्दा उठाएगा वह उसके हिसाब के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा। अतः मेरे विचार से यह विधेयक उन लोगों पर भी लागू होता है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I am grateful to Shri Goyal for bringing this Bill. So far as the criticism against the communist party for obtaining foreign funds is concerned, I would like to say that it should also be indicated by the members of the Jan Sangh party that wherefrom their party received the money for the purpose of the election. I may add that not to mention of portion etc. during the last elections the congress party and the Jan Sangh party distributed huge number of caps among the people of the whole Kanpur district, wherefrom the expenditure for these caps had been met ?

This time it is understood that the capitalists have abandoned the congress party and they have contributed to the funds of the Jan Sangh party and to the Swatantra party. Even than I am prepared to accept that there should be some provisions to look into the money subcribed by the foreign countries.

Just now, Shri Sheo Narain referred the name of Shri C. B. Gupta and admired him. I also respect him. In 1967 he gave a ticket to Shri Mohan to contast the election against Shri Mulla and can it be believed that Shri Mohon or Shri Modi had not obliged him with the money ?

The hon. Deputy Speaker raised a point about the Independents. In this connection I want to inform you that during all the three elections I never distributed pamphlets etc. to the people. We believe in our principles and in the way of our propagand and in our labour. Because we know that setting up camps in each constituency and distributing pamphlets etc. are costly affairs.

We are ready to give our accounts but may we expect that the ruling party which is mere responsible would be able to aceept the proposal of giving their accounts ? One thing I would like to enquire about and that is whether Shri C. B. Gupta has deposited Rs. 2.50 crores which was collected for the National Defence Fund to the Centre and

that whether out of that money any amount has not been used for the purpose of elections ?

The owners of the Sugar Factories in Uttar Pradesh have earned profits only because they have donated heavily to the congress party. This party is determined to earn money from all sources i. e. from PL 480 or from Sugar factories etc. The public also understand that these persons can be easily purchased. It is the misfortune of this country that secret documents can be brought out from the files. To prevent these things I understand that certain code and conventions should be introduced and applied to all the political parties on expenditure for elections.

Now, political parties approach the poor people with 2 rupees each against his vauable vote, and it is obvious that he accepts these two rupees because of his poverty without considering morality and responsibility. In this context I would say that to prevent these fillby practices and to improve our Parliamentry structure all of us should be prepared to give our accounts.

There was a clash between Ashu Ghosh and Atulya Ghosh in regard to various funds that were organised by the congress committee of West Bengal. But there was no enquiry against him.

In the end, I suggest the congress party, as it is oldest organisation that they should set an example and let the others follow them in this connection.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I am grateful to Shri Goyal who have introduced this Bill. Simultaneously, I would like to throw some light on the good intention of the Government who had decided to bring a comprehensive legislation in this matter one year ago. The Law Minister had taken up this matter with the Law Commission as well.

Now-a-days the elections have become a very costly affairs and for an ordinary fellow it is rather impossible to enter the Parliament in the capacity of a member. Generally, when the elected members come to reside in their allotted Bangalows they forget the interests of the common people. The voters also pay them in the same coin in the next election The leaders are proud of their cleverness but the voters, the public understand them well. Therefore we should always care for the interests of the public.

Actually speaking this problem can only be solved when every leader and every party will adopt certain ideals. To-day the policy of deducation of the governments is being increasingly favoured- All the political manupulations are made for the sake of money and through it for the sake of higher status in the Government. And when money is involved in the politics the big industrialists come forward to influence the political parties and the Government. As a result of this the interests of these big industrialists are served and the interests of the public is ignored.

I would also like to say that thousands of tractors were expected to be imported from Russia. But it is being delayed on account of the fact that our Government are unwilling to import these special tractors through that particular agency in which Russia itself was interested. You claim yourself to be an idealist party but nothing is secret to us.

An hon. members mentioned the name of Faridabad. But I think it is better not to start that topic. I may, moreover, state that once I visited a camp on which not less than Rs. 40 lakhs were spent. I do not want to mention the party concerned. The

leaders of all the parties visit the different foreign countries for the so called interest of our own country and in the name of certain ideals. But all other countries also have their own interests and this should not be forgotten that money has got a high influencing power with it. We see that so far as the donation of funds is concerned no party can be said to be honest. It is true that much donation is received by the ruling party because every body wants to be benefited in return of what he gives.

It has become the habit of the opposition parties to bring such things before the Parliament what Government are thinking over to introduce. But so far as this Bill is concerned, the credit goes to the Government as they had already decided to bring forward a comprehensive Bill in the matter. I would also request the Government that they should bring a comprehensive amendment Bill so that the Representative of People Act might be amended accordingly and it should be done expediously. I would also like to say that the hon. Member should kindly withdraw his Bill. It is matter of much importance and I think the leaders of all parties should collectively involve a code of conducts for the political parties and that code of conduct should be complied with by all the parties. This will be helpful for all the parties and a sense of purity and that of true representation of poor people will be pre-dominated in the country.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : सभापति महोदय ! विधेयक प्रस्तुत कर्त्ता ने कुछ राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों को उठाया है । किन्तु मुझे शका है कि इस विधेयक में की गई व्यवस्था से क्या सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा ।

यदि इस विधेयक का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होता है कि इसके अनुसार सभी राजनैतिक दलों को अपना हिसाब देना आवश्यक हो जाता है । किन्तु इसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि विभिन्न दलों को धन कहां से और किन किन सगठनों से प्राप्त होता है । मेरे विचार से कुछ राजनीतिक दल अपने वार्षिक सम्मेलनों में अपना लेखा-परीक्षा किया हुआ हिसाब प्रस्तुत भी करते हैं । किन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता ।

{ श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

क्योंकि राजनीतिक दल कुछ अवसरों पर चन्दा लेते हैं तथा उसका अब हिसाब नहीं दिया जा सकता । इस विधेयक में केवल इतना कहा गया है कि प्रत्येक दल को, जो कि चन्दा लेते हैं, अपना परीक्षित लेख प्रस्तुत करना चाहिए तथा ऐसा करने पर उनकी मान्यता छीनली जाएगी । किन्तु 'यूथ कांग्रेस' जैसी संस्थाएं कोई धन इकट्ठा करती हैं तो इन पर यह विधेयक लागू नहीं हो पाता क्योंकि ऐसी संस्थाओं को राजनैतिक दल नहीं कहा जा सकता ।

आज समस्या यह नहीं है कि दल अपना अपना हिसाब रखते हैं अथवा नहीं अपितु समस्या यह है कि कुछ दलों के पास अत्यधिक धन उपलब्ध है । भारत जैसे गरीब देश में राजनीतिक दलों के पास इतना धन होने से अवश्य ही देश में भ्रष्टाचार फैलेगा । अतः इसको रोकना ही आवश्यक है ।

1956 में राष्ट्रपति सुकारनों की एशिया में महानतम देश भक्तों में गिनती थी। उन्हें 'ब्रादर' सुकारनों कहा जाता था तथा विश्वविद्यालयों के छात्र उन्हें ईश्वर की तरह पूजते थे। किन्तु कुछ ही समय में वहां के तथा विदेश के राजनैतिक दलों और उद्योगपतियों ने उनको भ्रष्ट कर दिया तथा उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया गया। वहां की प्रजातन्त्र प्रणाली को भी भारी धक्का पहुँचा और एक प्रकार सैनिक शासन हो गया।

मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें केवल दलों के हिसाब का प्रकाशन मांगा गया है। जहां तक मैं समझ सका हूं श्री गोयल विदेशी दलों द्वारा धन दिए जाने के कठोर विरोधी हैं। किन्तु उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया। मेरा विचार है कि अब धन प्राप्त होने के स्रोतों को देखना चाहिए तथा हमारा निश्चय होना चाहिए कि धनवानों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो तथा हमारी राजनीति में वह हस्तक्षेप न कर सकें। श्री गोयल ने समस्या को समझा ठीक है किन्तु उसका समाधान उन्होंने सही नहीं समझा। अतः माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह उन तत्वों का अध्ययन करें जो हमारी प्रजातंत्र प्रणाली को दूषित करना चाहते हैं तथा उनको रोकने के लिए एक उपयुक्त विधेयक लाएं।

मेरे विचार से चुनाव सम्बन्धी नियम दोषपूर्ण हैं। एक एम० एल० ए० चुनावों पर केवल 7,000 रुपया खर्च कर सकते है और दूसरा लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी केवल 7,000 रुपया से भी कम का हिसाब देता है और उस हिसाब को स्वीकार भी कर लिया जाता है। अतः मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस कानून को अधिक प्रभावोत्पादक बनाएं।

न्यायाधीश भी बहुत समालोचक हो गए हैं और वह किसी भी याचिका को रद्द नहीं करना चाहते तथा वह ठोस सामग्री चाहते हैं जिसमें कोई सन्देह शेष न रह जाय। मेरे विचार से यह अच्छी चीज है। हमें देखना है कि यह बड़े व्यापारी और पूंजीपति राजनीतिक दलों को धन न दें। इसमें दल विशेष पर आरोप नहीं है, यह ऐसा प्रश्न है जो सम्पूर्ण भारतीय राजनीति से सम्बन्धित है।

इससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यह विधेयक मेरी आशाओं के अनुरूप नहीं है और मैं न इसका समर्थन करता हूं और न इसका विरोध करता हूं।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : सभापति महोदय ! इस विधेयक के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। हमने स्वीकार किया है कि व्यापारी वर्ग और विदेशी लोग परोक्षरूप से तथा विभिन्न नामों से हमारी राजनीति में घुस कर उसे भ्रष्ट करना चाहते हैं। हमें किन्हीं उपायों से इस बुराई को समाप्त करना है। हमें देखना है कि क्या इस उपाय से हमारी उद्देश्य पूर्ति हो जाती है।

श्री रणधीर सिंह ने ठीक ही कहा है कि हमें सीमित उद्देश्यों के लिए एक दूसरे को बदनाम नहीं करना चाहिए।

यह राष्ट्र के अच्छे बुरे के विवेक का विचार करने का विषय है और इसके लिए कुछ राजनीतिक वास्तविकताओं को देखना है । भारत के समान विशाल देश में एक संसद सदस्य का अपने चुनाव क्षेत्र में रहने उस पर 30,000 रुपये व्यय होते है परन्तु विधिवत व्यवस्था केवल 25,000 रुपये की है । कम से कम व्यय 25,000 रुपये से बढ़ जाता है । बहुत से व्यक्तियों में इतने की भी क्षमता नहीं है । लोगों में जाकर धन वाले दो प्रकार के अभिभावक होते हैं । एक तो इनमें इतने धनिक होते हैं कि राजनीतिक दलों से सहायता की अपेक्षा नहीं होती, दूसरी प्रकार के लोगों को राजनीतिक दलों से धन की सहाय ा की अपेक्षा होती है । इस प्रकार के खर्चीले चुनावों की प्रक्रिया में यह बहुत कठिन राजनीतिक तथा सर्वमान्य सत्य है, भारत के लिए ही आश्चर्य की बात नहीं है । यदि चुनावों की इस खर्चीली प्रक्रिया को चलाना है तो इस देश में भी राजनीतिक दलों को सहायता की आवश्यकता होती है । केवल प्रक्रिया का रूप बदलता है ।

कांग्रेस पार्टी के सम्बन्ध में उस पर मुख्य आरोप लगाया जाता है कि उसे बड़ा व्यापारी वर्ग धन देता है जिस पर बहुत मतभेद है । और यह आरोपित साधन भारत ही है । समवाय विधि मे शर्त है कि यदि कोई कम्पनी किसी राजनीतिक दल को धन देगी तो वह धन पुस्तकों में दर्ज किया जायेगा । और धन लेने वाला दल भी अपनी पुस्तकों में इसको दर्ज करेगा । अब हम राजनीतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले दान पर निषेध लगाने की चर्चा कर रहे हैं । जो बहुत मुख्य विषय है और इस पर बाद में विवाद करेंगे । इस प्रकार के दान से नीति निर्धारण और लाइसेन्सों के बांटे जाने पर प्रभाव पड़ता है जिससे राजनीतिक दलों अपने आपको दूषित नहीं होने दें । विदेशी सहायता के साधनों के विषय में हमें उन सब मार्गों को भली प्रकार देखना है जिनके द्वारा हमारे देश की राजनीतिक दलों को सहायता मिलती है । इस संदर्भ में पी० एल०-480 के अन्तर्गत आने वाली निधि के विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है । इसी प्रकार पूर्वी योरूप के देशों से, जिनके साथ रुपये में भुगतान का करार किया हुआ है, राजनीतिक दलों को परोक्ष रूप में सहायता मिलती है, यह सत्य है या नहीं मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहूंगा ।

मैं भी अपने मित्र श्री कुण्डू के कथन से सहमत हूँ कि यह विधेयक पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें साधनो को नहीं बताया गया है दूसरे इस में चोरी से आए रूपयें पर रोक लगाने के विषय में कोई सुझाव नहीं है । चोरी के धन का राजनीतिक दलों के पास कोई लेखा नहीं होता है और इससे समवाय विधि का उल्लघन होता है । यदि इसे वैध रूप से अनुमति प्राप्त हो तो इसका लेखा रखा जायेगा और इसका लेखा रख कर निर्वाचन आयोग को इसका हवाला भेज दिया जायेगा । दान लेने देने पर वैध रूप से अनुमति नहीं है इसी प्रकार उनके हवाले का भी लेखा नहीं होता । यह बहुत दूषित चक्र है इसका खण्डन करना बहुत कठिन प्रतीत होता है । इस विधेयक से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । अतः इस विधेयक की उपादेयता के विषय में मैं अपने अन्तिम मत को प्रकट नहीं करूंगा ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Speaker, I am thankful to Mr. Go al for inviting the attention of the house on this important issue through his Bill. But there is a vast difference between promises and its implementions here in our country. I was listening to the speech of Shri Randhir Singh, and I want to tell him through you that congress party

is strangh Political Party in India and is reigning this country for the last 20-22 years. and it was its duty to see that the capitalists in India may not bring the Political Parties into their influence. Mr. Speaker, you know well the discussions held on the Company Donation Bill. A letter date 19th November, written by Dr. Ram Subhag Singh is in my possession. The bill was not brought on the table of the House before the mid term polls inspite of our repeated requests because they were aware of the fact that the Capitalists would not give money to Congress Party for mid-term elections if the bill was brought in the House. We received a letter from Dr. Ram Subhag Singh in the last session, in the month of November which reads as under:-

> "All the same, we hope to provide time for consideration of this Bill soon after the disposal of the Bills replacing Ordinances and the voting of Supplemen ary Demands for Grants."

It was their duty to place this Bill before the house and get it passed in order to keep the Political field away from being vicious, but Birlas Tatas, Dalmia and Jains are backing and giving donations to the Congress party. After 1967 General Elections the capitalists do not give money to Congress Party only, they distribute this money to various political parties and that is why the congress party have considered that the bill should be brought on the table of the house

After independence the capitalists have not even over powered congress party but their policies too. The New Yorks times gave information that after these last General Elections which of the Political parties in India got foreign money the names of all the political parties excepting S S. P., of which I am a member appeared in that paper. Regarding this we insisted Shri Chavan to place the report of C. B. I. inquiry; and Shri Chavan has not submitted that report till now inspite of our repeated requests. He, however, stated that he would submit a summary of the report and that too also is awaited. I request Shri Chavan for this so that all the political parties including congress and opposition parties should consider this problem which appeared in the foreign press .... (interruptions).

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

The New York Times has stated that these Political parties are getting money from C. I. A. Organisation. The C. B. I. report has not been placed on the table of the House. This is a matter of disgrace for the Nation. I want to relate one incidence which occured in America with late Dr. Lohia in 1952 when he visited America that Late Mr. Norman Thomas the leader of America's Socialist Party offered money to Dr. Lohia for contesting Elections in India. Dr. Lohia refused to accept the money because he was greatly influenced by Mahatma Gandhi.

Regarding this Bill Shri Goyal has said that Law Minister will move another comprehensive Bill in the House; if it is so, then it is very good and I will request Shri Goyal to withdraw his Bill. I would like such bill to be moved in the house as all the Political parties should submit their accounts to Election Commission.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे समय पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा।

श्री लोबो प्रभु : मैंने एक संशोधन पेश किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल दो घण्टे का समय निर्धारित था, और प्रारम्भिक अवस्था में ही विधि मन्त्री ने बताया कि सरकार एक संशोधिक व्यापक विधेयक लायेगी । मेरे पास चार नाम और हैं, श्री कवर लाल गुप्ता यहां विलम्ब से आये हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : नहीं श्रीमानजी, यदि आप मुझे अनुमति नहीं देगें तो कोई हानि नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधि मन्त्री को समय देता हूं मैंने नहीं समझता कि वह इन सुझावों को मान जायेंगे । मैं दूसरे विधेयक पर विचार करने के लिए भी कुछ समय दूंगा ।

श्री श्रीचन्द गोयल : आज आध घण्टे का विवाद नहीं होगा क्योंकि अ ज श्री शि० च० झा उपस्थित नहीं है ।

उपाध्यक्ष : श्री श्रीधरन ।

श्री ए० श्रीधरन : (बडागर) हम अपने राजनीतिक प्रजातन्त्र के इतिहास के बहुत ही संकटमय दौर से गुजर रहे है । हमारी इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था ने इन 22 वर्षों में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है जिनमें से दो तो मुख्य हैं ।–साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयतवाद और दूसरा राजनीतिक दलों पर धन का प्रभाव ।

अब सरकार की आंखें खुल गई हैं और विधि मन्त्री एक व्यापक विधेयक लायेंगे परन्तु मुझे अपने पुराने अनुभव के आधार पर इसमें कुछ शका है । कांग्रेस पार्टी ने निजी थैलियों को समाप्त करने का वचन दिया था, जिसको सरकार अभी तक समाप्त नहीं कर सकी है । इसी प्रकार एकाधिकारों को भी समाप्त नहीं कर सकी है । यदि सिद्धान्त रूप में इस विधेयक को पास कर दिया जाता है तो कम से कम हम यह तो जान सकते हैं कि किस दल को कहां से धन मिल रहा है । और प्रत्येक दल की आर्थिक स्थिति की जानकारी हो जाएगी । कांग्रेस पार्टी उंचे धनिकों से धन मिलता है फिर भी वह समाजवादी प्रजातन्त्र को लाने के लिए कहते रहते है : यदि यह विधेयक संसद में आ जाता है तो ये लोग जनता को इस प्रकार बुद्धू नहीं बना सकेंगे । हम सिद्धान्तों की बात तो करते हैं । परन्तु उनका पालन नहीं करते । यह ठीक है कि भारत में विदेशी रुपया बहुत आ रहा है जो विभिन्न साधनों के द्वारा आ रहा है । मैं कांग्रेस पार्टी से, जो इस देश पर 21 वर्ष से राज्य कर रही है, पूछना चाहता हूं कि इस विदेशी धन का देश में आने पर रोक लगाने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ? खुफिया पुलिस विभाग है, गुफिया विभाग है । आपके पास अनेक साधन है परन्तु क्या आपने यह जानने का प्रयत्न किया कि यह रुपया देश में किस प्रकार आ रहा है और देश में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए इस धन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है !

एक माननीय सदस्य : उन राजनीतिक दलों का नाम बताया जाये जिनको धन मिल रहा है ।

श्री ए० श्रीधरन : यदि मुझे श्री चव्हान जी का पद प्राप्त होता तो मैं अवश्य ही उनका नाम बताता, मेरे पास सूची नहीं है। सबसे बड़ा अभियुक्त दल कांग्रेस पार्टी का है। जब विधि मंत्री उस व्यापक विधेयक को लायें तो इस बात का उसमें समावेश करें कि कोई मन्त्री अपने राजनीतिक दल के लिए धन संचय न करने पाये। नागरकोयल में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के समर्थन में 1200 कारें घूमती फिरीं। ये कारें कहां से आई ? क्या ये कारें नागरकोयल के निर्धन किसान वर्ग की थीं ? पता चला है कि मेरे राज्य केरल में मध्यावधि चुनावों के दौरान विधि मन्त्री ने बहुत बड़ी धन राशि संचय की। प्रत्येक प्रकार से लोगों से धन की वसूली की जाती है जब कि मन्त्री अपनी पार्टी के लिए धन जमा करने निकलते हैं क्योंकि उनकी पीठ पर सरकार का हाथ होता है। यदि जन जीवन में स्वच्छता का उपदेश दिया जाता है तो इन राजनीतिक दलों को भी स्वच्छ बनाना चाहिए। इस देश में कौनसा दल किस वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, इसको जानने के लिए विधान की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री गोविन्दा मेनन : विधि मन्त्री से तात्पर्य क्या मेरी ओर सकेत किया है।

श्री ए० श्रीधरन : अवश्य, निस्सन्देह।

श्री गोविन्दा मेनन : मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री ए० श्रीधरन : मैंने किसी अन्य विधि मन्त्री के विषय में नहीं कहा। इस देश में अनेक विधि मंत्री हैं, परन्तु मैंने केवल भारत सरकार के विधि मंत्री के विषय में ध्यान दिलाया है।

श्री गोविन्दा मेनन : चुनावों के विषय में मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री ए० श्रीधरन : जैसा भी है, परन्तु मेरे राज्य में यही अफवाह फैली हुई है।

श्री गोविन्दा मेनन : ऐसी कोई अफवाह नहीं है।

श्री ए० श्रीधरन : उसके पास अपने काम के लिए ही समय नहीं है। प्रत्येक समय राज्य में भ्रमण करते रहता है और लोगों से संयुक्त मोर्चे की सरकार को नष्ट करने को कहता रहता है। क्योंकि अब उन्होंने प्रश्न उठाया हैं तो मैं इसका उत्तर देता हूं अन्यथा मैं ऐसा नहीं करता हूं। उन्हें तो अपने पद के पालन का ही समय नहीं हैं और यदि दो या तीन दिन का अवकाश मिलता भी है तो वह वहां जाकर लोगों को बताता है कि उनके लिए अमुक अमुक सहायता दी जा रही है और उनको संयुक्त मोर्चे की सरकार का नाश करे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अभियोग है।

श्री ए० श्रीधरन : यह अभियोग नहीं है, यह सत्य है। श्रीमान जी मैं इस विधेयक को सिद्धान्त रूप में मानता हूं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस विधेयक को लायेगी और इसको कार्यान्वित करेगी, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इसकी बहुत आवश्यकता है।

श्री रा० ढो भण्डारे : श्रीमानजी प्रत्येक प्रकार के गम्भीर अभियोग लगाए गए है जो ठीक नहीं हैं और इनको लिखित रूप नहीं दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्ताओं ने एक दूसरे दल के विरूद्ध प्रत्येक प्रकार के अभियोग लगाए हैं, जिसका स्पष्टीकरण है कि दूसरा दल इसके लिए उत्तरदायी है ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : यह व्यक्तिगत अभियोग है । उसके विधि मन्त्री के विषय में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करना चाहिए, यह ठीक नहीं है ।

श्री ए० श्रीधरन : मैंने तो केवल इतना कहा कि उसने धन-संचय किया है, उत्कोच नहीं लिया ।

श्री लोबो प्रभु (उडीपी): श्रीमानजी, यह विधेयक व्यापक रूप में सदन के समक्ष लाया जायेगा, इस स्थिति से मैं आरम्भ करता हूँ । और हम इस व्यापक विधेयक का मूल आधार खड़ा करेंगे । श्री गोयल का विधेयक ठीक है परन्तु जैसा मैंने अपने संशोधनों में संकेत किया है यह केवल निर्वाचनों पर व्यय किए गये धन तक ही सीमित रहता है, दलों की राजनैतिक गतिविधियों और उनके आचरण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे कौन से साधन हैं जिनके द्वारा इन राजनीतिक दलों को धन मिलता है? यह तो मानी हुई बात है कि इनको व्यापारियों और उद्योग-पतियों और कर्मचारी संघों से चन्दा मिलता है । इस बात को गलत तो बताया जा सकता है परन्तु खण्डन नहीं किया जा सकता कि विदेशों से विशेषतया कम्युनिस्ट देशों से धन मिलता है, जो रुपये में भुगतान की व्यवस्था के अन्तर्गत 10 प्रतिशत का लाभ लेते हैं और यह दस प्रति-शत सारे देश के द्वारा दिया जाता है । जो भी हम इन कम्युनिस्ट देशों से खरीदते हैं वह 30 प्रतिशत मंहगी पड़ती है, और इस सीमा तक सारा देश कम्युनिस्ट पार्टी को धन की सहायता देता है । कम्युनिस्ट देशों से आयात पर 10 प्रतिशत एजेंसी कमीशन होता है क्योंकि सरकार ने इसको माना है । धन प्राप्ति का चौथा साधन है, मित्र, समर्थक अथवा वे लोग जिन्हें उम्मी-दवार से अपने समर्थन की आशा होती है । इसके लिये हम क्या कर रहे हैं ? यह तो सही है कि प्रत्येक व्यक्ति उस दल का धन अथवा वोट से समर्थन करता है जिसका वह दल प्रतिनिधित्व करता है । यही प्रजातंत्र है ? क्या कार्मिक संघों का रुपया स्वच्छ होता है क्योंकि वह कम और लोगों के बहुत बड़े वर्ग का होता है और उद्योगपतियों का धन दूषित होता है क्योंकि इसका लेखा होता है ? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन दलों के निधि के लिए दिए गए चन्दे के विषय में सर्वप्रथम विचार करेंगे । और इस पर भी विचार करेंगे कि दल को जितना मिलता है उससे कहीं अधिक दल के नेता को मिलता है । यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यह धन संचय करने की यह एक और प्रक्रिया बन जायेगी और दलों की अपेक्षा दल के नेताओं के पास ऐसे धन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगेगा । जहां पक्षपात होता है वहां दान अधिक मात्रा में दिये जाते हैं परन्तु क्या विभिन्न दलों ने यह सोचा है कि दान क्यों दिए जाते हैं ? क्योंकि यह परमिट और लाइसेन्स का राज्य है । यदि इस दिशा में यथार्थ रूप में परिव-र्तन लाना चाहते हैं तो इस व्यवस्था को समाप्त करना होगा, जिसका समर्थन मेरा दल करता है । हम नहीं चाहते कि शासक दल को इस प्रकार का धन लेने का अवसर दिया जाए । मैं इस विधेयक को पेश करने वाले, मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं इस स्थिर सरकार, इस प्रकार

के व्यापार को जो कम्युनिस्ट देश के साथ ही रहा है दोषित ठहराए, जिससे कि रुपये में भुगताए जाने वाले कमीशन की व्यवस्था को समाप्त किया जा सके और हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी को धन न मिल सके। यदि आप इस विधेयक को नहीं लाते तो आप देश के जन जीवन की स्वच्छता के उद्देश्य और निष्पक्ष निर्वाचन तथा प्रजातन्त्र की सेवा नहीं करते।

Shri Shinkre (Panjim): Mr. Deputy Speaker, the Bill moved by Shri Goyal might be, no doubt, acceptable to all the pa ties but will it serve the purpose at all ? This will not serve any purpose until and unless we build up our character and integrity of our parties. We should make our conscience clean for achieving this goal. The political parties of rhis country are blamed for taking money from local capitalists and from foreign concerns and even from Embassis. So far as the question of the principles of this Bill is concerned it is admitted to all and we are ready to welcome and support it. But only passing this Bill will not serve any purpose; but the political parties of the country should behave according to the provisions of the Bill. The people in my constituency generally raise the question regarding the number of the members of the Birlas, Tata and Jain in the Lok Sabha and also their number in the congress, Swantantra, Jan Sangh parties and Communist Party. But I have to tell them that they all were representatives of the people and their integrity should be honoured. But the people suspect our integrity because even here in the house an hon. Member alleged Law Minister Mr. Menon for taking money from capitalists and when the hon. Member was challanged he said much remarks were amongst the people so I would say that all these may be remours, but even then we have to build our integrity. Moreover we have to see the chaacter of the Political Worker is clean. Secondly that the question of the maintaning and publishing the records of the accounts of political parties, it should not be confined only to the recognised political parties but this bill should also cover the unrecognised parties who do not get any symbol but they come into picture during elections and contest elections. In Goa during the Opinion Polls capitalists gave lakhs of rupees to such parties for their interests, because they wanted that Goa should remain a Union Territory and should not be merged into Maharashtra and they got success I. therefore, want all the political parties-recognised and unrecognised to publish their accounts clearly mentioning the source of money they get and they should maintain their records and accounts honestly.

I am glad that Law Minister has kindly supported the principles this Bill moved by Shri Goyal and he will bring forward a comprehensive bill on these lines in a manner to keep the integrity of all the political parties of India alive and that he is not be blamed.

श्री एस० कन्डप्पन (मैंदूर) : श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि विधेयक के सिद्धांतों का सब स्वागत करते हैं और उनमें विधि मन्त्री भी हैं। शंका केवल यही है कि सरकार गम्भीरता से इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहती क्योंकि कम्पनियों से दान लेने पर निषेध की चर्चा कई बार दोहरा चुकी है और आश्वासन दिए हैं कि इस विधेयक को पेश करेगी परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। क्योंकि कुछ समय गृह कार्य ने भारत में विदेशों से आ रहे धन के रहस्य को प्रकट करने से मना कर दिया था। देश में राजनीतिक दलों के आदर्श को ऊंचा करने के सरकार के रवैये पर सन्देह होता है। देश के राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों के लिए यह उचित समय है कि वे अपने आदर्श को ऊंचा उठाएं। 1947 के उपरान्त अब देश की राजनीति के आदर्श का पतन प्रारम्भ हो गया है। प्रथम तो जातिवाद है और दूसरा वोटों को खरीदा जाना। दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे खेद है कि देश में जातीयता का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। प्रत्येक दल चुनाव क्षेत्र में वहां सम्पन्न जाति के व्यक्ति

को अपना सदस्य बनाती है। यहां तक द्रविड़ मुन्नेत कडगम जिसने इस स्थिति का विरोध किया इसी के आधार का सहारा लेकर, कांग्रेस पार्टी को हराकर विजयी हुई। दलों में इस प्रकार की चरित्रहीनता की विद्यमानता में कोई गम्भीर और सतपुरुष विधान सभा अथवा लोक सभा का चुनाव नहीं जीत सकता। यह जातीवाद का दोष है। जहां तक वोटों के खरीदने का प्रश्न है, कुछ व्यक्ति तो बहुत धनी होते हैं और जो कुछ धनवान होते हैं वे भी इस दशा में धन लगाकर और अधिक धन के लोलुप हो जाते हैं। परन्तु कुछ चुनावों में व्यय करे धन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कमाते ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी मान मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए परोक्ष रूप से लोकसभा के सदस्य अथवा विधान सभा के सदस्य के पद का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रजातन्त्र का बुनियादी (मूल) सिद्धांत लुप्त हो जाता है। अत: इस दशा में प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि वोटों के क्रय पर अधिक धन का व्यय न हो। यदि इस दशा में कदम नहीं उठाए गए तो लोकतन्त्र से जनता का विश्वास उठ जायेगा और देश में हिंसात्मक प्रवृत्ति जोर पकड़ लेगी। अत: सरकार को चाहिए कि बहकावे और आश्वासन देने के बजाए इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने के लिए गम्भीरता से विचार करें। और श्री गोयलजी को इस विधेयक को पारित कराने के लिए किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ कांग्रेसी सदस्य नहीं चाहते कि इसका श्रेय विपक्षी दल को मिले। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है यह तो उन्हीं का कर्त्तव्य है जिसे बहुत विलम्ब हो गया है और अब तक उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। प्रजातन्त्र में जनता का विश्वास पैदा करने के लिए उन्हें इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा दल ऐसा है जो किसी के पास धन के लिए नहीं गया। द्रविड़ मुन्नेतकड़हगम दल की यह अद्वितीय विशिष्टता है कि वे अपनी सभा में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क लेते हैं, और धन से हम अपने दल का संचालन करते हैं। क्योंकि अब चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं और मुझे डर है कि हमारा दल भी कहीं दूसरे दलों के जाल में न फस जाए। यदि सरकार अब भी जाग जाए और कुछ कदम उठाए तो सुधार हो सकता है। यह प्रत्येक राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल के आदर्श के हित की बात है और तभी देश में प्रजातन्त्र की रक्षा हो सकती है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Deputy Speaker, the principles of the Bill being brought forward is admitted to all those who are politicians and believe in the democracy of the country, and are of the opinion that the people should know the basic principles of a political party. The system of politics and that of elections have taken dangerious turn in the country Elections are costly, Votes are purchased and taken in the name of casteism, which is dangerious for our democracy. I am to praise my friend Shri Goyal for moving this Bill and this Instructure; some people purchase political parties and its leaders for their own interest. In order to save democracy this process should be checked. Some days ago Congress President Shri Nijalingappa stated that the Prime Minister had given Rupees ten lakhs for contesting elections and She had also promised to give Rupees five lakhs more for the purpose. Is it proper for a Prime Minister to take donation from capitalists and utilise it for contesting elections ? I ask the Prime Minister through you to disclose the names and address of those donators so that people should know that the Prime Minister did not give any favour to those persons. Secondly Congress took money from the working contractors of the C.P.W.D for mid-term elections. There are 'Payees Accounts' cheques from those contrators with All India Congress Committee, which I can prove; and I want that C.B.I. enquiry be conducted on this probe.

The other issue is regarding 'Ghalib Centenary' and for this our Industries Minister collected lakhs of rupees within fifteen days and his people are being purchased by issuing licences and permits and therefore the ruling party has not maintained good and clean convention we have business with communist countries on rupee payment basis and the communist party is getting money from those countries. Foreign money is flowing into the country through various sources, not only from Russia but from American agents too. Regarding 'Patriot' and 'Link' the C.B.I. enquiry has established that they have been taking foreign money and foreign Governments were helping them. Government have done nothing in this connection I ask the Government to bring forward a comprehensive Bill which may provide punishment for those who take foreign money, who so ever he may be. But by enforcing law this attitude will not improve, we should have a tradition so that we may not taking foreign money.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy Speaker, from where She Golwalkar taking donations.

Shri Kanwar Lal Gupta : We give him.

An hon. Member : They are blood suckers.

Shri Kanwar Lal Gupta : They are not Russians, they are not Chinese.

Shri Ramavatar Shastri : This should be proved. All people know what they did during last elections in Bihar. They forcibly demanded votes; but they did not cast their vote for them.

Shri Kanwar Lal Gupta : They did not do that. We asked them not to do that.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कृपया अपने-अपने आसनों पर बैठिए।

Shri Ramavatar Shastri : I wanted to contradict their statement. I did not want his statement let go unchallenged. Regarding 'Patriot' and Link, he asked from where their organisation ran ?

श्री गोविन्द मेनन : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन के सम्बन्ध में मैंने 'व्यापक' शब्द का प्रयोग किया। श्री गोल और दूसरे मित्रों के वक्तव्य से दो मुख्य बातों और विचारधाराएं प्रकाश में आईं। प्रथम तो चुनावों में धन के व्यय की अधिकता और दूसरे अमरीका, रूस और चीन आदि जैसे विदेशों से भारत में राजनीतिक दलों के लिए धन का आना। ये दो विभिन्न विचार हैं। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण परिमाण अथवा केन्द्र है कि निर्वाचन आयोग क्या करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिए हम एक व्यापक विधान लाने पर विचार करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण कल फिर जारी रखें क्योंकि यह लम्बी चर्चा है और हमने साढ़े पांच बजे आधे घण्टे की चर्चा पर विचार करना है।

श्री गोविन्द मेनन : जी हां।

आधे घण्टे की चर्चा के बारे में

Re : Half an hour discussion

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे ।

श्री शिवचन्द्र झा अनुपस्थित है । सभा कल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार 10 मार्च, 1969/19 फाल्गुन, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, March 10, 1969/ Phalguna 19, 1890 (Saka).